# Page No.1

# राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ५ ] द्वितीय विधान सभा के पंचम सत्र, १९५९ का ६६ वां दिवस [ संख्या ३८



बुधवार, २२ अप्रैल, १९५९

विधान सभा की बैठक प्रातः ८ बज कर ४ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

---

( श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन )

---

## तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री पी. के. चौधरी।

### स्टेट ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी द्वारा निर्णीत अपीलें

**११२७. श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा):** Will the Minister Incharge of Transport be pleased to state :—

(1) During the last three years, namely 1956, 1957 and 1958, how many appeals were received, considered and decided by the State Transport Authority (Figures for each year may be given separately) ? In how many cases the decisions of the Regional Transport Authority appealed against were withheld, stayed or rejected ? Figures may be given separately for each year for the various R.T.A.s in the State.

(2) In how many cases during the last 3 years writ petitions were admitted by the High Court against the decisions of various R.T.A.s and the S.T.A. and in how many cases the writ petitions have been decided against the decisions of the R.T.A. concerned and also the S.T.A. ?

(3) Is it correct that during the last 3 years, the largest number of writ petitions in respect of road transport permit reported in A.I.R. ( Law Reporter ) happened to belong to Rajasthan vis-a-vis any other Province ?

**यातायात मंत्री ( श्री नाथूराम मिर्धा ) :** (1) The details are as follows :—

# Page No.2



( श्री नाथूराम मिर्धा )

| Year. | Name of R.T.A. | Appeals received. | Appeals considered & decided. | No. of appeals in which R.T.A.'s decision withheld or stayed. | No. of appeals rejected. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1956. | Jaipur. | 193 | 130 | 50 | 80 |
| | Jodhpur. | 123 | 95 | 35 | 60 |
| | Udaipur. | 77 | 38 | 25 | 13 |
| | | 393 | 263 | 110 | 153 |
| 1957. | Jaipur | 215 | 108 | 34 | 74 |
| | Jodhpur. | 135 | 72 | 26 | 46 |
| | Udaipur. | 70 | 55 | 18 | 37 |
| | | 420 | 235 | 78 | 157 |
| 1958. | Jaipur. | 209 | 145 | 40 | 105 |
| | Jodhpur. | 75 | 43 | 20 | 23 |
| | Udaipur. | 47 | 30 | 22 | 8 |
| | Kotah. | 40 | 24 | 13 | 11 |
| | Bikaner. | 108 | 76 | 31 | 45 |
| | | 479 | 318 | 126 | 192 |

(2) Number of writ petitions admitted by High Court against the decisions of Regional Transport Authorities and S.T.A. is 115.

(3) Number of writ petitions decided against decisions of R.T.A. and S.T.A. is 21.

(3) This does not seem to be correct.

**श्री पी. के. चौधरी :** Is it correct that the High Court has declared the S. T. A. as ultravires of the Motor Vehicles Act ?

**श्री नाथूराम मिर्धा :** मुझे ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है ।

**श्री पी. के. चौधरी :** Is it correct that the High Court has declared the present Chairman of the S.T.A. as

# Page No.3



( श्री पी. के. चौधरी )

not qualified to hold the post on S.T.A.

**श्री नाथूराम मिर्धा :** मुझे अभी कोई सूचना नहीं मिली है। जजमेन्ट रिजर्वड है। इसलिये कुछ नहीं कह सकते अभी।

**श्री पी. के. चौधरी :** Is the Chairman qualified to hold the post.

**श्री नाथूराम मिर्धा :** I cannot say. When the matter is under consideration of the High Court, what can I say?

**श्री पी. के. चौधरी :** Is it not a fact that the largest number of writ petitions was from Rajasthan, as asked in part (3) of the question.

**श्री नाथूराम मिर्धा :** मैंने कहा न कि this does not seen to be correct.

**प्रश्न संख्या ११२८**

**श्री अध्यक्ष :** श्री भैरोंसिंह

(अनुपस्थित)

**प्रश्न संख्या ११२६**

श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

**गोल्डन ट्रान्सपोर्ट कम्पनी, जयपुर को बसों व ट्रकों के पर्मिट**

११३० **श्री सूरजमल** (फलोदी—सु०) : क्या यातायात मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(१) जयपुर गोल्डन ट्रान्सपोर्ट को ट्रकों व बसों के कितने कितने पर्मिट दिये गये हैं?

(२) क्या सरकार ने इनको पर्मिट देने के पहिले इनसे किस रेट से जनता से किराया आदि लेने का, ऐसा कोई वायदा भी कराया है?

(३) क्या सरकार इसकी जांच करेगी कि यह कम्पनी बिल्टी में लिखे हुए किराये जिसमें (भराई, खाली कराई और ढोवाई आदि) शामिल होने के बावजूद भी व्यापारियों से अलग पैसे नाजाइज तरीके से चार्ज करती है?

**यातायात मन्त्री** (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) केवल ८ पब्लिक कैरियर पर्मिट सन् १६५१ से अब तक दिये गये हैं।

(२) इस कम्पनी से कोई खास रेट का निर्णय नहीं हुआ। निर्धारित माल ढोने के किराये की दरें, ३, ३॥ और ५ पाई प्रति मन प्रति मील है और ए. बी. व सी. क्लास रूट्स पर क्रमशः लिया जाता है।

(३) ऐसी कोई शिकायत नहीं आई अतः जांच का सवाल पैदा नहीं होता।

**जोधपुर के ट्रेफिक इन्सपेक्टर की शिकायतें**

११३१. **श्री गिरधारीलाल** (नोखा) :

# Page No.4



( श्री गिरधारीलाल )

क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ।

(१) जोधपुर में ट्रेफिक कन्ट्रोल के लिए कितने इन्सपेक्टर हैं ?

(२) क्या यह सही है कि वे मोटर, बस, ट्रक वालों के बड़े बड़े एक्सीडेन्टों को छोड़ देते हैं ?

(३) क्या सरकार इसकी भी जांच करेगी कि ये लोग गरीब शरणार्थियों को जो यहां सिर्फ सड़कों पर फल, फूल व सब्जी आदि ठेलों में बेचकर अति कष्ट से पेट पालते हैं, उनको बहुत बुरी तरह से गाली गलौच करके व डरा धमका कर फल, फूल व सब्जी आदि ले लेते हैं और उनका चालान भी कर देते हैं ?

**गृह मन्त्री** ( श्री रामकिशोर व्यास ) : (१) कुछ नहीं ।

(२) जी नहीं । यह सत्य नहीं है ।

(३) यह सही नहीं है । सिर्फ उन्हीं लोगों का जो ट्रेफिक रूल्स तथा म्युनिसिपैलिटी के कानून का उल्लंघन करते हैं, चालान किया जाता है । इसलिये जांच का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

**श्री गिरधारीलाल** : क्या उन ठेले वालों की ओर से अधिकारियों के सामने इस प्रकार की शिकायत आई थी कि स्थानीय ट्रेफिक पुलिस नाजायज तौर से तङ्ग करती है ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : मेरी जानकारी में नहीं है ।

**श्री गिरधारीलाल** : तो क्या सरकार उनकी ओर से कई दर्ख्वास्तों के आने और जांच करने के बाद इस नतीजे पर पहुँचेगी कि उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जावे ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : इन्डिविजुअल केसेज आवेंगे तो इन्क्वायरी करके जानकारी कर सकते हैं ।

**प्रश्न संख्या ११३२**

**श्री अध्यक्ष** : श्री लक्ष्मीचन्द

( अनुपस्थित )

## सुपरवाइजर, जू विभाग, बीकानेर

११३३. श्री **जयचन्द्र मोहिल** ( कपासिन–सु० ) : क्या मन्त्री, वन विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ।

(१) क्या सरकार के पास सुपरवाइजर जू विभाग बीकानेर के खिलाफ कोई शिकायत आई है ?

(२) क्या यह सही है कि जितना सामान पशु पक्षियों के लिए सालाना लिया जाता है उतना पक्षियों व पशुओं को नहीं दिया जाता है ?

**वन मन्त्री** ( श्री नाथूराम मिर्धा ) : (१) जी नहीं ।

(२) जी नहीं ।

Page No.5



प्रश्न संख्या ११३४

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

( अनुपस्थित )

**दालों का एक जिले से दूसरे जिले में भेजा जाना**

११३५. **श्री रामेश्वर दयाल** ( डॉ० बहादुरसिंह द्वारा पूछा गया): Will the Minister for Civil Supplies be pleased to state :—

(1) Is the Government aware that the movement of pulses has been stopped even from one district to the other in Rajasthan leading to high prices in some districts.

(2) Is the Government also aware that some districts are surplus whereas others are in deficit ?

**खाद्य एवं रसद मंत्री** ( श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ) : (1) No restrictions have been imposed on movement of pulses from one district to another, excepting that gram dal cannot be exported from Bikaner Division except under permission or on Government account.

(2) Yes.

प्रश्न संख्या ११३६

श्री अध्यक्ष : श्री जयसिंह

( अनुपस्थित )

प्रश्न संख्या ११३७

श्री अनूपसिंह

( अनुपस्थित )

**पाली थाने के सब-इन्स्पेक्टर श्री तेजराज के विरुद्ध शिकायत**

११३८. **श्री मनरूपराम परिहार** ( खारची-सु. ) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि पाली पुलिस थाना में एक मुकद्दमा स्टेट जरिये बरकतअली बनाम मुलजिमान श्री रहीमबक्श वगैरह जुर्म ३०७। १४७ आई. पी. सी. के दर्ज हुआ था?

(ख) क्या यह सही है कि उक्त पुलिस थाना के सब-इन्सपेक्टर श्री तेजराज ने पुलिस थाना में इस मुकद्दमे का चालान अदालत में कर दिये जाने का इन्दराज कर दिया परन्तु वास्तव में अदालत में चालान पुलिस थाना से नहीं भेजा गया।

(ग) क्या यह सही है कि इस बात की जांच इन्सपेक्टर जनरल पुलिस के पाली आगमन पर की गई और शिकायत सही पाई गई व कागजात व माल थानेदार के मकान में पाये गये ?

(घ) उक्त शिकायत साबित होने पर भी उस थानेदार के विरुद्ध अभी तक कोई विभागीय कार्यवाही नहीं की जाने के क्या कारण हैं ?

**गृह मंत्री** ( श्री रामकिशोर व्यास ) : (क) जी हां।

(ख) चार्ज शीट की गई और इसका इन्द्राज एस. एच. ओ. द्वारा किया गया और मुकद्दमा पी. आई. के पास अदालत

# Page No.6



( श्री रामकिशोर व्यास )

में पेश करने के वास्ते भेजा गया परन्तु यह उसके द्वारा कुछ ऐतराज करके वापिस भेज दिया गया।

(ग) यह मामला आई. जी. पी. के मुआयने के समय उनके नोटिस में लाया गया और फायल पुराने रेकॉर्ड से खोज कर निकाली गई न कि थानेदार के निजी मकान से।

(घ) तेजराज एस. आई. के खिलाफ एस. पी. पाली द्वारा जांच की जा रही है।

**श्री मनरूपराम परिहार** : यह कब से जांच की जा रही है ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : आई. जी. वहां गये तब से।

## प्राइवेट पॉवर हाउसेज को सरकार के अधिकार में लेने के सम्बन्ध में

११३६. **श्री श्रीराम बासोतिया** ( नवलगढ़ ) : क्या मंत्री, विद्युत विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या राजस्थान में जितने प्राइवेट पॉवर हाउस हैं, उनको सरकार अपने अधिकार में लेने का इरादा रखती है ? अगर हां तो कब तक ?

(२) नवलगढ़ पॉवर हाउस के बारे में सरकार का क्या इरादा है ?

**विद्युत मंत्री** ( श्री रामकिशोर व्यास) : (१) अभी ऐसी कोई योजना बोर्ड के विचाराधीन नहीं है।

(२) बोर्ड ने अभी इस विषय में कोई विचार नहीं किया है।

**श्री पी. के. चौधरी** ( फुलेरा ) : राजस्थान में कितने प्राइवेट पॉवर हाउसेज़ हैं?

**श्री रामकिशोर व्यास** : यह तो अलग प्रश्न है और इसमें सूचना की जरूरत है फिर भी शायद २०—२२ के करीब पॉवर हाउसेज़ प्राइवेट होंगे।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या सरकार इन प्राइवेट पॉवर हाउसेज़ को अपने आधीन लेने की सोच रही है ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : इसी सवाल का तो जवाब दिया है।

**श्री पी. के. चौधरी** : आपने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इस सम्बन्ध में विचार नहीं कर रहा है। लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का बजट पेश हुआ था तो उस समय एक लाख रुपये की टोकन ग्रान्ट पॉवर हाउसेज़ को अपने आधीन लेने के रखे थे ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : वह तो पहले के लिए हुए हैं, उनके लिए रकम थी।

**श्री पी. के. चौधरी** : कौन से हैं पहले के ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : सिरोही है, सीकर है।

**श्री श्रीराम बासोतिया** : आपने मेरे दूसरे सवाल का क्या जवाब दिया है ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : 'नहीं' बताया है मैंने।

**श्री श्रीराम बासोतिया** : नहीं क्यों ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : अभी लेने का कोई इरादा नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : श्री तेजाराम

**बन्ध नया गांव, तहसील सोजत**

११४०. **श्री तेजाराम गहलोत** ( सोजत ) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि सोजत तहसील में बन्ध नया गांव एक पुराना बन्ध है। जिसके बनते वक्त खामी रहने से सेजे का पानी बाहर बहुत निकलता है ?

(ख) क्या यह सही है कि बन्ध के भर जाने से वर्षा में सेजा इतना चलता है कि गांव में बने घरों में पानी आ जाता है, गांव के बाहर करीब एक मील की दूर में पानी बहता रहता है, जिससे आने जाने वालों को पानी में होकर हो जाना पड़ता हैं ?

(ग) क्या यह सही है कि इसी सेजे के पानी को एक नाले में निकालने के लिए महकमा सिंचाई द्वारा एक जगह काफी लम्बी खाई भी दी गई है ?

(घ) क्या यह सही है कि पहिले इस रास्ते को महकमा सिंचाई वाले ही ठीक करवाते थे ?

(च) क्या सरकार ग्रामवासियों की इस तकलीफ को दूर करेगी ?

**सिंचाई मंत्री** (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) नया गांव उर्फ चौपरा बांध पुराना है और उससे काफी सेजा निकलता है। उसके बनने में खामी रहने की इस विभाग को कोई जानकारी नहीं है।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) इस विषय में जांच जारी है। समाप्त होने पर ही उचित उपाय का निश्चय किया जा सकेगा।

(ङ) रिकॉर्ड के अनुसार यह सही नहीं है।

(च) तकलीफ को हल करने के लिए आवश्यक उपाय जारी है।

**श्री तेजाराम गहलोत** : क्या तकलीफ दूर करने के लिए कार्य जारी है ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : जांच कर रहे हैं कि क्या हल हो सकता है।

**श्री तेजराम गहलोत** : आपने फरमाया कि तकलीफ को दूर करने के लिए कार्य जारी है तो क्या सरकार ने निर्णय लिया है पानी को रोकने का या फिर क्या किया है ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : अभी निर्णय कोई नहीं किया है।

**रावराजा सरदार सिंह** (उनियारा) : जो बड़े बड़े बांध हैं उनके लिए क्या योजना है ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : वे बेकार नहीं पड़े हैं, काम में आ रहे हैं।

**श्री तेजाराम गहलोत** : तो इसका निर्णय कब तक ले लिया जायगा ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : कोई तिथि नहीं कही जा सकती ।

**श्री अध्यक्ष** : डॉक्टर चन्द्रकला ।

## चांदपोल बाजार, जयपुर के पास पक्के नाले का निर्माण

**डॉ० चन्द्रकला** ( किशनपोल बाजार, जयपुर ) : क्या स्वायत शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या जयपुर शहर के चांदपोल दरवाजे से पानी के निकास के लिए कोई पक्का नाला बनाया जा रहा है ? यदि हां तो उसके कहां तक बनाये जाने की योजना है ?

(२) उक्त नाला अब तक कितना बन चुका है और शेष भाग कब तक बन जाने की आशा है ?

(३) क्या यह सच है कि यदि नाले को अभी जिस स्थिति में है वैसा ही छोड दिया गया तो जालुपुरा बस्ती के कई घरों को खतरा हो जावेगा ? यदि हां, तो सरकार उसके बचाव के लिए क्या व्यवस्था कर रही है ?

**स्वायत शासन मन्त्री** ( श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ) : (१) जी हां, यह फिलहाल ग्रेन मण्डी तक ही बनाया जा रहा है ।

(२) नाला बनाने का कार्य लगभग सम्पूर्ण हो चुका है ।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**डॉ चन्द्रकला** : क्या सरकार को मालूम है कि यह नाला सम्पूर्ण नहीं हुआ है और यह अभी तक जालुपुरा बस्ती के शुरुआत तक ही बन पाया है तो क्या सरकार को यह खतरा नहीं मालूम हुआ है कि बरसात में पानी जब आयेगा तो कई कच्चे घरों के बह जाने की आशंका है ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : खतरे का सवाल पैदा नहीं होता। जो कच्चा नाला बना हुआ है उसमें से पानी निकल जायगा और जो पक्का बन रहा है उसमें से निकल जायगा । खतरे का सवाल ही नहीं है ।

**डॉ० चन्द्रकला** : यह मिनिस्टर साहब की राय है या विशेषज्ञों की राय है ? जहां पक्का नाला बना हुआ है वहां बंधा हुआ पानी आयेगा और एकाएक खुलेगा तो बरसात के दिनों में खतरा जरूर है क्योंकि उसके मुंह के पास ही कुछ कच्चे घर बने हुए हैं ।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : मिनिस्टर जो राय देता है वह डिपार्टमेंट की राय और एक्सपर्ट की राय के मुताबिक ही देता है । मेरे पास जो जवाब लिखा है उसके मुताबिक ही कह रहा हूं । जो कच्चा नाला बना हुआ है उसमें से पानी निकल जायेगा ।

**डॉ० चन्द्रकला** : पहले नाला पूरा ही कच्चा था तब खतरा नहीं था । अब शुरू में कुछ पक्का बना दिया और आखिर में कुछ पक्का और बीच में कच्चा छोड़ दिया गया है । उसके मुंह के पास ही कुछ मकान हैं वहां पानी भर जायेगा और बरसात में जब

( डॉ० चन्द्रकला )

पानी ज़ोर से आयेगा तो मकान बह जाने खतरा है ।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : मैं तो आपके इस आर्ग्यूमेंट को समझ नहीं पाया । जो नाला बनाया गया है वह पक्का और बन्द है तो उसमें तो जितना पानी निकलना चाहिये उतना ही निकलेगा ।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : नाला किस जगह जाकर मिलाया गया है ।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : मैंने कहा कि यह कोई नया नाला नहीं निकला है । यह पहले से ही कच्चा नाला था । न्यू कालोनी में जो कच्चा नाला निकलता है उसकी बात है ।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** : न्यू कालोनी में नाला निकला है तो यह नाला बीच तक हो रह गया है पूरा पक्का क्यों नहीं बना है ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : पहले था जैसा का जैसा ही है कुछ हिस्सा पक्का बना दिया गया है ।

**डॉ० चन्द्रकला** : पहले कुछ दूर तक कच्चा बना हुआ था । अब कुछ दूर तक पक्का बना दिया है शुरू में और आखिर में और बीच में थोड़ी सी जगह कच्चा है उसी जगह से खतरा है ।

**श्री अध्यक्ष** : आपका मतलब है कि पूरा पक्का क्यों नहीं बना देते ।

**डॉ० चन्द्रकला** : मेरा मतलब यह नहीं है । जो पक्का बना हुआ है वह तो है ही पर जब पानी जोर से बरसात के दिनों में आयेगा और उसमें से निकलेगा तो उन घरों को खतरा है जो बिल्कुल उसके मुंह के पास हैं ।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : तो जो पक्का नाला बना हुआ है और उसमें से जितने पानी के निकलने के लिए जगह होगी उतना ही तो पानी निकलेगा । कोई फ्लड आने का तो सवाल है नहीं । जब तक नाला बन्द बना हुआ है तो ज्यादा पानी निकलने का सवाल ही नहीं है ।

**श्री मदनसिंह** ( दांता रामगढ़ ) : जो नाला है और उसके पास जो मकान हैं उनको अगर बरसात से कुछ क्षति हुई तो उसको सरकार भुगतेगी ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : वह तो हाइ-पोथेटिकल सवाल है ।

**श्री मदनसिंह** : वहां बराबर खतरा है । अगर उसकी गारन्टी सरकार नहीं देती है तो ऐसे नाले बनाकर के तो आप सारे जयपुर को खत्म करवा देंगे । ( हंसी )

**रावराजा श्री सरदारसिंह** : यह मामूली बात है । नाले को बीच में ही छोड़ दिया गया तो जो नाला न्यू कालोनी को निकलेगा उसको क्यों नहीं मिला दिया जाता ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : नाला पहले से ही बना हुआ है । कुछ हिस्सा पक्का बना दिया गया है तो इसमें क्या जुर्म कर दिया है । अब इसमें से जो पानी निकलेगा वह लिमिटेड पानी होगा और इस तरह पानी से कुछ मकान बह जाने का खतरा बिल्कुल नहीं है ।

**डॉ॰ चन्द्रकला** : तो क्या सरकार इस बात की गारन्टी देती है कि इस नाले से बरसात के दिनों में कोई खतरा नहीं है ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : सरकार की तो सारी गारन्टी है। सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की गारन्टी सरकार की है।

**प्रश्न संख्या ११४२**

**श्री अध्यक्ष** : श्री वीराराम

( अनुपस्थिति )

**प्रश्न संख्या ११४३**

श्री रामधन ( अनुपस्थित )

**सिंचाई की दरें**

११४४. **श्री शिवचरणदास** (माण्डल-श्री मदनसिंह दांता द्वारा पूछा गया) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि छोटे व बड़े बांधों की सिंचाई दर एक ही है ?

(ख) क्या यह सही है कि छोटे बांधों से उतनी मात्रा में पानी नहीं दिया जाता है जितना बड़े बांधों से ?

(ग) क्या सरकार छोटे व बड़े तालाबों से सिंचाई की भिन्न भिन्न दरें कायम करने का विचार रखती है ?

**सिंचाई मंत्री** (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) सिंचाई की दरें इर्रिगेशन एण्ड ड्रेनेज रूल्स परिशिष्ट नं॰ २ के मुताबिक हैं।

(ख) छोटे व बड़े बांध से दी जाने वाली पानी की मात्रा उनमें संग्रहित ( एक्युअल स्टोरेज ) पर निर्भर है।

(ग) ऐसा कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

**श्री मदनसिंह** : पहले प्रश्न का मतलब नहीं समझा। क्या एक ही दर है ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : जी हां।

**श्री मदनसिंह** : तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब पानी बराबर ठीक ढंग से नहीं मिलता तो एक ही दर कैसे हैं ? क्योंकि जितने भी बड़े बांध हैं उनमें पानी बराबर टाइम पर मिलता है। रबी की फसल में जितने भी बड़े बांध हैं उनमें चार दफा पानी मिलता है। लेकिन जो छोटे छोटे बांध हैं वहां बहुत कम पानी मिलता है, तो जब पानी भी कम मिलता है तो दर एक ही कैसे है ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : यह तो इर्रिगेशन एण्ड ड्रेनेज सिस्टम से है। रूल्स के मुताबिक अगर पानी कम मिलता है तो कटौती हो जायेगी।

**श्री मदनसिंह** : यह जो छोटे बांध हैं इनसे पानी बहुत कम मिलता है। जैसे मेजा बांध है उससे तो पानी पूरा मिलता है। लेकिन जो छोटे बांध हैं उनसे पानी पूरा नहीं मिलता और जहां पानी मिलता है और जहां नहीं मिलता, वहां दरें एक हैं ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : अगर किसी को एक ही पानी मिला है तो उस हिसाब से पैसा उसका कट जायेगा। कोई बांध छोटा है या बड़ा है उससे कोई मतलब नहीं। वह तो जितना पानी उसको मिलेगा उतना ही उसको

( श्री रामकिशोर व्यास )

पैसा देना होगा सिंचाई का। अगर छोटे तालाब भर गये हैं और उनसे पानी पूरा मिलता है तो उतना पैसा लिया जायेगा, नहीं तो नहीं।

**श्री मदनसिंह** : आपने कहा कि अगर पानी नहीं मिलता है तो दरें कटेंगी।

**श्री रामकिशोर व्यास** : जहां पानी पूरा नहीं मिलता है तो वहां उनको रिलीफ मिलता है।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा): आपने कहा कि दरें एक हैं तो जहां सिलूस से पानी जाता है वहां एक ही दर है और ढेकलियों से पानी चढ़ता है तो उसकी भी दर एक है ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : वह तो इर्रिगेशन रूल्स का मुलाहिजा कर लीजिए।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** : जो सिलूस से पानी जाती है और ढेकलियों से पानी नहीं चढ़ता तो उनकी और इसकी दर एक ही है ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : जी हां, एक ही हैं।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** : एक ही कैसे हो सकता है ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : आप रूल्स में अमेन्डमेन्ट प्रपोज़ कर दीजिए।

**श्री पी. के. चौधरी** ( फुलेरा ) : रूल्स तो आप बनाते हैं, हम कैसे अमेन्डमेन्ट प्रपोज़ कर दें ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : आप सजेस्ट कर दीजिए।

**प्रश्न संख्या ११४५**

**श्री अध्यक्ष** : श्री हीरा।

( अनुपस्थित )

**प्रश्न संख्या ११४६**

श्री लक्ष्मण हीरात

( अनुपस्थित )

श्री किशनलाल शर्मा

**राजसमन्द तालाब से सिंचाई**

११४७. **श्री किशनलाल शर्मा** (नाथद्वारा) क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) राजसमन्द तालाब से राजसमन्द और रेलमगरा तहसीलों में कितनी ज़मीन की सिंचाई होती है ?

(ख) उक्त दोनों तहसीलों में पिछले ५ वर्षों में सिंचाई से कितनी आय हुई ? वार्षिक आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(ग) मांदड़ी बांध से इस वर्ष कितनी जमीन सिंचित की गई ?

(घ) उक्त बांध से निर्धारित लक्ष्य से कम सिंचाई क्यों हुई ?

**गृह मन्त्री** ( श्री रामकिशोर व्यास ) : (क) राजसमन्द तालाब से इन तहसीलों में ज्यादा से ज्यादा ७००० एकड़ और कम से कम ६०० एकड़ जमीन की सिंचाई होती है।

(ख) इनका ब्योरा निम्न प्रकार है :

| | |
|---|---|
| सन् ५३–५४ में | ३१,६१७ रू० |
| सन् ५४–५५ में | १२,७८५ रू० |
| सन् ५५–५६ में | २२,११६ रू० |
| सन् ५६–५७ में | १४,६४८ रू० |
| सन् ५७–५८ में | १६,०४३ रू० |

(ग) ६,७६८ बीघा।

(घ) नये बांध से सिंचाई ग्रेज्युअली होती है।

**श्री सोहनलाल भटनागर** (सलूम्बर) : राजसमन्द तालाब से सिंचाई प्रतिवर्ष कम क्यों हो रही है ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : कम नहीं हो रही है। ५६–५७ में १४००० बीघा थी, ५७–५८ में १५००० बीघा हुई।

## राजस्थान में पोस्ट ग्रेज्युएट क्वालिफिकेशन के सर्जन डॉक्टर

**११४८. श्री अनोपसिंह** ( बालोतरा–डॉ० बहादुरसिंह द्वारा पूछा गया ) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान में कुल कितने सर्जन डॉक्टर पोस्ट ग्रेज्युएट क्वालिफिकेशन के हैं और उनकी क्या क्या योग्यताएं हैं ?

(ख) क्या एम. एस. डिग्री हासिल डॉक्टर भी तृतीय श्रेणी के जिला अस्पताल में रखे गये हैं ? यदि हां, तो ऐसे कौन कौन हैं और किस किस जगह पर नियुक्त हैं।

**स्वास्थ्य मन्त्री** (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) राजस्थान में २१ पोस्ट ग्रेज्युएट सरजन्स हैं जिनकी योग्यता सूची में दर्ज है।

(ख) कुल एक डॉक्टर श्री एस. एम. गुप्ता नागोर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हैं।

**डॉ० बहादुरसिंह** : श्री गुप्ता को सेकिन्ड ग्रेड में किस प्रकार रखा है ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर में अस्पताल मौजूद है।

( कृपया परिशिष्ट १ पर देखिये )

**प्रश्न संख्या ११४९**

श्री बालमुकुन्द।

( अनुपस्थित )

**प्रश्न संख्या ११५०**

**श्री अध्यक्ष** : शिवचरणदास।

( अनुपस्थित

## झालावाड़ जिले के कुछ थानों में कागज पेन्सिल का अभाव

**११५१. श्री रामचन्द्र** (डग–सु०): क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि झालावाड़ जिले के कुछ थानों में पुलिस अधिकारी थाने में कागज पेन्सिल का अभाव बतला कर रिपोर्ट दर्ज करने के लिए रिपोर्ट करने वाले से एक

( श्री रामचन्द्र )

दस्ता कागज, चार शीट कारबन पेपर और एक कोपिंग पेन्सिल लेकर रिपोर्ट दर्ज करते हैं ?

(२) क्या थाना झालावाड़ और थाना गंगधार में लोगों से इस प्रकार कागज पेन्सिल लेकर ही रिपोर्ट दर्ज की गई ?

**गृह मंत्री** ( श्री रामकिशोर व्यास ) : (१) और (२), ऐसी कोई शिकायत सरकार के नोटिस में नहीं लाई गई।

श्री **रामचन्द्र** : क्या ऐसी शिकायत पेश होगी तो जांच करायेंगे ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : जरूर।

**श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या यह सच है कि पुलिस विभाग को जो कागज दिये जाते हैं वे इन्फीरियर टाइप के हैं ?

**श्री रामकिशोर व्यास**: प्रेस डिपार्टमेन्ट से जो कागज दूसरों को दिये जाते हैं वे ही इनको भी दिये जाते हैं।

**श्री मूलचन्द** डागा : ये बहुत इन्फीरियर तरह के कागज होते हैं। जो नकल की जाती है वह पूरी तरह से पढ़ी भी नहीं जाती।

**श्री रामकिशोर** व्यास: प्रेस से सब को मिलता है वही इनको भी मिलता है।

**श्री मूलचन्द** डागा : इनको पीला कागज मिलता है।

**श्री पी. के. चौधरी** (फुलेरा) : पार्ट (२) की जानकारी किससे लेकर बताई गई ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : From our own department.

**बस रूट अजमेरी गेट गांधीनगर**

११५२. **डॉ. चन्द्रकला** ( किशनपोल बाज़ार, जयपुर) : क्या यातायात मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) अजमेरी दरवाजे से गांधीनगर जाने वाली बस का रूट क्या है ?

(२) क्या यह सच है कि यह बस गांधीनगर से ही घूम कर आ जाती है जिससे कि आगे की बस्ती के लोगों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है ?

(३) क्या जनता की ओर से ऐसी मांग आई है कि उक्त बस झालाना फाटक के पास से होकर लौटा करे तो अधिक सुविधा हो सकती है ?

(४) क्या सरकार जनता की मांग को ध्यान में रखकर बस के रूट को बढ़ाकर लोगों को सुविधा प्रदान करने का विचार रखती है ?

**यातायात मंत्री** (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) एस. एम. एस. हॉस्पिटल और रामबाग चौराहे होकर।

(२) जी हां।

(३) जी हां।

(४) मामला विचाराधीन है।

डॉ० **चन्द्रकला** : यह मांग कब से विचाराधीन है ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : जबसे आई तब से।

**डॉ. चन्द्रकला** : कब आई ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : अभी थोड़े अर्से पहले आई, एग्ज़ेक्ट टाइम मेरे पास नहीं है।

**डॉ. चन्द्रकला** : इस प्रकार की छोटी सी बात को कितना समय लगता है ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : सरकार फैसला नहीं देती।

**डॉ. चन्द्रकला** : आर. टी. ओ. को कितना टाइम लगता है ? जल्दी करना चाहिये।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : सरकार ऐसे मामलों में आर. टी. ओ. को नहीं कहती है।

**डॉ. चन्द्रकला** : यदि ठीक समय पर नहीं करें तब ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : उनको एप्रोच किया जाय और फिर कानून के मुताबिक आगे बढ़ा जाय।

### महाराजा श्री उम्मेद मिल्स पाली के मज़दूरों की मांगें

११२६. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(१) क्या आपने दिसम्बर १९५८ में महाराजा उम्मेद मिल्स पाली के मज़दूरों की सब बातें सुनने के बाद संबंधित रिकॉर्ड मंगाकर जांच की ?

(२) क्या यह पाया गया है कि ठेके के मज़दूरों (पीस रेटेड वर्कर्स) की पगारों में कटौती हुई है ?

**श्रम मन्त्री** (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) संबंधित रेकॉर्ड व्यवस्थापक महाराजा उम्मेद मिल्स से मांगे गये थे पर वे उनसे अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। रेकॉर्ड प्राप्त होने पर जांच की जावेगी।

(२) जांच होने पर ही बताया जा सकेगा।

**श्री मूलचन्द डागा** : रेकॉर्ड मंगाये हुए करीब ३ महीने हो चुके हैं फिर भी रेकॉर्ड नहीं आया उसका क्या कारण है ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : उनको पूछा है कि कौन कौनसा चाहिये, जल्दी ही हो जायेगा।

**श्री मूलचन्द डागा** : पीस रेटेड मजदूर हैं उनमें कटौती हुई या नहीं उसका रेकॉर्ड मांगा था।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : उनका जवाब आया है, जल्दी ही भेज देंगे।

**श्री मूलचन्द डागा** : आपने ऑर्डर भेजा है उसको रेफर कर देंगे।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : रिमाइन्ड करवा देंगे।

**श्री अध्यक्ष** : श्री लक्ष्मीचन्द।

(अनुपस्थित)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

# Page No.15



**श्री गांधी बहुधन्धी सहकारी समिति बदनोर में गबन**

११३६. **श्री जयसिंह** (आसिन्द): श्री पी. के. चौधरी द्वारा पूछा गया) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) श्री गांधी बहुधन्धी सहकारी समिति बदनोर, तहसील आसिन्द में कितने हजार रूपये का गबन किस तारीख को किसकी सूचना पर पकड़ा गया। एवं पुलिस में यह केस कब दायर हुआ ?

(ख) इस गबन का अपराधी कौन व्यक्ति है ? क्या वे वहां की ग्राम पंचायत के सरपंच और नम्बरदार भी हैं ?

(ग) गबन की जानकारी व कार्यवाही की तारीख के कितने महीनों बाद कितनी रकम सहकारी बैंक भीलवाड़ा में जमा हुई ?

(घ) इस समिति के कुलिया रेकॉर्ड का मुआवजा क्या अब तक भी मुकम्मिल हो पाया है ? यदि नहीं, तो क्या वज़ह है ?

(ङ) क्या यह सही है कि उक्त व्यक्ति ने गबन से बचने के लिये ऐसा कोई प्रस्ताव पास कर लिया है जिसकी अवैधानिकता असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, भीलवाड़ा के ध्यान में आ गई है ?

**सहकारी मंत्री** (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) ५८०० रू० का गबन दिनांक १०.८.५८ को निरीक्षक सहकारी समितियों की सूचना पर पकड़ा गया और दिनांक २६.८.५८ को यह मामला पुलिस में दायर हुआ।

(ख) इस गबन के अपराधी श्री लक्ष्मीनारायण व्यास समिति के मंत्री हैं। यह यहां की पंचायत के सरपंच भी हैं परन्तु अब नंबरदार नहीं हैं।

(ग) तीन महीने बाद भीलवाड़ा बैंक में निम्न प्रकार रकम जमा हुई :

१३.११.५८ को ५८०० रू०

२०.११.५८ को ६७८ रु० २१ नये पैसे मूल व १४१५ रु० ४ नये पैसे व्याज।

इस समिति का पूरा ऑडिट तथा निरीक्षण हो चुका है।

(ङ) जी हां।

**श्री पी. के. चौधरी** : जिन्होंने रूपये गबन किये उनके खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : मैंने बताये कि एक्शन हमारे लेने की बात नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : श्री वीराराम।

(अनुपस्थित)

श्री रामधन।

(अनुपस्थित)

श्री हीरा।

(अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मण हीरात।

(अनुपस्थित)

८.१८ म० पू०

प्रश्न समाप्त हुए। स्थगन प्रस्ताव

**बीकानेर से प्रकाशित 'इन्कलाव' के सम्पादकीय मंडल के सदस्यों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव**

श्री अध्यक्ष:बीकानेर से प्रकाशित 'इन्कलाब'

Page No.16

[redacted]



( श्री अध्यक्ष )

सम्पादकीय मंडल के सदस्यों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में श्री मुरलीधर व्यास, श्री गिरधारीलाल एवं श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस सम्बन्ध में सरकार से जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि यह गिरफ्तारियां कोर्ट के वारंट के तहत की गई थी। ऐसी अवस्था में यह मामला इतना सार्वजनिक महत्व का नहीं रहता है कि सदन की आज की कार्यवाही उस पर वादविवाद करने हेतु स्थगित की जावे। अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूं।

मैं निवेदन करूंगा कि माननीय गृह मंत्री इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें जिससे स्थिति स्पष्ट हो जाय।

**गृह मंत्री** ( श्री रामकिशोर व्यास ) : अध्यक्ष महोदय, अदालत से चार आदमियों के नाम जमानती वारेन्ट और तलाशी वारेन्ट जारी किये गये, उसकी तहत तलाशी के लिये पुलिस वहां गई, उन्होंने वारेन्ट बताया और उनसे इसके लिये कह दिया। उन्होंने तलाशी देने से इन्कार किया इसलिये उनको गिरफ्तार किया गया। दूसरा सर्च वारेन्ट से तलाशी ली गई। तलाशी लेकर सामान जो लाना था, लिया। उनकी जमानत ली और उनको छोड़ दिया।

**श्री गिरधारीलाल** ( नोखा ) : क्या यह सही है कि जिस वक्त उनको गिरफ्तार किया गया उस वक्त उनको वारेन्ट नहीं दिखाया गया ?

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : सरे रास्ते उनको पकड़ा गया और वारेन्ट नहीं दिखाया गया।

**श्री रामकिशोर व्यास** : वे जहां भी मिलते उनको पकड़ना था।

**श्री गिरधारीलाल** : उनको वारेन्ट दिखाया गया या नहीं ? क्या यह सही है कि वारेन्ट नहीं दिखाया इसलिये जमानत नहीं दी ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : सेक्शन ५०० सी. आर. पी. सी. के अंतर्गत कार्यवाही की गई।

**श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : सेक्शन ५०० बेलेबल है लेकिन मुचलके भी लिये जा सकते है।

**श्री रामकिशोर व्यास** : अदालत से हो सकता है। सेक्शन ८४ भी लगी थी।

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** : नियम इस प्रकार के बनाये गये हैं कि राज्य के किसी अधिकारी को हथकड़ी नहीं लगाई जाती है लेकिन सार्वजनिक लोगों के साथ छोटी सी घटना ही नहीं कई घटनाएं इस प्रकार की हो रही हैं, जागीरदारों के साथ हुई, मेरे साथ ऐसी ही घटना हुई। इस प्रकार के नियम बनाये जाते हैं जिनसे एक तरफ सरकारी अधिकारी यदि भ्रष्टाचार के मामले में पकड़ा जाता है तो उसके हथकड़ियें नहीं लगाई जातीं लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र का आदमी चाहे कितना ही प्रतिष्ठित क्यों न हो उसको हथकड़ियां लगाई जाती है, इस प्रकार के नियम किस प्रकार बना रखे हैं ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : मैं आपसे निवेदन करूं कि किन किन मामलात में

# Page No.17



( श्री रामकिशोर व्यास )

हथकड़ियां लगाई जानी चाहिए और किन किन में नहीं लगाना चाहिए, इस पर गवर्नमेंट विचार कर रही है और उस पर निर्णय जल्दी लेगी। यदि कोई आवश्यकता होगी कि उनके बारे में कोई बेजा बात हुई है, तो जांच की जायगी।

**श्री गिरधारीलाल** : जिस वक्त कार्यालय की तलाशी ली गई उस वक्त जहां पत्रकारों में से या जनता का कोई व्यक्ति नहीं था और ताला तोड़कर तलाशी ली गई ?

**श्री अध्यक्ष** : जनता की जरूरत नहीं है। शिकायत आयेगी तो जांच करेंगे।

**श्री गिरधारीलाल** : जवाब नहीं इस तरह की अनियमितताएं हुई तो भी।

**श्री अध्यक्ष** : जांच का विषय है।

**श्री मदनसिंह** (दांता रामगढ़) : क्या यह नियम है कि गली गली उनको फिराया जाय ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : अधूरी इनफोर्मेशन आपको मिलती है उस आधार पर आप फर्माते हैं। उनको घरों से लाया जायगा तो यह सही है कि रास्ता भी आता है, बाजार आता है। स्पेशली कहीं लम्बी रूट हो और इन्डाइरेक्ट रूट लिया हो और छोटे से छोटे रास्ते से जाता है तो उसको न लिया जाय और लम्बके रास्ते को लिया जाय तो बात ठीक है।

**श्री मदनसिंह** (दांता रामगढ़): तो क्या यह सही है कि जिस रूट से उनको लाया गया कार्यालय की तलाशी लेने के बाद वह शार्टेस्ट था ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : जी हां शार्टेस्ट था।

**श्री गिरधारीलाल** : कार्यालय की तलाशी लेने के बाद कार्यालय को खुला छोड़ दिया और बहुत से कीमती कागजात और सामान चोरी चला गया, और जब पत्रकार रिपोर्ट दर्ज कराने गये तो उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई।

**श्री रामकिशोर व्यास** : कागज़ लेने के लिए ही तो उनका सर्च वारन्ट था।

**श्री गिरधारीलाल** : उसको खुला छोड़ दिया या नहीं ? जवाब दें।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : कागज़ों के अलावा और माल भी मिला क्या ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : खाना तलाशी की लिस्ट मेरे पास मौजूद नहीं है। अगर आप जानना चाहें कि क्या क्या चीजें ली गई तो अलग से सवाल पूछें तो जवाब दिया जा सकता है।

**श्री गिरधारीलाल** : उसकी जुडिशियल एन्क्वायरी सरकार कब तक करायेगी ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : कोई जुडिशियल एन्क्वायरी करवाने की ज़रूरत नहीं है।

८.२३ म० पू०

## विधायी कार्य

# Page No.18



**राजस्थान उप-कर समाप्ति विधेयक, १९५९**
(प्रवर-समिति को सुपुर्द किये जाने के प्रस्ताव पर वादविवाद)

**गृह मंत्री** ( श्री रामकिशोर व्यास ) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान डिस्कान्टिनुएन्स ऑफ सेसेस बिल, १९५९ को विचारार्थ लिया जाय।

**श्री अध्यक्ष** : डॉ० चन्द्रकला।

**डॉ० चन्द्रकला** ( किशनपोल बाज़ार, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान डिस्कॉन्टिनुएन्स ऑफ सेसेस बिल, १९५९ के संबंध में मेरा प्रस्ताव है कि इसको प्रवर-समिति के सुपुर्द किया जाय। वैसे देखने में यह एक बहुत छोटासा केवल ५ धाराओं का विधेयक है जिस पर बहुत आसानी से हम यहीं सदन में विचार करके और इसको पास कर सकते हैं। लेकिन जब इस विधेयक की धाराओं को हम देखते हैं और उनको ध्यान से पढ़ते हैं तब ऐसा जरूर मालूम पड़ता है कि इस पर कुछ अधिक अच्छी तरह से विचार करने की आवश्यकता है। इस सब से पहले इसमें बताया गया है कि यह जो विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया है इसमें सर्टन सेसेस मायने कतिपय उपकरों को समाप्त करने की बात की गई है। जहां तक उपकरों का संबंध है यह उपकर न जनता चाहती है, और इस विधेयक से मालूम पड़ता है कि सरकार भी इस तरह के उपकरों को किसी तरह से लगाना नहीं चाहती, और जितना जल्दी हो सके इन उपकरों को जो हमारी उन पुरानी प्रथाओं के सूचक हैं जिनके भार से जनता बहुत दबी और दुखी थी, समाप्त करना चाहती है। पहले जमींदारी और जागीरदारी प्रथा जब थी तब बहुत इस तरह के छोटे छोटे उपकर लिये जाते थे। यदि जमींदार के घर में शादी है तो शादी का खर्चा उपकर के रूप में वसूल किया जाता था। जमींदार घोड़ा खरीदता था उसका भी उपकर के रूप में पैसा वसूल कर लिया जाता था। इस तरह से जमींदार के घर में होने वाला कोई भी काम किसी तरह का हो, उसका खर्चा उपकर के रूप में जनता से वसूल होता था। ज्योंही हम स्वतन्त्र हुए हमारी सरकार ने इन उपकरों को समाप्त करने की बात सोची और जैसा कि विधेयक के उद्देश्य और कारणों में बताया गया है कि इसके लिए दिसम्बर सन् ५३ में एक जांच कमेटी बैठाई गई थी और उस जांच कमेटी ने जांच करके यह बताया कि यद्यपि राजस्थान की तत्कालीन राजनैतिक इकाइयों में, उस समय की रियासतों ने उप-करों को समाप्त करने के लिए कानून और अध्यादेश वगैरह जारी किये थे, लेकिन उसका पूरा पूरा पालन नहीं होता था और ये उपकर वसूल किये जाते रहे हैं। इन उपकरों को समाप्त करना है। तो, जहां तक उपकरों को समाप्त करने की बात है, उसका विरोध कोई नहीं करेगा। यह सदन और सारी जनता इसका स्वागत ही करेगी। लेकिन जब हम विधेयक की धारा २ को देखते हैं, तो उसमें सरकार ने इतनी सारी बातें, इस तरह की छूट की बात कर रखी है कि जिसको देखते हुए ऐसा लगता है कि जिस भावना से हम उपकर समाप्त करने जा रहे हैं वह उपकर हम समाप्त नहीं कर पायेंगे, बल्कि कई एक उपकर ज्यों के त्यों रहने देंगे।

इस विधेयक की क्लॉज ३ में बताया गया है:—

"(१) राज्य के किसी भाग में प्रवर्तन-शील किसी विपरीत रूढ़ि, व्यवहार, प्रथा या

# Page No.19



( डॉ चन्द्रकला )

इकरारनामा होते हुए भी, क्लाज ५ में निर्दिष्ट..........." तो क्लाज ५ को यदि हम देखते हैं तो उसमें सरकार ने सेविंग्स, बहुत से उपकरों को छूट में रख रखा है। इस क्लाज ५ को रखने के बाद क्लॉज २ का बहुत कुछ मतलब नहीं रह जाता है और इसके साथ यह भी लिखा है कि:—

"..........किसी विशिष्ट विधि द्वारा आरोपित या राज्य सरकार द्वारा अनुमत, उपकरों तथा प्रभारों के अतिरिक्त ऐसे समस्त उपकर तथा प्रभार चाहे वे किसी नाम से से जाने जाते हो, जिनकी वसूली, कृषिक खातों के काश्तकारों से या अन्य व्यक्तियों, चाहे वे काश्तकार हों या ग्राम कर्मी हों या दुकानदार हों, से लगान के साथ की जाती है, एतद्द्वारा उत्सादित किये जाते हैं"

जहां तक क्लॉज २ थी वह तो ठीक थी। लेकिन क्लॉज ५ में बहुत सारे उपकर जो हैं, उनको बचा लिया गया है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि इसमें यह देखा जाय कि कौन कौन से सेस हम लेना चाहते हैं। मेरी राय मे उपकर के नाम से कोई ऐसी चीज नहीं लेनी चाहिए जैसे चराई, घासमारी जैसा कि ५ के भाग (१) में लिखा गया है। इस तरह के कौन कौन से कर रखने हैं, तो उनको उपकर न रखकर उसी तरह से जोड़ देना चाहिए करों के साथ। लेकिन वास्तव में अब राजस्थान एक बन चुका है। इसकी एक इकाई बन चुकी है। तो सब जगह एक सा ही नियम और एक सा ही विधि विधान होना चाहिए, और यदि कहीं पर कुछ भिन्नता हो, करों की दरों में फर्क हो तो उसको एक कर देना चाहिए और एक करके उसके लिए अलग अलग दरें बना सकते हैं। जहां ज़मीन अधिक उपजाऊ हो, नहरी इलाका हो, सिंचाई होती हो, जहां कि ज़मीन चराई के काम में आती हो या और उपयोग में आती हो तो उसका भूमिकर उसी आधार पर निश्चित कर देना चाहिए और पूरे राजस्थान भर के लिए एक होना चाहिए। जहां तक उपकरों का सवाल है इसको हर हालत में समाप्त कर देना चाहिए। नहीं तो यदि हम थोड़ी सी बचत रख लेते हैं तो उस बचत की आड़ में दूसरे दूसरे कर चालू रह जाते हैं और जिस मन्शा से इस विधेयक को लाकर विचार करना चाहते हैं या पास करके लागू कर देना चाहते हैं वह पूरा नहीं होगा। इसमें यह भी बताया गया है कि सरकारी ज़मीन से उपकर हटा दिये गये हैं या हटा देने का आदेश जारी कर दिया गया है उसकी हाउस से सैन्क्शन कराना चाहते हैं ताकि ज्योंही यह कानून पास हो जायेगा, वह सारी कार्यवाही वैध हो जायगी। सरकारी ज़मीन की तरह और ज़मीनों पर भी ऐसा होना चाहिए कि भूमिकर के अलावा दूसरा किसी तरह का उपकर नहीं लगना चाहिए, ऐसा मेरा ख्याल है। इसी उद्देश्य से मैंने यह प्रस्ताव रखा है। यदि हम यहां इस विधेयक को पास कर देते हैं तो क्लॉज ५ को लेकर कई उपकर यों के यों ही बने रह जाते हैं, इसलिए उन उपकरों के बारे में अच्छी तरह से सोच विचारकर इस बात का निश्चय करके कि इस तरह का विधान बनाना है, नियम बनाने हैं कि किसी तरह का उपकर बाकी न रह जाय। इसी उद्देश्य से मैंने यह प्रस्ताव रखा है। जल्दी से जल्दी एक दो दिन में सिलेक्ट कमेटी सारी बातों पर विचार करे और विचार करके निर्णय दे और फिर विधेयक को पास करें।

# Page No.20



**श्री दामोदरलाल व्यास** (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो प्रस्ताव इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिए पेश किया है, उसका मैं विरोध करता हूं। उसका कारण सिर्फ यह है, कि मैं समझता हूं कि माननीय सदस्या को इस बात की शायद गलतफहमी हो गई है, वे समझ रही हैं कि कई सेसेज़ ऐसे हैं जिनको वसूल किया जा रहा है और जिनको बन्द करने के लिए बिल पेश कर रहे हैं। दर-असल बात यह है कि राजस्थान बनने से पहले जितनी इन्टिग्रेटेड यूनिट्स थीं, उनमें प्रत्येक में अलग अलग तरह से सेसेज़ वसूल किये जा रहे थे और वे सेसेज़ १२५ के करीब थे। उन १२५ सेसेज़ को राजस्थान बनने के बाद वक्त वक्त पर एक्जीक्यूटिव ऑर्डर से बन्द कर दिया गया और वे बन्द हैं; वे वसूल नहीं हो रहे हैं। केवल अकाउन्ट्स के ऑब्जेक्शन्स को मीट करने के लिए इस कानून के जरिये उनको अबोलिश किया जा रहा है। वरना जहां तक वसूल करने का सवाल है, सेसेज़ इस प्रकार के थे, जो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ थे, इसलिए गवर्नमेंट ने उन्हें बन्द कर दिया। इसलिए इस बिल को प्रवर समिति के समक्ष प्रस्तुत करके इसमें कोई खास बात लाने की आवश्यकता नहीं है। उन सेसेज़ को ऑलरेडी बन्द कर दिया है, उनको वसूल नहीं करना चाहते उनको वेलीडेट करने के लिए यह कानून बना रहे हैं। इसलिए यह आवश्यकता नहीं है कि इसे प्रवर-समिति के सुपुर्द किया जाय। यह एक फार्मल बिल है, अतः इसे पास कर दिया जाय।

**डॉ० चन्द्र कला** (किशनपोल बाजार, जयपुर): क्लॉज ५ जो व्यावृत्ति है, इसे थोड़ा स्पष्ट कर दें तो अच्छा हो।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : इसके लिए अर्ज यह है कि सेविंग क्लॉज़ इसलिए दिया गया है कि कुछ कानून ऐसे हैं जिनमें सेसेज़ नहीं है। कुछ चार्जेज़ ऐसे हैं, मिसाल के तौर पर ग्रेजिंग ड्यूज़, हर जंगल की चराई अलग अलग यूनिट में अलग थी, वे वसूल की जा रही हैं। जो रेट्स मुकर्रर कर रखी हैं उन रेट्स का रेशनलाइजेशन कर दिया जाय और उसके बाद चराई एक हो जायगी। इसी प्रकार सायर है, अनऑक्यूपाइडलैंड के ऊपर जो ग्रेजिंग चार्जेज़ चार्ज करते हैं, कहीं सायर करते हैं, कहीं चराई करते हैं, किसी यूनिट में कुछ कहते हैं, किसी यूनिट में कुछ कहते हैं। उनको एक्स्प्लेन किया गया है, वे बदस्तूर वसूल करते रहेंगे। जहां तक सेसेज़ का ताल्लुक है, मैं कहना चाहता हूं कि टिनेन्सी एक्ट में प्रावधान किया गया है। वे ही सेसेज़ वसूल किये जायेंगे जिनकी लीगल संक्सन हो गई है, वे गवर्नमेंट के ऑथोराइज्ड सेसेज़ होंगे। They are authorised cesses. जैसा मैंने निवेदन किया कि आप अलग अलग यूनिट में देखेंगे तो सेसेज को अलग अलग नाम से रखा गया है।

**डॉ० चन्द्र कला** : सेसेज़ वालों को क्यों रखते हैं ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : I have already explained. ताकि गलतफहमी न हो जाय। जब कानून बनाते हैं तो सब कोर्नर्स से देख लेना पड़ता है कि इसके इन्टरप्रिटेशन में गलतफहमी न हो जाय और खामख्वाह लिटीगेशन न बढ़ जाय। कोई यह न समझे कि सब सेसेज़ बन्द हो गये हैं और सेसेज़ को अदा न करें और मुकदमा चलाये। इसलिए इसे एक्स्प्लेन कर दिया है ताकि इसके अन्दर किसी प्रकार की गलतफहमी न हो।

**श्री मूलचन्द डागा** ( पाली ) : एक बात और राजस्व मंत्री कहने की कृपा करें। ग्रेजिंग ड्यूज़ और सेस, इनका क्या सम्बन्ध है ? यह दोनों भिन्न भिन्न चीजें हैं। सेस अलग चीज़ है और ग्रेजिंग ड्यूज़ अलग चीज़ है।

**यातायात मन्त्री** ( श्री नाथूराम मिर्धा): मोटे दिमाग में कन्फ्यूजन हो जाया करता है।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मैं समझा चुका हूं कि ग्रेजिंग चार्जेज़ अलग हैं, इसके साथ नहीं हैं।

**डॉ० चन्द्रकला** : इस बिल में देने की क्यों आवश्यकता पड़ी ?

**श्री अध्यक्ष** : आपके दिमाग में गलतफहमी न हो कि इसको नहीं लिया जायेगा।

**डॉ० चन्द्र कला** : गलतफहमी रहेगी कि कुछ सेसेज़ रह गये हैं।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : कुछ गलतफहमी नहीं होगी, जो होगी, उसे दूर करने के लिए यह रखा है।

**श्री अध्यक्ष** : आप अपना प्रस्ताव वापिस ले रही हैं ?

**डॉ० चन्द्र कला** : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा चाहती हूं।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव डॉ० चन्द्रकला ने प्रस्तुत किया है उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

( स्वीकृति )

( आज्ञा प्रदान की गई )

**डॉ० चन्द्र कला** : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेती हूं।

**राजस्थान उप-कर समाप्ति विधेयक, १६५६**

(खंडश: विचार-विमर्श एवं पारण )

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

( स्वीकृत )

क्लॉज २। इस पर कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २ को स्वीकार किया जाय।

( स्वीकृत )

क्लॉज २ विधेयक का अंग बना।

क्लाज़ ३। डॉ० चन्द्र कला।

**डॉ० चन्द्रकला** ( किशनपोल बाजार, जयपुर) : [खण्ड ३ में से 'or imposed by some specific land or approved by the State Government' शब्द निकाल दिये जायं।] अध्यक्ष महोदय, जो शंका मैंने प्रवर-समिति को इस विधेयक को सुपुर्द करने के प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए रखी थी, वही शंका यहां हो रही है कि वास्तव में क्लॉज़ ३ में सेसेज़ को बन्द करने की बात है या अदर चार्जेज़ को बन्द करने की बात है। उसमें फिर इतने सारे सेविंग्स में आ जाते हैं, उससे समझ में नहीं आता कि किसे बचाना चाहते हैं ? माननीय मंत्री जी कहते हैं कि सब शंकायें दूर हो जायेंगी, कोई सैस लग न सके

( डॉ० चन्द्रकला )

और कोर्ट के चक्कर में न पड़ जायं। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि अनऑक्युपाइड लैंड से भूमि कर की बात नहीं होती है, उसका भूमि कर नहीं लेते हैं तो उप-कर की जरूरत नहीं रहती है। जो चार्ज होगा, वह कर हो जायगा, वह उप-कर नहीं होगा। कर और उप-कर का जो प्रश्न है, वह कन्फ्यूजन मेरे दिमाग में पैदा नहीं होगा, बल्कि यह जनता के दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा करेगा और जनता और सरकार के बीच में गडबड होने वाली है। इसलिए मैं कह रही हूं कि या तो मंत्री महोदय अच्छी तरह से स्पष्ट कर दें। इन शंकाओं के रहते हुए जिस तरह से यह विधेयक रखा है, इसे इसी तरह से रखेंगे तो गड़बड़ी होगी। यहां तो कह देते हैं कि इनको खत्म करेंगे और आगे कहते हैं कि उन कानूनों में जो कर हैं उन्हें वसूल करेंगे "other than those specified in section 5 or imposed by some specific law" एक ओर आप उप-करों को समाप्त करते हैं और दूसरी ओर ऐसा रखते हैं कि कुछ कर हम इम्पोज़ करने वाले हैं। इस प्रकार हमारी स्टेट गवर्नमेंट की नीति क्या है? क्या वह उप-करों का समर्थन करती है? मैं नहीं कहती कि चराई, घासमारी वसूल न की जाय, वे लेनी पड़ेगी क्योंकि वह गवर्नमेंट का एक सिद्धान्त है, जैसे आप भूमिकर लेते हैं। लेकिन यहां सवाल उप-करों का है। मुख्य कर आप भूमि का लेते हैं वो ले लिया जायगा लेकिन जिन पर पहले से कर नहीं है, उन पर आप उप-कर क्यों रखते हैं और इसके लिए आप विधेयक की आड़ क्यों लेते हैं। सरकार को अधिकार है, वह अध्यादेश जारी कर दे, लैंड रेवेन्यू एक्ट के अनुसार कर दे। यहां सवाल उप-करों का है, इनको उप-करों के रूप में क्यों रखते हैं? मेरा विचार है कि जहां तक कर का सवाल है, वह रखे। उप-कर वे होते हैं जो कर के अलावा होते हैं, जहां कर हैं नहीं, वह उप-कर होंगे। इसलिए मैंने यह संशोधन रखा था। लेकिन मंत्री महोदय का ऐसा विचार है कि इस तरह से कोई कन्फ्यूज़न नहीं होने वाला है तो अलग बात है। लेकिन जिस तरह की भाषा रखी है, उसको पढ़ते हैं तो लगता है कि इससे कन्फ्यूज़न पैदा होगा। इससे सारी जनता के अन्दर कन्फ्यूज़न पैदा हो सकता है, उसको दूर करने के लिए आपके पास क्या इलाज है। इस आशय से मैंने अपना संशोधन का प्रस्ताव रखा है।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के बारे में मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि माननीय सदस्या ने अगर दफा ३५, टिनेन्सी एक्ट का मुलाहिज़ा कर लिया होता तो संशोधन पेश नहीं करती। मैंने इसमें वही लब्ज़ रखे हैं जो टिनेन्सी एक्ट की दफा ३५ में है। वे लब्ज़ हैं : Notwithstanding any custom or contract to the contrary, no payment, by whateever name called or known, shall, in addition to the rent of the holding or any other charge approved by the State Government." के वे शब्द मैंने रखे हैं, जो ऑलरेडी टिनेन्सी एक्ट में हैं। मैंने इसमें कोई नई बात नहीं रखी है, महज उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने उन्हें रिपीट किया है जो टिनेन्सी एक्ट में लफ्ज़ हैं There is absolutely nothing new. अध्यादेश जारी करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। ज्यादा अच्छा तो यह हो कि रिलेवेन्ट क्लॉज़ को माननीय सदस्या अध्ययन कर लेवें तो उन्हें अमेंडमेंट पेश करने की आवश्यकता न हो।

**डॉ० चन्द्रकला :** तो क्या सरकार यह गुंजाइश रखना चाहती है कि वह उप-कर लगा सकती है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास :** मैंने कहा कि जो टिनेन्सी एक्ट की दफा ३५ में दर्ज है I have repeated that only.

**श्री अध्यक्ष :** आपका मतलब यह है कि 'or approved by State Government' गवर्नमेंट की एप्रूवल से कर को लगा सकते हैं।

**श्री दामोदरलाल व्यास :** जी हां। ऐसा हो सकता है कि बाद में डवेलपमैन्ट सेस लग जाय, पचासों सेस लगते हैं।

**श्री अध्यक्ष :** इस क्लॉज का मतलब नहीं ?....

**श्री दामोदरलाल व्यास :** क्या ?

**श्री अध्यक्ष :** मतलब यह है कि "...all cesses and other charges by whatever appellations known, other than those specified in section 5 or imposed by some specific law or approved by the State Government." यह तो आप एबोलिश करेंगे। अगर इसमें अमेंडमेंट कर देगी तो वह सीमित हो जायगा।

**श्री दामोदरलाल व्यास :** मैं अर्ज़ कर रहा हूं कि जब से टिनेन्सी एक्ट फोर्स में आया, जितने सेस थे, वे एबोलिश हो गये, ऑल ऑफ देम। इसके ज़रिये उनको वेलीडेट कर रहे हैं, लीगल सेंक्शन दे रहे हैं। इसके लिए दफा ३५ के वर्ड्स को इन्सर्ट किया है। गवर्नमेंट को नई पॉवर्स नहीं दी जा रही हैं।

**डॉ० चन्द्रकला :** वही बात है।

**श्री दामोदरलाल व्यास :** We are only explaining what the position is at present and how we stand so far as imposition of cesses is concerned.

**श्री मोहनलाल भटनागर** (सलूम्बर) : Delete the word "Or approved by the State Government." माननीय अध्यक्ष, मेरा निवेदन यह है कि जो इसमें सेसेज़ चार्ज करने के अधिकार सरकार ने लिये हैं उनका स्पष्टीकरण किया जाना चाहिये। क्लॉज़ ३ में यह है किसी लॉ के मातहत सेसेज़ वसूल किये जा सकते हैं तो करों पर स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूवल के ऊपर रखा जाय तो इससे लोगों के मन में भ्रान्ति पैदा हो सकती है कि सरकार जब भी चाहे कोई भी सेस लगा सकती है। जब कि जनरल पॉवर गवर्नमेंट को दे दिये हैं, स्पेसिफिक पॉवर्स दे दिये गये हैं तो ऐसा क्लॉज़ रखना कि गवर्नमेंट अपने ऑर्डर से, अप्रूवल से कोई सेस लगा देगी तो यह उचित नहीं।

**श्री अध्यक्ष :** इसका ऐसा मतलब नहीं है कि सरकार को अधिकार इससे मिले हों। आप इस क्लॉज़ को पूरा पढ़िये। आप जो अमेंडमेंट रख रहे हैं यह स्वीकार कर लिया जाय तो बिल्कुल उल्टा मतलब हो जायेगा। इसमें यह है कि : "all cesses and other charges, by whatever appellations known, other than those specified in section 5 or imposed by some specific law or approved by the State Government......" जो सेसेज़ वसूल किये जा रहे हैं वे भी इससे बन्द किये जा रहे हैं।

**श्री मोहनलाल भटनागर :** किसी लॉ के मुताबिक लिये जा रहे हैं वे भी ?

**श्री अध्यक्ष** : बाई लॉ या बाई एप्रूवल लिए जा रहे हैं, उनको भी हटाया जा रहा है।

**श्री सोहनलाल भटनागर** : इसमें 'other than' ये वर्ड्स हैं तो हटाया नहीं गया है।

**श्री अध्यक्ष** : यह क्लॉज़ है "imposed by some specific law or approved by the State Government......" यह खत्म हो जाते हैं।

**श्री सोहनलाल भगनागर** : खत्म नहीं होते हैं।

**श्री अध्यक्ष** : रेवेन्यू मिनिस्टर बतायें कि गवर्नमेंट की अप्रूवल से सेसेज़ लगा सकते हैं कि नहीं?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : इससे नहीं, टिनेन्सी एक्ट की क्लॉज़ ३५ से। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि : "Notwithstanding any custom or contract to the contrary, no payment, by whatever name called or known shall, in addition to the rent of the holding, or any other charge approved by the State Government, be levied on or recovered from a tenant." And in the present Bill :-

"Notwithstanding any custom, practice, usage or agreement to the contrary in force in any part of the State, all cesses and other charges by whatever appellations known, other than those specified in Section 5 or imposed by some specific law or approved by the State Government which are being collected, in addition to rent, from tenants of agricultural holdings or from other persons, whether known as agriculturists or village workers or shop-keepers are hereby abolished and shall, as from the date of the commencement of this Act, cease to be so collected" इसका सीधा मतलब यह है कि काश्तकार से या और लोगों से सेसेज़ रूरल एरिया में लिये जा रहे हैं, अलावा उन सेसेज़ के जो दूसरे लॉ से लिये जाते हैं, सब एबोलिश कर दिये गये हैं।

**श्री अध्यक्ष** : यही तो आपत्ति है माननीय सदस्य को कि by mere approval you will legislate that certain cesses be taken.

**श्री दामोदरलाल व्यास** : इस आपत्ति के लिये यह अर्ज़ करूं कि क्लाज़ ३५ जो टिनेन्सी एक्ट का है उसको मुलाहिजा करा लीजिये : "Notwithstanding any custom or contract to the contrary, no payment, by whatever name called or known shall, in addition to the rent of the holding, or any other charge approved by the State Government, be levied on or recovered from a tenant."

अब बहुत सारे लॉज़ ऐसे हैं जिनमें सेसेज़ इम्पोज करने के लिये प्रेस्क्राइब कर दिया जाता है इसलिये....

**श्री अध्यक्ष** : ऐसे कौनसे सेसेज़ हैं जो बाई लॉ किये जाते है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : अभी तक तो कोई नहीं किया गया है but for all times to come................................

( श्री दामोदरलाल व्यास )

पर कोई आगे नहीं किया जाय यह भी नहीं कह सकते। गवर्नमेंट को इस प्रकार के पॉवर्स दे दिये हैं।

**श्री अध्यक्ष** : बाई लॉ तो लगा सकते हैं पर मीयरली बाई अप्रूवल गवर्नमेंट लगा सकती है, इसके लिये माननीय सदस्यों को आपत्ति है।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : खाली अप्रूवल से तो गवर्नमेंट कोई सेस नहीं वसूल कर सकती। unless there is law behind it. सेस इम्पोज़ करने का गवर्नमेंट राइट नहीं है। जब सेक्शन ऑफ लॉ है इसके पीछे तो फिर एप्रूवल ले.... These are two things. So beyond all this there is sanction of law.

यह जैसा कि मैंने अर्ज किया क्लॉज़ ३५। टिनेन्सी एक्ट में यह बात है कि जो सेस बाई फोर्स ऑफ लॉ लागू होंगी उन्हीं को मैंने रिपोट किया है।

**श्री पी. के. चौधरी** ( फुलेरा ) : On a point of information, sir what is this Lambardari cess. Is it by law or by approval ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : It is by law.

**श्री पी के. चौधरी** : Then we don't approve of imposing such cesses.

**श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा** (किशनगढ़): सेक्शन ३ के बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बिल इस बात का नहीं है कि नया कर लागू किया जावे, यह तो समाप्ति का है। इसमें तो बताया है by law or by approval by the Government. जो ऐसे हैं, वे तो रहेंगे और बाकी सब खत्म होंगे। सेक्शन ५ में बताया है कि जो वसूल कर लिये हैं, उनको वैध बताया है। इससे गवर्नमेंट पॉवर थोड़े ही ले रही है। गवर्नमेंट को ऑलरेडी पॉवर्स हैं वे तो हैं ही कोई नया कर लगाने का सेक्शन ३ में प्रावधान नहीं किया गया है।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया यह तो एबोलिशन ऑफ सेसेज़ का है। इससे गवर्नमेंट को पॉवर नहीं दिये गये हैं। पॉवर्स तो टिनेन्सी एक्ट की क्लॉज़ ३५ के मातहत गवर्नमेंट को दिये हुए हैं। अगर माननीय सदस्य चाहते है कि वह अधिकार गवर्नमेंट के पास नहीं रहे तो उस क्लॉज़ को अमेंड करायें। पर इसमें कोई नये पॉवर नहीं लिये गये हैं.... By this Bill we are not giving any extra Powers to the Government गवर्नमेंट के पास जो पॉवर्स ऑलरेडी हैं वे तो हैं ही, अगर माननीय सदस्य नहीं चाहते तो उसको अमेंड कर दीजिये, मुझे कोई आपत्ति नहीं। यह बिल तो एबोलिश करने का है। जो ऑलरेडी पॉवर्स हैं उनको रिपीट करके बताया है, इस चीज़ को रिपीट करना जरूरी है, कानून में किसी भी प्रकार का लेकूना छोड़ना ठीक नहीं रहेगा। अगर माननीय सदस्य इस प्रकार के पॉवर्स गवर्नमेंट के हाथ में नहीं रखना चाहते तो टिनेन्सी एक्ट की धारा ३५ में संशोधन ले आयें।

# Page No.26



**डॉ० चन्द्रकला** ( किशनपोल बाजार जयपुर) : तो सरकार का मतलब है कि ५ तक ही 'अदर देन' लागू होगा ।

**श्री अध्यक्ष** : सरकार का कहना है कि इसमें जो पॉवर्स दर्ज किये हैं वे सेक्शन ३५ टिनेन्सी एक्ट में हैं । उन अधिकारों को छीनना है तो वह इस विधेयक का विषय नहीं बन सकता है ।

**डॉ० चन्द्रकला** : मैं तो इस विधेयक की मंशा का संशोधन चाहती हूं कि ये सेसेज़ तो डिस्कन्टिन्यू होंगे फिर 'अदर देन' है, क्या यह ५ तक खत्म हो जाती है ?

**श्री अध्यक्ष** : जी नहीं, खत्म नहीं होता।

**डॉ० चन्द्रकला** : तो सरकार को जो राइट्स हैं उसके अनुसार उपकर लगा सकती है और वे उपकर बदस्तूर चालू रहेंगे ।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : I will just explain. The hon'ble Member has given me a thing. The position is that in the Land Revenue Act the Government has been given powers to impose certain cesses for Lambardari or for the services of village officers, and these have to be approved by the Government in rule making powers.

तो वो चीजें ऐसी हैं कि गवर्नमेंट की एप्रूवल होगी ।

**श्री अध्यक्ष** : इसकी एप्रूवल आप नहीं कर सकते ।

**श्री पी के. चौधरी** : No Sir, he is mis-interpreting. In the Lambardari you have given to them simply to...

**श्री अध्यक्ष** : Let us leave aside Lambardari. It is a separate thing and we need not go into this. The question is of intention of the Government in phrasing this clause.

**श्री पी. के. चौधरी** : What I was pointing out Sir, was that as in the case of Lambardari it is laid down that the Government may make rules about fixing the quantum of remuneration for the Lambardars and under that law they have issued an executive order that they will require five percent as Lambardari cess. Here they are using 'approval of the Government'. That means they will be given very wide powers to the Government and the Legislature will be cutting its hands by giving such powers.

**श्री अध्यक्ष** : You can say 'or imposed by some other law' instead of 'approved by the State Government'.

**श्री सोहनलाल भटनागर** : मेरा निवेदन यह है कि इस क्लॉज़ को रखने की आवश्यकता क्या है ? by some specific law कर दिया है तो रूल्स बना कर रख सकते हैं तो by approval of Government यहां रखना बिलकुल रिडन्डेन्ट है ।

६ म० पू०

**श्री अध्यक्ष** : जी हां, यह बात है ।

**डॉ० चन्द्रकला** : फिर इस विधेयक की मंशा कहां पेश होती है , उप–कर हम लगा सकते हैं...

**श्री अध्यक्ष** : ये कह रहे हैं कि ये अधिकार तो अब भी उनके पास हैं लेकिन उन्होंने लगाया नहीं। इसमें नहीं टिनेन्सी एक्ट में संशोधन करना होगा। नये अधिकार नहीं दे रहे हैं।

**डा० चन्द्रकला** : नये अधिकार नहीं ले रहे हैं तो फिर यहां क्यों लाना चाहते हैं ?

**श्री पी. के. चौधरी** : Whether by this the Legislature is going to approve the Lambardari cess ?

**श्री अध्यक्ष** : No. That they could have done long ago if they had intended it यहां लाकर ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी। यदि चाहें तो टिनेन्सी एक्ट में कर सकते हैं।

**श्री पी. के. चौधरी** : What I mean to say is that we are not in favour of Lambardari cess and we have expressed our views about it to the Hon'ble Minister also. We want to know whether by this legislation we are approving of the Lambardari cess.

**श्री दामोदरलाल व्यास** (राजस्व मंत्री) : No, we are not. Those powers are already under section 35 of the Tenancy Act. So far as lambardari is concerned, the powers are already in the Tenancy Act.

**श्री अध्यक्ष** : आप संशोधन वापिस ले रही हैं क्या ?

**डा० चन्द्रकला** : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति चाहती हूं।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि क्लॉज ३ में डॉक्टर चन्द्रकला ने जो संशोधन रखा है उसे वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

**डॉ० चन्द्रकला** : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन वापिस लेती हूं।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३ स्वीकार की जाय।

(स्वीकृत)

क्लाज़ ३ विधेयक का अंग बना।

**श्री अध्यक्ष** : क्लॉज़ ४, डॉ० चन्द्रकला

**डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : [भाग (१) में five hundred rupees के स्थान पर 'one hunnred rupees' लिखा जाय। भाग (२) में Asstt. Collector के बाद 'or in Tehsil Panchayat' शब्द जोड़ दिये जायं।] इसमें लिखा है कि यदि किसी तरह से वसूल कर लिया है या कर लेते हैं तो जितना वसूल किया है वह तो कर लेंगे और कोर्ट चाहे तो ५०० रू० तक कर सकती है। लेकिन मैंने यह रखा है कि ५०० के बजाय १०० कर दिया जाय तो ज्यादा अच्छा हो।

# Page No.28



**श्री दामोदरलाल व्यास** : मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं। रूल यह है कि जो पनिशमेन्ट दिया जाय वह कड़ा दिया जाय ताकि बेजा काम रुक जाय। इसलिये जो रखा गया है उसे ही रहने दिया जाय। यदि ज्यादा करने का आप कहती तो आपका अमेन्डमेंट मैं मान लेता।

**श्री अध्यक्ष** : भाग (२) के बारे में आपने क्या कहना है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : इसको भी मैं स्वीकार नहीं करता हूं।

**डॉ० चन्द्रकला** : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति चाहती हूं।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि जो संशोधन डॉ० चन्द्रकला ने रखा है उसे वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

( स्वीकृत )

अनुमति प्रदान की गई।

**डा० चन्द्रकला** : मैं अपना संशोधन वापिस लेती हूं।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४ स्वीकार की जाय।

( स्वीकृत )

क्लॉज़ ४ विधेयक का अंग बना

क्लाज़ ५

**डॉ० चन्द्रकला** ( किशनपोल बाजार, जयपुर ) : [भाग (१) व (४) को विलोपित किया जाय।] इस अमेन्डमेंट का अब सवाल नहीं रहता लेकिन मैं इतना स्पष्टीकरण चाहूंगी कि ३ और ४ में वे कौनसा सेविंग्ज क्लॉज़ चाहते हैं, यह बतलादें। नं० १ और ४ को एक्सप्लेन कर दीजिये।

**श्री अध्यक्ष** : यह तो स्पष्ट है।

**श्री अध्यक्ष** : डॉ बहादुरसिंह।

( अनुपस्थित )

श्री अनोपसिंह।

**श्री श्रीभानसिंह** (बयाना) : इसको मूव्ड समझिये।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : समझने की बात तो बाद की है।

**श्री अध्यक्ष** : मूव्ड समझ कर जवाब दे दीजिये।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मैंने जवाब दिया था कि सेविंग्ज क्लॉज़ कौन कौन से हैं। जिन अलग अलग युनिट्स में वसूली की जा रही है इस कानून से एबोलिश नहीं मानी जायेंगी। (1) grazing dues and Sayar form unoccupied lands, whether known as Ghasmari, Ginti' Pancharai, Khikhari bab, Dashera, Dig, Ghas, Neelam, Dash dan, Pancharia, Salt, Bhunga or otherwise.

इसके लिये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। they are grazing charges on unoccupied lands, known by various nomenclature in various units and they are being realised and will continue to be realised as before. और मैंने

( श्री दामोदरलाल व्यास )

जैसा अर्ज किया जब तक रेशनेलाइज नहीं होता तब तक ये ही रेट्स चलती रहेंगी। (2) cesses or charges, if any, payable by jagirdars whose jagir lands have not been resumed...बहुत से अलग युनिट्स में अलग अलग नाम से वसूल किया जाता है। यह जागीर से सम्बन्धित है। लेकिन जब तक जागीर रिज्यूम नहीं हो जांय तब तक नहीं हो सकता। अब काफी जागीरें रिज्यूम हो गई हैं लेकिन रखना जरूरी है। राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट बोर्डस की सेस है...

**डॉ० चन्द्रकला** ( किशनपोल बाजार, जयपुर ) : डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तो अब नहीं रहेंगे।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : डिस्ट्रिक्ट बोर्ड नहीं रहेंगे तो एक्ट रिपील होगी इसलिये आपको चिन्ता करने की जरूरत नहीं है।

इसके अलावा (3) the Siwai cess levied in Alwar District and the local rate levied in the Bharatpur District which, though not levied under any specific law, form part of the settlement made with the Zamindars or Biswedars of those districts and are in the nature of local development cesses. यह बिल्कुल साफ है। अलवर भरतपुर में क्योंकि किसी कानून की तहत नहीं है लेकिन जमींदारी बिस्वेदारी से कांट्रेक्ट ऑफ पेमेन्ट होता है उसके अंडर में है they will continue to be realised as herebefore. इसलिये रेगुलेराइज़ किया है।

**डॉ० चन्द्रकला** : उनसे कब तक लेते रहेंगे ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : जब तक जागीरदारी बिस्वेदारी मौजूद है।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि क्लॉज ५ स्वीकार किया जाय।

( स्वीकृत )

क्लॉज ५ विधेयक का अंग बना।

६ क्लाज़

प्रश्न यह है कि क्लॉज ६ स्वीकार किया जाय।

( स्वीकृत )

क्लॉज़ ६ विधेयक का अंग बना।

**क्लॉज १, प्रिएम्बल इत्यादि**

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह कि क्लॉज १ प्रिएम्बल वगैरा स्वीकार की जांय।

( स्वीकृत ),

क्लॉज १ प्रिएम्बल आदि विधेयक के अंग बने।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस बिल को पारित किया जाय।

**श्री श्रीभानसिंह** (बयाना) : माननीय अध्यक्ष, राजस्थान डिस्कन्टिन्युएन्स ऑफ सेसेज बिल जो कि सदन के सामने थर्ड रीडिंग पर है, मैं उसके बारे में अपने कुछ विचार रखना चाहता हूं। हमारी सरकार की एक परम्परा रही है वह यह कि लोकल सेसेज को

( श्री मानसिंह )

एबोलिश करने की जहां कहीं से आवाज शुरू हुई कि लोकल सेसेज को एबोलिश करने में

६.६ म० पू०

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन) गवर्नमेन्ट सबसे पहले कदम रखती है। शायद हो सकता है कि इसमें वह जनतांत्रिक एप्रोच समझे। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि आज सरकार को एक तरफ अपने प्लान को पूरा करने के लिये धन राशि की जरूरत है और दूसरी तरफ हम जिन सेसेज को रिएलाइज कर सकते हैं उनको एबोलिश करते जा रहे हैं तो हमारे जो रिसोरसेज हैं, उन पर कुछ भार पड़ता है और वह भार जो टैक्सेशन एकीकरण कमेटी राजस्थान गवर्नमेन्ट ने अपॉइन्ट करी थी उसके मुताबिक कोई ५ या १० लाख की जो रिसोरसेज की कमी होती है तो हमको सोचना होगा कि आखिर हम एक तरफ सेस एबोलिश करना चाहते हैं तो हमारा मकसद क्या है। टैक्सेज हम नये लागू करते हैं जनता पर और इस तरह से हम टैक्सेज लागू करते हैं जिनके लिये जनता तैयार नहीं है। जिन टैक्सेज को जनता समझती नहीं। मगर सेसेज को जिनको जनता सदियों से देती आयी है, काश्तकार या गांवों के रहने वाले लोग सदियों से देते आये हैं उनको तो हम एबोलिश करते हैं। ऐसा लगता है कि गांवों के आदमी जिस चीज़ से हेबिचुयेटेड थे उसको तो हम एबोलिश करते हैं और नये टैक्सेज, जिनसे कि वे लोग हेबिचुएटेड नहीं हैं, उन पर थोपते हैं। मैं मानता हूं कि इससे सरकार के दृष्टिकोण में गलती या फर्क नज़र आता है क्योंकि जिन सेसेज को जागीरदार या बिस्वेदार लेवी करते रहे हैं उनको तो सरकार एबोलिश करना चाहती नहीं। जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि जमींदार और बिस्वेदार के साथ एग्रीमेन्ट हुए थे और उन सेसेज को गवर्नमेन्ट भरतपुर और अलवर में बदस्तूर लेती आयी है। फ्युडल सेसेज को फ्युडल ऑर्डर लेवी करता था उसकी तो वेलिडिटी गवर्नमेन्ट करती है और उसको स्टेबल भी करती है। यदि राजस्थान सरकार का इस सम्बन्ध में जनतन्त्रीय दृष्टिकोण होता तो जिन सेसेज को जमींदार या बिस्वेदार, जागीरदार लेवी करते थे उन सेसेज को तो गवर्नमेन्ट को एबोलिश करना चाहिए था और मैं समझता हूं कि वह गवर्नमेन्ट का एक प्रोग्रेसिव कदम भी होता। मगर जिन सेसेज को ग्रामीण जनता से लोकल एरिया के लिए कलेक्ट किया जाय और उनको उसके फायदे के लिए ही खर्च किया जाय उनको गवर्नमेन्ट एबोलिश करे और उसकी लायेबिलिटी अपने ऊपर ले और उसकी जो राशि है, लोस है उसको दूसरे टैक्सेशन के जरिये राजस्थान में फैलाना चाहती है, एक गवर्नमेंट की पॉलिसी में एक कॉन्ट्राडिक्शन है जो मेरी समझ में नहीं आया। एक सेस अनजस्ट होता है यदि उसका बर्डन नहीं हो तो उसको मैं मान सकता हूं कि गवर्नमेन्ट उन सेसेज को एबोलिश करना चाहती है। लेकिन जो अनजस्ट सेस न हो, जिनको प्रजातान्त्रिक इन्स्टिट्यूशन्स लागू करें, वह अनजस्ट नहीं हो सकता है जिसको कि पंचायतें लोकल इन्स्टिट्यूशन्स लागू करें, गांवों के वाच एण्ड वार्ड के लिए जो सेस लेवी किये जाते हैं, यदि उनको एबोलिश किया जाता है तो उसका नतीजा यह होता है कि जो गांवों की अच्छाई के लिए सेसेज थे वे तो एबोलिश कर दिये जाते हैं सरकार के द्वारा और जो फ्युडल सेसेज थे और फ्युडल ऑर्डर द्वारा लेवी किये जाते थे

# Page No.31



( श्री मानसिंह )

उनको गवर्नमेन्ट वेलिडेट करती है तो गांवों के लोग सोचेंगे कि सरकार ने जागीरदारी, जमींदारी, बिस्वेदारी को तो हटाया लेकिन उनके द्वारा लेवी किये गये सेसेज का उन पर भार बदस्तूर बना रहता है और यदि बना रहता है तो उनको उसका लाभ नहीं मिलता। माननीय मंत्री महोदय को जागीरदारों, जमींदारों, बिस्वेदारों के द्वारा लेवी किये गये सेसेज कौनसे थे यह बताना चाहिये था। भरतपुर अलवर में लागू कर देना, फोर्मर राजस्थान से पहले जहां फ्युडल इन्स्टिट्यूशन्स, फ्युडल ऑर्डर द्वारा लागू किये जाते थे। गवर्नमेंट का यह फर्ज़ नहीं है कि जो पंचायतों, लोकल इन्स्टिट्यूशन्स द्वारा सेस लेवी किये जाते थे उनको एबोलिश करना और उनको न करना. उनकी डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहता हूं, वे काफी हैं, जो राजस्थान में लेवी करते आये हैं, जो पांच दस लाख की इन्कम लोकल बोडीज की इनसे होती थी उनको यदि सेन्ट्रलाइज़ करके, गवर्नमेन्ट कलेक्ट करके गवर्नमेन्ट ही डिस्ट्रिब्युट करती तो यह कोई एक प्रोग्रेसिव स्टेप माना जा सकता था लेकिन जिन सेसेज को सदियों से लेवी करते आये हैं और आज तक करते आ रहे हैं, जिनके प्रति लोगों की ओपिनियन खराब थी, रिजेन्टमेन्ट आपके सामने बताते हैं उनको तो बदस्तूर कायम कर रखना और जो पब्लिक ऑर्डर और उनकी अच्छाई के लिए लगाये गये सेसेज हैं उनको एबोलिश करने का क्या रोजन है। दस पांच लाख की इन्कम को भी आप लेना चाहते हैं।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मैं माननीय सदस्य से जानना चाहता हूं कि वे कौनसे सेसेज को कायम रखना चाहते हैं जिनके दस पांच के नाम बता दें। मुझे उसके लिए सहूलियत हो जाय।

**श्री श्रीमानसिंह** : यह जो रिपोर्ट है उसके पेजेज ११७ से १२२ तक आप पढ़ लीजिये। जो कमेटी आपने अपॉइन्ट की थी उसकी रिपोर्ट है और पेज ११७ से १२२ तक को आप पढ़ लीजिये।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मैं यह जानना चाहता था कि कौनसे होने चाहिये।

**श्री श्रीमानसिंह** : I just Don't want to repeat them. This Report must be with the Hon'ble Minister.

**श्री दामोदरलाल व्यास** : No, No. You want all the cesses to be retained or some one of those cesses to be retained...

**श्री श्रीमानसिंह** : I want all the cesses to be retained.
उन सेसेज को तो एबोलिश करना चाहते हैं और उनको बदस्तूर कायम रखना चाहते हैं। जिन सेसेज को एक फ्युडल ऑर्डर अपने पर्सनल गेन के लिए लेवी कर रहा था। उनको एबोलिश करें तो मालूम पड़ता। जो सेसेज जमींदार या बिश्वेदार लेवी कर रहे थे, तो वे गांवों की अच्छाई के लिए नहीं थे किन्तु वे उनके पर्सनल गेन के लिए थे। उनको भरतपुर अलवर में मानते हैं क्योंकि यह कान्ट्रेक्ट था। And therefore the Government is correct in levying and collecting their cesses मगर जिन सेसेज को एक इन्स्टिट्यूशन

( श्री भानसिंह )

कलेक्ट करती है । जिनको कलेक्ट किया जाता था जनरल गुड के लिए और खर्च किया जाता था जनरल गुड के लिए उनको एबो- लिश करते हैं, जिन सेसेज को फ्युडल ऑर्डर लेवी करती थी उनको राजस्थान सरकार वेलीडेट करती है और जो पब्लिक गुड के लिए इकट्ठा किया जाता है उसको एबोलिश करती है तो इससे एटीचूड पर असर पड़ता है । पांच दस लाख, जितना टैक्सेशन कमेटी ने केल्कुलेट करके बताया कि इतना लोस होगा । जिस चीज से गांव के आदमी हेबिचुए- टेड थे उनको तो एबोलिश कर रहे हैं और जिससे हेबिचुएटेड नहीं थे उनको इन्ट्रोड्युस कर रहे हैं, आपको प्लान के लिए पैसा चाहिये तो एक जनरल टैक्सेशन स्ट्रक्चर के अन्दर सेसेज की पॉलिसी होती है । सेसेज के लिए यह कह दिया जाय कि सब ही खराब हैं मैं यह मान कर नहीं चलता । यह बिल जो पास कराया जा रहा है उसके लिए मुझे कोई रीजन ऐसा नहीं दिखाई देता है कि उसके पीछे इतने वेलिड ग्राउन्ड्स हैं । सेसेज को रखना चाहिये और पंचवर्षीय योजना के लिए कान्ट्रिब्युशन होना चाहिये । जो इनकम आती है वह कान्ट्रिब्युट करती है और लागू कर रहे हैं उसके पीछे रीजन हैं । मैं यह कहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय इसके थर्ड रीडिंग पर फिर से सोचेंगे । सेसेज को एबो- लिश करने से यह डेमोक्रेटिक कदम नहीं होगा, इन्क्रीज करेंगे तो सेल्स टैक्स, गुडस एन्ड पेसेन्जर पर, कहीं न कहीं इस इनकम को मेक गुड करना है । जो जनता में रूट गेदर कर चुका है, उसको इन्क्रीज करें, बदस्तूर रखें तो जनता को उससे फायदा होगा, यह अच्छा होगा । जिनको ऐसा समझें कि ये सेसेज एन्टीक्वेटेड हैं, जिनका जनता पर भार पड़ता है, जो पर्सनल प्रोफिट में आते हैं उनको यदि आप एबोलिश करें तो मैं आपका साथ दे सकता हूं । जिन सेसेज को गांवों की अच्छाई के लिए इकट्ठा किया जाता है, जो उनकी अच्छाई के लिए खर्च किया जाता है उनको एबोलिश करते हैं तो उसके लिए कोई आपके पास रीजन नहीं हैं । यह न डेमोक्रेटिक ही है । चौकीदारी सेसेज पांच छः रुपया कलेक्ट होता होगा और कुल मिला कर पांच दस लाख कलेक्ट होता होगा, ऐसी लोकल इन्स्टिट्यूशन्स हैं । वह कोई ज्यादा नहीं कर रही है उनको एबोलिश करते हैं और उन पर फिर बैटरमेन्ट लेवी लागू करते हैं तो वे रिप्रेजेन्ट करेंगे । राजस्थान सरकार का, मैं मानता हूं कि यह कोई जनतान्त्रिक कदम नहीं है । मैं फिर निवेदन करूंगा कि राजस्थान फाइनेन्स इन्क्वायरी कमेटी १६५८ की रिपोर्ट के पेज ११७ से १२२ तक मंत्री महोदय पढ़ें फिर से अध्ययन करें और उसकी लाइट में यह समझें कि नेसेसरी है इसको पास करना तो पास करिये । जैसा कि कमेटी ने रिकमन्ड किया है एबोलिश नहीं करना चाहिये, पंचवर्षीय योजना की पूर्ति के लिये सेसेज चाहते हैं, जितनी चीजें उन्होंने रखी हैं, उसी लाइट में इस रिपोर्ट को लेना चाहिये । शायद इस कमेटी को अपॉइन्ट करने में पैसा खर्च हुआ होगा । उसमें सजेशन्स दें मगर उन सजेशन्स को इम्पलीमेन्ट करने में क्यों आप पीछे हटते हैं । कमेटीज़ अपॉइन्ट होती हैं उनकी रिक- मन्डेशन्स आती है । लेकिन जहां तक उनकी रिकमन्डेशन्स का सवाल हैं उनको इम्पली- मेन्ट करने में सरकार पीछे क्यों हटती है । यह समझ में नहीं आता । इस लाइट में बिल को फ्रेम करते तो उसमें मैं भी सहयोग देता और जो कुछ इसमें रखा जाता उसके रीजन भी

( श्री मानसिंह )

मालूम पड़ते। इसलिये मंत्री महोदय से मैं फिर निवेदन करूंगा कि इस लाइट में इस बिल को या तो फिर से रिड्राफट किया जाय और इस समय इसको वापिस लिया जाय।

**श्री मदनसिंह** (दांता रामगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मैं यह समझता था कि इस प्रकार के अच्छे बिल का भी विरोध होगा यह मुझे मालूम नहीं था। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जबकि बयाना से आने वाले माननीय सदस्य ने इसका यह कहते हुए विरोध किया कि यह तो ऑलरेडी लागू है और इसके लिये जनता में किसी प्रकार का विरोध नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं यह पब्लिक की डिमान्ड थी और उसी की पूर्ति के लिये सरकार ने यह बिल रखा है। सेस को माफ करने की दृष्टि से यह बिल रखा गया है काश्तकारों को रिलीफ देने की दृष्टि से यह कानून लाया गया है। माननीय सदस्य से इसके विरोध करने की आशा नहीं थी। जब कभी हम माननीय सदस्य को सुनते हैं। वे काश्तकारों के हित का बड़ा खयाल रखते हैं। लेकिन जब कि यह कानून उनके पक्ष में बन रहा है फिर इसका विरोध क्यों किया यह समझ में नहीं आता। इस बिल के स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्टस एन्ड रीजन्स में अन्तिम लाइन में यह लिखा हुआ है "So far as the Government lands are concerned, the State Government has already issued executive instructions for the abolition of whatever cesses were being levied. The Bill seeks to give legal sanction to the executive order and also seeks to discontinue the levy of cesses of lands other than Government lands." यानि मैं समझता हूं ऑलरेडी ऑर्डर्स कर चुके उसको लिगेलिटी देने के लिये इस बिल को रखा गया है इसलिये मैं यह समझ नहीं पाता इसका विरोध क्यों होना चाहिये।

दूसरा जो माननीय सदस्य ने विरोध किया यह कह कर के कि एक तरफ तो पंच वर्षीय योजना की पूर्ति के लिये सरकार दिन प्रतिदिन टैक्स लगा रही है और दूसरी तरफ माफ करती जा रही है साथ उन्होंने यह भी कहा कि यह इतना बड़ा टैक्स नहीं है जिसके लिये जनता में कुछ रोषपैदा हो। छोटे टैक्स को तो आप माफ करते जा रहे हैं और पंच वर्षीय योजना के लिये दूसरे बड़े टैक्स लगा रहे हैं। इसका असर जनता पर ठीक पड़ने वाला नहीं। इसके साथ साथ माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि जो टैक्सेज़ जनता पर लगाये जा रहे हैं वे टैक्सेज़ नहीं लगाये जाने चाहिए। अगर जनता से रकम चाही ही जाती है, तो सेसेज को माफ न किया जाय। आज भी जो बैटरमेंट के लिए टैक्सज़ को लगा रहे है जहां गवर्नमेंट की तरफ तो छोड़ रही है और दूसरी तरफ टैक्सेज को बढ़ा रही है। टैक्सेज देते समय काश्तकारों को बड़ी खुशी के साथ पंचवर्षीय योजना के लिये टैक्स देने चाहिये और वे देंगे। जहां तक इस प्रकार की सेसेज का सवाल है उसको सरकार आवश्यक नहीं समझती और उसको माफ करना चाहती है तो आप उसके विरोध में विचार प्रकट करते हैं यह समझ में नहीं आता।

माननीय मंत्री महोदय से इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि आप एक आइटम जरूर भूल गये हैं कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट सेसेज़ भी लगे हुए है वे केवल

# Page No.34



( श्री मदनसिंह )

दो डिस्ट्रिक्ट हैं जयपुर और बीकानेर डिवीजन में इस प्रकार से टैक्सेज लिये जाते हैं। अगर इसके साथ साथ इसको भी ले लेते तो यह जो दो डिवीज़न के साथ भिन्नता का व्यवहार चला आ रहा है वह समाप्त होजाता। मैं समझता हूं भले ही मैं इस प्रकार का अमेन्डमेंट नहीं ला सका, फिर भी माननीय मंत्री महोदय इस प्रकार का प्रावधान रख लेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ होगी। अन्यथा डिस्ट्रीकिनेशन हो रहा है दो डिविजन में तो आप डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सेस ले रहे हैं और बाकी डिविजन्स में नहीं तो वह यहां के काश्तकारों के साथ एक प्रकार से अन्याय है। इससे सरकार की नीति में कुछ फर्क मालूम पड़ता है। अगर आप इसको भी रख देते तो आपकी साफ नीयत का पता चल जाता। इन शब्दों के साथ में यह निवेदन करना चाहता हूं यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सेस जो दो डिविजन में आप ले रहे हैं वह भी काश्तकारों पर बोझा है उसे भी आप माफ कर देंगे यही मेरा निवेदन है।

**डॉ बहादुरसिंह** (धौलपुर) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान उपकर समाप्ति विधेयक, १६५६ का मैं समर्थन करता हूं और इसके पक्ष में कुछ अपने विचार रखना चाहता हूं। इसमें जिन जिन टैक्सेज के माफ करने का प्रावधान हैं वे ऐसे टैक्सेज़ हैं जिनके लिये किसी प्रकार का कानून नहीं था कोई आज्ञा नहीं थी। मैं समझता हूं इस प्रकार से गैर कानूनी तरीके से जो सेसेज ली जाती हैं, उनको वसूल करना न्याय संगत नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं थोड़ा सा ध्यान सरकार का दिलाना चाहता हूं। धौलपुर सब डिविजन के अन्दर लैन्ड रेवेन्यू वसूल की जाती है उसके साथ में जब सेटिलमेन्ट हुआ था उस समय सिंचाई की दरें भी उसमें सम्मिलित कर दी गई थी। उसके साथ में एक पूरे गांव की जो सिंचाई दर होती थी। उस सिंचाई दर के बजाय दो हजार की रकम उन काश्तकारों पर थोप दी। इस तरह से काश्तकार परेशान होते हैं एक तरफ तो लैन्ड रेवेन्यू के नाम पर रकम वसूल कर ली गई, दूसरी तरफ इर्रिगेशन वाले सिंचाई की दरें अलग वसूल करना चाहते हैं। इस प्रकार से यह दोहरी चीज़ जो चली आ रही है उसको बन्द किया जाना चाहिये। स्टेट के समय में लैन्ड रेवेन्यू में इर्रिगेशन के चार्जेज संयुक्त कर लिये गये थे। या तो इसमें ऐसा होना चाहिये कि लैन्ड रेवेन्यू डिपार्टमेंट इर्रिगेशन डिपार्टमेन्ट को सिंचाई के चार्जेज़ देने चाहिये। इस प्रकार की जो पद्धति है उसमें संशोधन करने की जरूरत है।

इसी प्रकार दूसरी सेसेज वगैरह हैं जो कानून द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है आज हम जब कि हर एक काम नियमानुसार चलना चाहते हैं। वैसी हालत में इस प्रकार के सेसज वसूल करना उचित नहीं है जब कि राजस्थान का एकीकरण हो चुका है। वैसी हालत में इस प्रकार का हक नहीं। कि गैर कानूनी टैक्स वसूल करें। अगर आपका पैसा किसी पर बकाया है तो निश्चित् तौर पर आप वसूल करेंगे। लेकिन आपने अगर गैर कानूनी तौर पर लगान वसूल कर लिया है तो नियमानुसार उसे वापिस मिलना चाहिये। इतना ही निवेदन करते हुए इसका समर्थन करता हूं। इस प्रकार की जो अव्यवस्था चली आ रही थी उसको हम इस कानून के द्वारा दूर कर रहे हैं। राजस्थान जब कि एकीकरण की ओर अग्रसर हो रहा है वैसी हालत में इस प्रकार की सेसेज़ रहनी

( डॉ० बहादुरसिंह )

नहीं चाहिये इससे किसान लोग बड़े परेशान थे। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

**श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा** (किशनगढ़) : माननीय सभापति महोदय, यह बिल इस बात के लिये लाया गया है कि जो कानून के खिलाफ राज्य नियमों के विपरीत कर वसूल करती आ रही हैं उसकी समाप्ति के लिये है। इस प्रकार के कर जिनके लिये राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का कानून नहीं बनाया गया फिर भी राज्य सरकार वसूल करती आ रही है उन करों को समाप्ति के लिये यह विधेयक लाया गया है। भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि जमींदारी और बिस्वेदारी में इस प्रकार के जो कर हैं वे भी नहीं लगने चाहिये। मैं उनसे निवेदन करूं कि जमींदारी और बिस्वेदारी एबोलिशन बिल हमने पास किया है उसमें जो लगान तय किया गया है वह तो वसूल होगा ही क्योंकि हमने वह एक्ट पास कर दिया है। जो विधेयक इस विधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया उस बिल में जो प्रावधान हमने रख दिया उसके खिलाफ इसमें किस प्रकार लाया जा सकता है। ऐसी हालत में जो कानून रखा गया है वह तो कायम रहेगा और यह बिल उनके लिए है जो किसी कानून की तहत में नहीं था उनको एबोलिशन किये जाने के लिये है।

यह कर क्यों नहीं लगना चाहये इसके लिए यह निवेदन है कि किसी गांव में कोई कर वसूल किया जाता था और किसी गांव में नहीं किया जाता था। इसी तरह से कुछ तहसीलें भी ऐसी थी, जिसमें कुछ में कर लगते थे, कुछ में नहीं। इस प्रकार से छोटे छोटे कर लेने का कोई कानून में प्रोविजन नहीं था, उन करों की समाप्ति के लिए यह कानून है। यह राजस्थान में एकता लाने के लिए भी है वैसी हालत में यह कानून पास किया जाना चाहिये, यही मेरा निवेदन है।

**श्री अनोपसिंह** (बालोतरा) : माननीय सभापति महोदय....

**श्री सोहनलाल भटनागर** (सलूम्बर) : माननीय सभापति महोदय....

**श्री सभापति** : श्री सोहनलाल भटनागर

**श्री सोहनलाल भटनागर** (सलूम्बर) : बयाना से आने वाले माननीय सदस्य का भाषण सुना और आश्चर्य हुआ। उनकी तो विचाराधारा हमेशा प्रगतिशील समझी जाती है।

माननीय सभापति महोदय, यह सभी सदस्यों को पूर्णतया विदित है कि हमारे राजस्थान में कावनेन्टिंग स्टेटों में कई तरह के सेसेज़ लगे थे और उस वक्त जागीरी एरिया में बेगार आदि सैसों से मुक्त करने के लिए कांग्रेस ने ऐलान किया था। सत्ता आने के बाद कांग्रेस ने किसानों को उन सैसों के भार से मुक्त किया।

अब मेरे खयाल से उन सैसों को माना जावे और उनको लीगेलाइज किया जावे तो माननीय सदस्य की राय के अनुसार तो काश्तकारों पर इसका लैंड रेवेन्यू के अलावा काफी भार पड़ेगा।

अब ये सैसेज़ भी दो तरह के हैं। एक तो रेन्ट का पार्ट है जो सैटिलमेन्ट में भी दर्ज

# Page No.36



( श्री सोहनलाल भटनागर )

किया है । दूसरा वह जो रेन्ट का पार्ट न होकर वैसे ही लगा है जिसके पीछे लीगल सैंक्शन नहीं है । जैसे मलबा वगैरह । इसके लिए हाई कोर्ट ने भी अपीलें खारिज की हैं । माननीय सदस्य ने टैक्सेशन एन्क्वायरी कमीशन का हवाला देकर कहा कि उन्होंने भी मन्जूर किया है । पर ऐसी बात नहीं है । उन्होंने भी इसे मन्जूर किया है । पर ऐसी बात नहीं है । उन्होंने भी उन्हीं सेस को वसूल करने की राय दी है जो रेन्ट का हिस्सा है, बाकी के दूसरे सेसों को जारी करने के लिये कभी उन्होंने राय नहीं दी । उनकी राय यह है :

"The Taxation Enquiry Commissian recommended the levy of cesses on land revenue at the minimum rate of 3 annas per rupee of land revenue for local purposes. It considered that it should be levied as a single consolidated cess rather than as a number of individual cesses earmarked for different purposes. We are also of the view that a multiplicity of cesses should be avoided. single consolidated cess on land revenue assessment may be levied to replace (a) the Potwar, Malba and other similar cesses the collection of which has been suspended.

(b) the local rates levied under old laws for the benefit of District Boards, and

(c) the cesses and taxes referred to in section 113 of Rajasthan District Boards Act and in section 64 of Rajasthan Panchayat Act."

तो यह प्रश्न बिलकुल अलग है और जब यह प्रश्न आवेगा तो सरकार इस पर सोचेगी । पर आज जो इल्लीगल डेफीनेशन में आती हैं सेसें और जो किसान पर भार है उनको अगर सरकार ने इस बिल के द्वारा माफ करने का ऐलान किया है तो यह प्रशंसनीय है ।

**श्री अनोपसिंह,** ( बालोतरा ) : माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि शायद इस बिल की कोई जरूरत ही नहीं थी । क्योंकि जो कुछ भी लाग बाग या सैसो को हटाने के लिये पहले कानून निकल चुका है वे काफी हैं । जागीरों में जो सेस लिये जाते थे वे जागीर रिज़म्प्शन एक्ट के बाद सब खतम हो गई इसलिये अब समझ में नहीं आया कि सरकार को इस तरह का बिल लाने की क्या जरूरत पड़ गई है ? क्योंकि जो कुछ भी सैसें वसूल की जाती थी प्राईवेट पार्टी के हिसाब से और जो जागीरदार या बिस्वेदार के काम आती थी वे तो उसी वक्त वसूल की जाती थीं उनके जमाने में, आज वह नहीं की जा रही हैं और फिर जो राहत आप लोग बाग छुड़ा कर देना चाहते थे वह तो ऑलरेडी मिल चुकी है । अब मेरे को पता नहीं कि यह सुपरफ्लुस एक्ट लाकर आप इसमें आगे क्या सुविधा देना चाहते हैं । मैं तो यह समझता हूं कि ऐसे बहुत कम सेस हैं जो प्राइवेट ओनर के पास प्राईवेट प्रोपर्टी बनाने के लिये ली जाती हैं । आज तो जो हैं डवलपमेन्ट हैं, गवाई लाग हैं तो उसी गांव के काम में आती हैं और डवेलपमेन्ट काम में आती हैं ।

**श्री मदनसिंह** ( दांता रामगढ़ ) : मीणा ले रहे हैं गांवों में आज तक भी उसके लिये लीगेलाइज़ कर रहे हैं इससे ।

# Page No.37



**श्री अनोपसिंह** : माननीय सदस्य ने जो बताया । वह तो आपस का एक कन्ट्राक्ट है क्योंकि किसान अपने मवेशी को बचा नहीं सकते इसलिए उनको बचाने का यह तो उनका अपना आपसी कन्ट्राक्ट है ।

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** ( सीकर ) : उनको बचाने का काम अब होम मिनिस्टर साहब ने अपने ऊपर ले लिया है इसलिये उनकी जरूरत नहीं ।

**श्री अनोपसिंह** : पर फिर भी अगर सरकार इतनी समर्थ और मजबूत नहीं है तो यह उनका अपना प्राइवेट कन्ट्राक्ट है कि फलां चीज इसके लिए देंगे तो देंगे । अब गवर्नमेंट की हिम्मत हो तो रोक सकती है, नहीं तो नहीं । वहां काश्तकार को लूटा जावेगा यह तो होगा । पर वह तो प्राईवेट कन्ट्राक्ट है । गवर्नमेन्ट इस तरह का इन्तजाम कर दे कि काफी पुलिस रहेगी, उनको कोई डर अपने मवेशी वगैरह का चुराने करने का नहीं रहेगा तब तो यह समझ में आ सकता है कि उनको प्राईवेट कन्ट्राक्ट की जरूरत नहीं । पर जहां तक सवाल प्राईवेट कन्ट्राक्ट का है इसको भी खतम किया गया है । यू वान्ट टू तो जो उनके मवेशी या माल को बचाने के लिए दिया जाता है यह उनका प्राईवेट कन्ट्राक्ट है और उसको गवर्नमेन्ट खतम नहीं कर सकती । यह उसकी कमजोरी होगी । सरकार यह इन्तज़ाम अब तक नहीं कर पाई कि मीणों की सेस को रोक दे । आप दूसरी सेस लगा सकते हैं पर ऑलरेडी जो लग रही हैं उनको हटाना आपके बूते की बात नहीं है । वह प्राईवेटी कन्ट्राक्ट के हिसाब से है । आप चाहें तो उसे खतम कर सकते हैं पर यह आपके अच्छे इन्तजाम पर निर्भर है । तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यह सुपरफल्स है आपको ऐसी भी कोई लाग नहीं लगानी चाहिए जो जागीरदारों के वक्त नहीं लगती थी । जो गवर्नमेन्ट आज सेस लेती है या जो लीगलाइज कर दी गई हैं या ऑर्डर के हिसाब से ली जाती हैं वे मैं समझता हूं जागीरदारी सिस्टम के वक्त भी नहीं ली जाती थी । और जो ली जाती थीं तो उनके तहत पूरी सहूलियतें दी जाती थीं । जैसे अर्ज़ करूं कि ग्रेजिंग, ड्यूज़, शायर, पानी चराई देहाती इस तरह की लाग बागे हैं जो जागीरदारों के वक्त ली जाती थी और साथ साथ आप से आप खत्म हो गई जब वे खत्म हो गये । जैसे अर्ज करूंगा कि जागीरदारों के वक्त में जोधपुर डिविज़न में घासमारी, पानचराई और इनके तहत पूरी छूट चराने की काश्तकारों को दी जाती थी । मैं मानता हूं माननीय मन्त्री महोदय फिर इसमें फील करेंगे या महसूस करेंगे कि ये बार बार इस तरह की बातें कहते हैं ।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : बिलकुल नहीं फील करेंगे । आप कहिये ।

**श्री मदनसिंह** : लाग के एवज़ में तो आपको थैंक पहुँचाई जावेगी । अगर यह बात कर लेंगे तो आनन्द हो जावे । पर ये तो मानते नहीं ।

**श्री अनोपसिंह** : जिन पर नये सेस टिनेन्सी एक्ट के तहत लगाये जा रहे हैं उनकी यहां पर प्रतिद्वन्द्विता नहीं दे । उनकी आवाज कम है, कमजोर है उसमें इतनी समर्थ नहीं है कि वह आवाज अच्छी तरह आपके कानों तक पहुँच सके । मैं मानूंगा कि जो सेस जागीरदारों के वक्त ली जाती थीं तो उनके साथ उनको काफी राइट भी मिलते थे । राइट और ड्यूटीज़ साथ साथ चलती थीं ।

# Page No.38



( श्री अनोपसिंह )

मवेशी चराई पर सेस ली जाती थी तो चराई की भी काफी छूट दी जाती थी फसल कट जाने के बाद कहां जाकर चरा सकता था। इसलिए अर्ज करूंगा कि ऐसे सैस जो जागीरदारी खत्म करने के बाद लगाई गई हैं। तो यह गलत तरीका है लगाने का और लीगेलाइज़ करने का। या तो आप उन्हें मत लीजिये और अगर लेते हैं, तो उतनी ही फैसिलिटी देने की व्यवस्था कीजिये। पान चराई के लिये या घासमारी के लिये व्यवस्था कीजिये। जहां गोचर नहीं है, वहां गोचर भूमि छोड़ी जावे और ऐसा कुछ करिये कि फसल कट जाने के बाद कहीं भी ले जाकर चरा सके। मैं मानता हूं कि मैं खुद काश्तकार हूं मुझे अच्छी नही लगेगी यह बात, पर मानना पड़ेगा। खुद जिन्दा रहे और दूसरों को जीने दे। अन्यथा मैं समझूंगा कि जो धन, कैटलया शीप की आप बात कर रहे हैं वह शायद कल खत्म हो जायेगी और यह धंधा जिसको आप बढ़ावा देना चाहते हैं वह वहीं खत्म हो जायेगी। जब उनके पास चरने की जमीन नहीं रहेगी और नये नये टैक्सेज़ लगायेंगे पानी, चराई और घास चराई वगैरह तो यह सब उनके ऊपर पड़ने वाले हैं। इससे वह डिसकरेज होंगे और आइन्दा वह नही कर सकेंगे, इस धंधे को।

( घंटी )

माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से इस बात के लिए फिर जोर से अर्ज़ करूंगा कि हालांकि उनकी आवाज़ आप तक नहीं पहुंचती है और जब कभी पहुँचती है तो आप टाल दिया करते हैं। इसको मैंने कई दफा देख लिया है। मैं यह कहता हूं कि आप आस्ट्रेलिया और दूसरे देशों की बात कर रहे हैं जिनके पास बहुत जमीनें हैं और वह फोडर पैदा कर सकते हैं उसको प्रोड्यूज़ करते हैं। वहां पर आप पान चराई और घास भराई आदि लेना चाहते हैं। तो न तो आपके पास ज्यादा जमीन है और फिर आप चारा भी कहां से लायेंगे। इसलिये माननीय मंत्री महोदय से और सरकार से इस सदन के अन्दर यही अर्ज़ करूंगा कि जो आपने नये टैक्सेज़ लगाये हैं जो कि टिनेन्सी एक्ट में नहीं लगते थे उनको भी आज खत्म करना चाहिए। तो आपको कोई राइट नहीं है। अगर आप किसी को राइट नहीं देना चाहते हैं तो आपको कोई हक नहीं हैं कि आप किसी से कोई नया कर वसूल करें। मैं मानता हूं, मैं खुद खातेदार हूं। लेकिन मैं यह नहीं चाहूंगा कि मेरा पड़ौसी खत्म हो जाये और उसके भरोसे मैं जीऊं। इसलिए सभापति महोदय मैं यह अर्ज करूंगा कि आपको यह बिल लाना ही था। तो इसके साथ ही साथ ऐसे सेसेज़ की वसूली खत्म करनी चाहिए थी, जो कि सन् ५५ के टिनेन्सी एक्ट के समय नहीं लगते थे।

**श्री सभापति :** श्री मूलचन्द डागा।

**श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : सभापति महोदय, इस बिल का जो क्लॉज़ ५ है उसके बारे में मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं...(घंटी)

**श्री सभापति :** I would like to draw the attention of the Hon'ble Member to rule 133.

"Scope of debate.-The iscussion on a motion that the Bill be passed shall be confined to the submission of arguments either in support of the

( श्री सभापति )

Bill or for the rejection of the Bill. In making his speech a member shall not refer to the details of the Bill further than is necessary for the purpose of his arguments which shall be of a general character."

I would, therefore, request the Hon'ble Member to circumscribe himself to this Rule.

**श्री मूलचन्द डागा** : सभापति महोदय, मैं इस बात को मानकर ही चल रहा हूं। यह जो बिल हाउस के सामने पेश किया गया है मुझे इस बिल को यहां पेश करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। अगर आपने सेक्शन ३५ और लैंड रेवेन्यू एक्ट की धाराओं को देखा होता तो इस बिल की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। क्योंकि मैंने राजस्थान टिनेन्सी एक्ट को देखा है और मुझे यह मालूम हुआ है कि इस बिल की आवश्यकता कुछ भी नहीं है। सेक्शन ३५ में यह साफ है कि किसी कस्टम के होते हुए या किसी रिवाज़ के होते हुए हम कोई भी लाग वसूल नहीं कर सकेंगे। इसका जो क्लॉज़ ५ है उसमें इन्होंने कह दिया कि घासमारी, पान चराई इत्यादि इत्यादि लाग वसूल की जायेगी। मैं उदाहरण दूं कि राजस्थान में जोधपुर डिविज़न के अन्दर अभी राजस्थान गवर्नमेंट से एक सक्यूलर निकला और यह यह था कि जो घासमारी जागीरी के जमाने में जागीरदार लेते थे वही वसूल करें। सरकार ने एक ऐसा ऑर्डर निकाला जिसके मातहत कई सालों की सेस जिन सालों से काश्तकार अपनी चराई नहीं देते थे उन्होंने उसके आधार पर सक्यूलर निकाल दिया और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से वह सक्यूलर निकलने के बाद में काश्तकारों के भाग्य का निर्णय पटवारियों के हाथ में सौंप दिया गया। जब पटवारी ने इस ऑर्डर को तामील करवाने के लिए गांव गांव में दौरा किया तो काश्तकारों को कहा गया कि जो जागीरदार पान चराई लेते थे, वह तुमको देनी होगी। इसका नतीजा यह हुआ कि पटवारी ने मन चाहे तरीके से क्यों कि वहां न तो पहले कोई लिखित डॉक्युमेंट्स थे और जबानी आधार पर उन्होंने इस प्रकार के सेस वसूल करना शुरु कर दिया। मालूम नहीं कि पहले कितने सेस के लिए ऑर्डर थे। किसी से १५ रुपया सैकड़ा, किसी से १२, किसी से १० और किसी से ८ रुपया सैकड़ा वसूल करना शुरु कर दिया। लेकिन घासमारी के आधार पर तहसीलदार ने ऑर्डर्स दे दिये कि जो पहले लाग वसूल होती थी। वही वसूल की जाये और क्लॉज़ ५ के आधार पर उन्होंने यह और मजबूत कर दिया कि जो लाग पहले लेते थे जो उन्हें फायदा मिलता था जो जमीन चराने के लिए दी जाती थी, जो काश्तकार स्वतंत्रापूर्वक जमीन पर घूम सकते थे वह तो अधिकार आपने छीन लिए और दूसरी ओर आपने जो सक्यूलर निकाला उसकी आड़ में जोधपुर डिविज़न में गांव गांव के अन्दर पटवारी के हाथ में ऐसा काम सौंप दिया कि वह सारा निर्णय करता है। जब तहसीलदार से कहते हैं कि आप इसका निर्णय कीजिए कि क्या लाग वसूल की जाये ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** (राजस्व मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है कि इस कानून के ज़रिये से यह पॉवर्स नहीं ले रहे हैं। घासमारी सेस को लेने के लिए वह तो एबोलिशन के लिए पेश किया है। जो घासमारी वगैरह लगा रहे हैं वह भी

( श्री दामोदरलाल व्यास )

खत्म हो जायेगी। जो सेस लगा है वह तो किसी और कानून के अन्तर्गत है They are under the Land Revenue Act of Jodhpur State or.. याने वहां के रूल्स हैं उसके अन्तर्गत है इसलिए यह बिल के स्कोप में ही नहीं है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने सर्क्यूलर निकाला This is not under this scope. मेरे ख्याल से यह बिल्कुल रिलेवेन्ट नहीं है।

**श्री मूलचन्द डागा** : तो फिर वह किस कानून के अन्तर्गत वसूल कर रहे हैं। मैं आप से फिर अर्ज कर रहा हूं कि मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो सेस वसूल करने के लिए आपने सर्क्यूलर निकाला हैं वह और मजबूत हो जायेगा कि वह सेस वसूल की जाये। क्योंकि वह पहले कभी वसूल नहीं होता था और आप उस सेस को वसूल करवा रहे हैं। यह सारा काम आपने तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पटवारी के हाथों में सौंप दिया है। या तो आप फिर निर्णय कर लीजिए कि हम यह सेस लेना चाहते हैं। एक तरफ आप राजस्थान में यह ढिंढोरा पीटना चाहते हैं कि हम सारे सेसेज़ को माफ करना चाहते हैं और अगर कोई सेस हैं भी तो उनको गैर कानूनी ठहराना चाहते हैं। दूसरी ओर आप कह रहे हैं कि अगर घासमारी ली जाती है तो उसकी वसूली के लिए इजाज़त है। तो यह मेरी समझ में नहीं आया कि इस बिल की क्या आवश्यकता है। जब आप कह रहे हैं। सेक्शन ३५ और राजस्थान लैन्ड रेवेन्यू एक्ट के सेक्शन में साफ लिखा है कि बिना कस्टम के लाग वसूल नहीं की जायेगी। जब आपके टिनेन्सी एक्ट में यह साफ है तो इस कानून की आवश्यकता हमें मालूम नहीं होती कि आप इस कानून से क्या ज्यादा मदद देना चाहते हैं। क्योंकि उस कानून के आधार पर ही हम कोर्ट से माफ करा सकते हैं। लेकिन जो जागीरदार लाग वगैरह लेते थे उसकी कोई हमारे पास पर्मीशन नहीं है और बिना पर्मीशन होते हुए भी वसूल की जा रही है। इसलिए यह जो बिल है वह ज्यादा फायदेमन्द नहीं हो सकता और बेमतलब का साबित हो सकता है।

**राजस्व मंत्री** (श्री दामोदरलाल व्यास) : सभापति महोदय, यह थर्ड रीडिंग के ऊपर खास तौर पर जो बयाने से आने वाले माननीय सदस्य हैं उन्होंने जो कुछ फरमाया उस पर मुझे ताज्जुब नहीं हुआ। इसलिए कि वह प्रगतिशील विचारों के हैं, इसमें तो मैं दूसरी राय नहीं रखता, लेकिन उनको पता नहीं कि कौन कौन सी लाग हैं जो इस कानून के जरिये से बन्द की जा रही हैं। क्यों कि जो रेफरेन्स उन्होंने दिया है जिस किताब का उसको मैंने मंगवाकर देखा कि वह अगर उस किताब के सेसेज़ का अध्ययन करते तो ठीक था। लेकिन उनके पास कोई डिटेल्स ही नहीं है और उस किताब में भी कुछ नहीं है और यह चीज़ माननीय सदस्य ने दूसरी जगह से लेने की भी कोशिश नहीं की। माननीय सदस्य ने कहा कि कन्ट्री के डवेलपमेन्ट के लिए जब दूसरे टैक्स लगा रहे हैं तो उनको खत्म करके दूसरे क्यों लगा रहे हैं। राजस्थान बनने के पहले जो लग रहे थे उनका अन्दाज़ा उनको नहीं है वरना वह इस प्रकार की बात नहीं करते। मैं ५।७ सेस उनकी जानकारी के लिए उनको बताना चाहता हूं।

**श्री श्रीभानसिंह** (बयाना) : मैंने सेस को एबोलिश करने से इन्कार नहीं किया है,

# Page No.41



( श्री भानसिंह )

लेकिन किन सेसेज को एबोलिश कर रहे हैं इसकी जानकारी होनी चाहिए।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : इसकी जरूरत नहीं है! This was not necessary at all and there are about 126 in number.

मेरे ख्याल से १२६ में ऐसे ऐस सेसेज हैं जो शायद माननीय सदस्य को मालूम नहीं है कि किस प्रकार के सेसेस हैं। मैं अर्ज करूं कि जिस फाइनेन्स एन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट का हवाला दिया है तो खुद उनकी रिकमन्डेशन में इस सेसेस को डेवायड किया है और कुछ ऐसे सेसेस हैं जिनको लोकल बोडीज़ इम्पोज़ कर सकती हैं, पंचायतें पंचायत एक्ट के तहत, म्युनिसिपैलिटोज़ म्युनिसिपल एक्ट के तहत, उनको इम्पोज़ करना चाहिए। The Government has no such powers to impose...........कुछ सेसेस ऐसे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हैं, जैसे कि कुछ मिसाल के तौर पर बतला दूं, कि रसोइया सेस लगता था। कोई ऑफिसर गांव के अन्दर लगान वसूल करने जाता था तो खाना पकाने वाला, उसके साथ जायगा तो उसका सेस लग गया। जागीरदार जाता और उसका कामदार जाता था तो सेस लग गया। कामदार का भी सेस। कंवर जाता था तो कंवर लाग लगती।

**श्री मदनसिंह** ( दांतारामगढ़ ) . आप रहने दें। आप भी जाते हैं तो वही लगती है।

**श्री दामोदरलालव्यास** : आप इतने परेशान क्यों होते हैं ? इस प्रकार का सेस है वे एबोलिश किये जा रहे हैं। इस प्रकार के सेस हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन अलाऊ नहीं कर सकता है रियेलाइज़ करने के लिए उनको एबोलिश कर रहे हैं। उनके लिए माननीय सदस्य सिफारिश करते हैं कि रखना चाहिए। केवल इसलिए सिफारिश कर रहे हैं कि आपको पता नहीं........

**श्री श्रीभानसिंह** : मैंने सेसेज़ के लिए नहीं कहा है रखने का। जो पर्सनल ग्रेन के लिए था उनको एबोलिश करना जो फ्यूडल लॉर्ड्स क्लेक्ट करते थे अपने लिए जनरल गुड के लिए जो सेस रखे हैं उनको रखना चाहिए। मेरा यह कान्टेन्शन था।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : एक सेस का नाम नहीं लिया है। उनको मालूम नहीं है कि जो जनरल गुड्स के सेस हैं उनको लगाने का अधिकार लोकल बोडीज़ को, पंचायतों को, म्युनिसिपैलिटीज़ को और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को कानून के तहत में, उसको लागू करने का और वसूल करने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा इसमें जितने सेस एबोलिश किये हैं वह पर्सनल गुड के हैं कामन बेनिफिट के सेस नहीं हैं जिसको कि नहीं लगाना चाहते हैं। वह एक लम्बी लिस्ट है उसको मेरे लिये पढ़ना ठीक नहीं रसोइये का, चमार का, हाली का है। न मालूम किस तरह के सेसेज हैं जिनको एबोलिश इसके ज़रिये करने जा रहे हैं। जैसा कि आपसे निवेदन किया है कि एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर से इनका रियेलाइज़ेशन कभी का बन्द हो चुका है। सिर्फ एक लीगल सेन्क्शन से इसको वेलिडेट किया जा रहा है।

दूसरी बात अलवर और भरतपुर के

( श्री दामोदरलाल व्यास )

सेस के लिए माननीय सदस्य ने यह कहा कि वह जमींदार जो है उसको पुराने जमाने से वसूल करता है तो फ्यूडल सिस्टम को कन्टीन्यू करने के लिए प्रोविजन करते हैं। उनको शायद वह बात मालूम नहीं है कि वहां पर डवेलपमेन्ट सेस लगता है वह गवर्नमेन्ट वसूल करती है। जमींदारों के साथ एग्रीमेन्ट है और सेटिलमेंट के अन्दर दर्ज करने का, उसके जरिये से वसूल करती है और उसको कॉन्टीन्यू कर रही है। वह जमींदार को फायदा पहुँचाने के लिए नहीं लगा रहे हैं। That is purely an assessment realised by the Government. वह एग्रीमेंट के अन्दर दर्ज हैं और सेटिलमेंट का पार्ट एन्ड पार्सल है।

दूसरी बात जोधपुर डिविजन से आये हुए माननीय सदस्य ने पानचराई और घास-मारी के लिए जो एक्सेप्शन किया गया है उसके लिए बहुत ज़ोर से कहा है कि नहीं होना चाहिए। मैं आपसे अर्ज करता हूं कि पानचराई और घासमारी सेस का जहां तक सम्बन्ध है वह इस कानून के जरिये पॉवर नहीं ले रहे हैं। वह सेस वसूल होता है। वह अलग अलग जगह होता है। मैंने कई मर्तबा इस सदन के अन्दर निवेदन किया है। जो एक्सेप्शन किया है उनकी सारी स्थिति बतलाई है कि पानचराई और घासमारी सेस क्यों वसूल होता है। मैंने बतलाया कि अन्ऑक्युपाइड लैंड की नेच्युरल प्रोड्यूस है। जहां कि अलग चरागाह हैं उसकी कीमत है जो कि हम वसूल करते हैं। गांव वालों को इस बात का प्रिफरेन्स देते हैं। माननीय सदस्य बार बार इस बात का इसरार करते आये हैं कि वहां जो भेड़ बकरी वाले हैं, ऊंट वाले हैं उनकी एक समस्या है उसको हल किया जाय। उन लोगों के लिए जो फसल काटने के बाद खातेदार काश्तकारों की जमीन हैं उस जमीन को उनके लिए खोलने के लिए मजबूर किया जाय। मैंने उन्हें कानूनी नुक्ते नज़र से समझाया है कि यह मुमकिन नहीं है कि हम उनको मजबूर कर सकें कि उनकी जमीन में वे भेड़े, बकरी, ऊंट वगैरह को चरने दिया जाय। वे भेड़ बकरी वाले काश्तकारों से आपस में हिसाब बिठा कर, कर सकें तो ठीक है। सरकार का उससे कोई लेन देन नहीं है। सरकार उसमें कोई दखल नहीं कर सकती है। किसी को अधिकार नहीं है कि उनके खेत की प्रोड्यूस है उसके खेत की प्रोड्यूस को लेने से वंचित किया जाय। गवर्नमेंट के एक्जीक्यूटिव ऑर्डर हैं कि पान-चराई और घासमारी जो है वह ग्रेजिंग चार्जेज हैं। उस नेचुरल प्रोड्यूस का करते हैं चार्ज जो कि अन्ऑक्यूपाइड लैंड की है। हरएक गांव के लिए है। गवर्नमेंट का इस प्रकार का आदेश है कि जिस गांव के अन्दर अन्ऑक्यूपाइड लैंड नहीं हो इस प्रकार के सेस वसूल नहीं किये जायं। वहां ग्रेजिंग चार्जेज वसूल नहीं होंगे। माननीय सदस्य यदि जहां पर चरागाह डिमार्केटेड नहीं है वहां पर यह वसूल होता है उसकी ओर ध्यान आकर्षित करेंगे तो कार्यवाही की जायगी।

**श्री अनोपसिंह** ( बालोतरा ) : सारी बात स्वयं आप ही क्यों नहीं करते हैं। गवर्न-मेंट देखे कि कहां कहां समस्या है।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मैं अर्ज करूंगा कि किसी एक गांव के लिए, एक जगह के लिए यह मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मैंने सिद्धान्त अर्ज किया है अन्ऑक्य-पाइड लैण्ड ऑफ दी विलेज है उसकी नेचु-

( श्री दामोदरलाल व्यास )

रल, प्रोड्यूस की कीमत वसूल करने के लिए फिर से लैण्ड रेवेन्यू के साथ गांव वाले दे देते हैं तो उनको दे दिया जाता है। नहीं देते हैं तो चार्ज करते हैं। ग्रेजिंग चार्जेज के रूप में वसूल करते हैं। वहां नहीं सारे राजस्थान में। जोधपुर डिविजन के जिस एरिया में जहां कोई समस्या इसकी खड़ी हो गई हो भेड़ बकरी वालों के लिए, ऊंट वालों के लिए तो कानून के सारे तरीके हैं जो राजस्थान भर के लिए वे तब्दील नहीं किये जा सकते। यह माननीय सदस्य को एक दफा नहीं कई बार कह दिया गया है कि उसमें कोई तब्दीली करने को मैं तैयार नहीं हूं। वह अगर यह समझते हैं कि पानचराई और घासमारी गैरवाजिब है तो अदालत में मजीद कार्यवाही करके रेमीशन करायें, कमी करायें, या हटायें। यह मैंने जरूर अर्ज किया है और बार बार कहा है कि अगर कहीं पर अनुऑक्यूपाइड लैन्ड नहीं है फिर भी वसूल किया जा रहा है तो सरकार के ध्यान में लाया जाय। वह कहते हैं कि लाकर क्या करें और नहीं लायें तो मरजी उनकी। मुझे आवश्यकता नहीं है....

**श्री अनोपसिंह** : मैं आपके सामने लाऊंगा....

**श्री दामोदरलाल व्यास** : I don't want to be disturbed like this.

जहां तक इस कानून का सम्बन्ध है उसकी इससे कोई रेलेवेन्सी नहीं है। केवल इस कानून से गलतफ़हमी न हो जाय, इस एबोलिशन एक्ट से यह न समझ लिया जाय कि पान चराई और घासमारी भी बन्द कर दी गई है।

They will continue as hithertofore.

कानून से बन्द कर दी गई है तो कानून को चेलेन्ज कर सकते हैं और अगर कहीं इन्वेलिडेट हो गया तो हो जायगा। महज़ सेविंग क्लॉज इसलिए रखी है कि इस एबोलिशन से यह न समझ लिया जाय कि वह भी एबोलिश हो गई। केवल गलतफहमी नहीं हो जाय, अनुनेसेसरी लिटिगेशन नहीं हो जाय कुछ लोग यह समझें कि इस कानून से पान चराई और घासमारी बन्द होगई इसलिये देना बन्द कर दें और लिटिगेशन हो जाय। सरकारी वसूली के अन्दर सख्ती हो जाय, तो उस गलतफहमी को दूर करने लिये यह सेविंग क्लॉज रखी है।

यही बात मैंने पाली से आये माननीय सदस्य को बार बार सवाल के जवाब में और बहस के दौरान में कई दफा समझाने की कोशिश की है कि यह मुमकिन नहीं है। मैं नहीं समझता कि उससे ज्यादा क्या चाहते हैं। पानचराई और घासमारी कोई हम बन्द नहीं कर सकते हैं। वह जिस कानून के तहत लागू है वह लगती रहेंगी। जहां तक सरकारी जमीन का सवाल है और उसकी नेचुरल प्रोड्यूस से फ़ायदा उठाते है। तो जैसी इस कानून की मन्शा है इस प्रकार की लाग बाग वसूल की जा सकती है। वर्ना अलग से गवर्नमेंट ने इसको बन्द कर दिया है उसको वेलिडेट करने के लिए कोई लीगल सेंक्शन नहीं है, इसलिए इस बिल को पेश किया है, और मैं यह अर्ज करूंगा कि इसको पारित किया जाय।

**श्री सभापति** : प्रश्न यह है कि राजस्थान उप-कर समाप्ति विधेयक, १६५६ को पारित किया जावे।

( स्वीकृत )

विधेयक पारित किया गया।

( विराम )

१० म० पू०

**राजस्थान जागीरदार्स मुआवजा तथा पुनर्वास अनुदान ( अंतिम अज्ञाएं वैधकरण ) विधेयक, १६५८ ।**

( विचार विमर्श एंव पारण )

**श्री दामोदरलाल व्यास** ( राजस्व मंत्री ) : सभापति महोदय, राजस्थान जागीरदार्स मुआवजा तथा पुनर्वास अनुदान (अंतिम आज्ञाएं वैधकरण) विधेयक, १६५८ को विचारार्थ लिया जाए।

**डॉ० चन्द्रकला** ( किशनपोल बाजार, जयपुर ) : माननीय सभापति, राजस्थान जागीरदार्स मुआवजा तथा पुनर्वास अनुदान ( अंतिम आज्ञाएं वैधकरण ) विधेयक १६५८ सदन में विचारार्थ प्रस्तुत है। इसके सम्बन्ध में मेरा प्रस्ताव है....

**श्री दामोदरलाल व्यास** : सभापति महोदय, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण कर दूँ ताकि स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्स एण्ड रीजन्स में जो बातें दी गई हैं साफ हो जाएं।

**श्री मदनसिंह** (दातां रामगढ़) : माननीय सदस्या को हो सकती हैं दूसरों को नहीं हो सकती।

**श्री सभापति** : अनुमति है।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : सभापति महोदय, यदि स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टस एण्ड रीजन्स को थोड़ा सा माननीय सदस्या मुलाहजा करती तो मालूम होता कि राजस्थान लैंड रिफोर्मस एण्ड रिजम्प्शन ऑफ जागीरदार्स एक्ट १६५२ के सेक्शन ४२ की तहत में जागीर कमिश्नर ने सरकार की प्रीवियस सेक्शन से कुछ पावर्स कम्पेन्सेशन्स को जल्दी तय करने के लिए कमिश्नरों और कलेक्टरों को दिये। इसमें सिर्फ कमी यह रह गई कि कुछ कलेक्टरों और कमशिनरों ने अपने पॉवर्स को एक्सीड कर दिये। इसके अलावा कोई बात नहीं है।

**डॉ० चन्द्रकला** ( किशनपोल बाजार, जयपुर ) : मैंने उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण को देखा हैं। मेरा इस पर प्रस्ताव है।

सभापति महोदय, माना कि देखने में यह विधेयक बहुत ही छोटा है और बहुत ही इन्नोसेन्ट भी कहा जा सकता है मैंने इसको अच्छी तरह से पढ़ा है और इसके ऑब्जेक्स एण्ड रीजन्स को भी पढ़ा है और इसकी एक एक धारा को पढ़ा है। इसके बाद आवश्यकता यह पड़ी कि इसको इतनी आसानी से सदन के सामने लाकर पास नहीं कराया जाना चाहिए। इस पर अच्छी तरह से सोच विचार करने की आवश्यकता है जैसा कि शीर्षक से मालूम होता है कि जागीरदारों के मुआवज़ा तथा पुनर्वास अनुदान से इसका सम्बन्ध है। माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि इसके उद्देश्यों तथा कारणों में लिखा हुआ है : क्लेक्टरों तथा कमिश्नरों में से कुछ ने उक्त एक्ट की धारा ३२ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत अपने द्वारा पारित अस्थायी आज्ञाओं के बारे में उक्त एक्ट क

( डॉ० चन्द्रकला )

उक्त धारा २ की उपधारा (२) के अन्तर्गत अंतिम आज्ञायें देकर, उन्हें इस प्रकार की प्रदत्त शक्तियों की सीमा से बाहर कार्य किया। ऐसे मामलों की संख्या काफी अधिक है। जिनमें कि उपरोक्त प्रकार सौंपी गई शक्तियों की सीमा से बाहर कार्य करते हुए उपरोक्त की भांति ऐसी अंतिम आज्ञायें दी गई हैं और उन सब मामलों को पुन: आरंभ करना वांछनीय नहीं है, और सार्वजनिक हित में वैसी अंतिम आज्ञाओं को तथा उन्हें पारित करने के लिये की गई कार्यवाहियों को वैध कर देना सार्वजनिक हित में इष्टकर है। अतएव विधेयक प्रस्तुत है। सभापति महोदय, ध्यान देने की आवश्यकता है कि क्लेक्टर और कमिश्नरों ने अपने अधिकार शक्ति से बाहर काम किया और ऐसे केसेज एक दो नहीं हैं बहुत अधिक हैं। उनको अब फिर से प्रारंभ करना ठीक नहीं है। इसलिये उनका वैधकरण करने के लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है कि क्लेक्टर और कमिश्नरों ने अपनी शक्ति से अधिक शक्तियों की सीमा के बाहर जाकर काम किया है उसको ठीक कर दिया जावे। जहां तक सरकार का प्रश्न है और सरकार द्वारा प्रदान किये गये अधिकारों के अतांत्ति क्लेक्टर और कमिश्नरों ने यह काम किया और सरकार इस तरह का विधेयक लाती हैं तो ठीक है। पर इसमें दूसरे पक्ष भी शामिल है जिनको मुआवज़ा मिलता है और वे भी इससे संबन्धित होते हैं तो इसमें विचार करने और देखने की बात यह है कि उनके साथ पूरा पूरा न्याय कर सकते हैं या नहीं। जब तक इस बात पर विचार नहीं कर लेते हैं कि किसी तरह से उनके साथ असंतोष का कारण नहीं होगा तब तक इस पर विचार करना होगा। यह बात माननीय मंत्री महोदय अपने स्पष्टीकरण में स्पष्ट कर देते कि क्लेक्टर और कमिश्नरों ने अपनी शक्ति से अधिक शक्ति का प्रयोग किया है। उससे जागीरदारों के पक्ष में और विपक्ष में हो गया है और इसमें जागीरवर्ग भी शामिल है। मैं तो यह कहूंगी कि सरकारी अधिकारियों को जो शक्ति दी गई, उन्होंने उस शक्ति का उपयोग ही नहीं किया बल्कि उससे भी आगे बढ कर ऐसे निर्णय कर लिये जो उनको करने का अधिकार नहीं था। उसके लिये सरकार इस प्रकार की मांग कर रही है कि इसका वैधकरण कर दिया जाए तो ले मेन भी देख सकता है कि सदन इस प्रकार के विधेयकों को पारित कर देता है। जिसके लिये सोचने की बहुत जरूरत है। सरकार को सरकार की दृष्टि से सोचना चाहिये। जहां सरकार अधिकारियों का ख्याल करती है वहां उनके साथ साथ सरकार को दूसरे वर्गों का भी ख्याल करना होगा जिनके विषय में मुआवज़ा दिया जावेगा। पुनर्वास अनुदान मिले हैं। मैं इसका विरोध नहीं कर रही हूं। मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि यह मामला आसानी से हल करने का नहीं। हमें इसके बारे में सोचना होगा कि वे अधिकारी अपनी शक्ति की सीमा के बाहर गये और कहां तक गये और उनका निर्णय किस रूप में हुआ कितने इससे प्रभावित होंगे और किस पर इसका असर पड़ेगा। अगर माननीय मंत्री अपने स्पष्टीकरण में बता देते तो ज्यादा अच्छा रहता और इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मैंने यह प्रस्ताव रखा था। इस प्रकार के सेसेज बहुत अधिक हैं।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : बहुत अधिक नहीं हैं।

**डॉ० चन्द्रकला** : ऐसे मामलों की संख्या

( डॉ० चन्द्रकला )

काफी अधिक है जिनमें कि उपरोक्त प्रकार सौंपी गई शक्तियों को सीमा से बाहर कार्य करते हुए उपरोक्त भांति ऐसी अंतिम आज्ञायें दी गई हैं और उन सब मामलों को पुनः आरम्भ करना वांछनीय नहीं है। मुझे लगता है कि यह विधेयक यहां रखना सरकार की दृष्टि से वांछनीय नहीं है। इसमें सरकार की गलती हो गई है, गलती सबसे होती है। सरकार की गलती है तो उसको फिर से ओपिन करें और फिर से देखे और यह कहना कि यह वांछनीय नहीं है, क्या सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती है। मैं यह कहूंगी कि पब्लिक के हर वर्ग के साथ हमें न्याय करना है। इतने सारे मामले हैं। माननीय मंत्री महोदय को ऐसा ख्याल था कि अधिक मामले नहीं हैं लेकिन इसमें साफ लिखा है कि इतने अधिक केसेज हैं कि उनको फिर से री–ओपिन किया जाना उचित नहीं हो सकता। इसलिये मेरा प्रस्ताव है कि इस पर विचार किया जावे और फिर इस कानून को पास किया जावे और आवश्यकता नहीं हो तो इसको न रखा जाए काम तो हो गया है। इसको किसी तरह से हम देखें। इसको किसी तरह से हम देखें। इसलिये मैंने अपना प्रस्ताव पेश किया है।

**श्री मदनसिंह** (दांता रामगढ़) : सभापति महोदय, मैं राजस्थान जागीरदारी मुआवजा तथा पुनर्वास अनुदान (आज्ञाएं वैधकरण) विधेयक, १९५८ का विरोध करता हूं। उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में यह दिया गया है कि इसको लाने की इसलिये जरूरत पड़ी है। मैं समझता हूं कि राजस्व मंत्री यह फरमावेंगे कि जागीरदारों के भी फायदे की चीज होगी। हजारों को मुआवजा दे दिया जा चुका है और वापिस देना होगा तो अच्छा नहीं। इसलिये जागीरदारों को यह समझाया जा रहा है कि इसके लिये आप कुछ न करें। जो मुआवजा मिल गया है उसको अन्तिम निर्णय देना चाहिये। सभापति महोदय, चारावास का केस, आज एक नहीं अनेक केसेज में अन्धाधुन्ध हो रहा है।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मैं यह निवेदन करूंगा कि चारावास केस से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

**श्री मदनसिंह** ( दांता रामगढ़ ) : मैं आपको सिद्ध करूंगा और आप मानेंगे कि इसका इससे सम्बन्ध है।

सभापति महोदय, कलेक्टर को अधिकार नहीं था, उनके मुआवज़े का निर्णय देने का, यह साबित करता है कि उन लोगों ने कुछ न कुछ घोटाला किया है। उन घोटालों को कई दफा रेवेन्यू मिनिस्टर साहब के सामने सवालों के ज़रिये रखा है, उन पर कई दफा बहस हुई है। आपने इस चीज को माना है और रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने आर्डर दिया है कि जिन जागीरदारों को गलत मुआवज़ा दिया है, उनसे वसूलात हो। मैंने कहा है कि चारावास के केस के समान उस कलेक्टर ने हज़ारों जागीरदार बनाये हैं, जो हिज़ हाइनेश ने अपने समय में जागीरदार नहीं बनाये थे, गलत जागीरदार बना कर मुआवज़े का फैसला दिया है। ऐसा एक केस नहीं, अनेक केस हैं। जागीरदारों को आप कहते हैं कि आप क्यों विरोध करते हैं, यह तो आपके पक्ष में है। विशेष चीज यह है कि कई जागीरदारों के ऐसे फैसले किये हैं, जो जागीरदार नहीं थे, जिनका जागीर से सम्बन्ध नहीं था। ऐसे जागीरदारों पर, ईश्वर जाने, क्यों मेहरबानी हुई है, उन्हें जागीरदार क्यों बनाया है। और

( श्री मदनसिंह दांता )

जो वास्तव में हक रखते हैं, जो वास्तविक हकदार थे, वे आज तक रो रहे हैं, उनको मुआवज़ा नहीं मिला है। इस कानून के ज़रिये मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि जिस कलेक्टर ने हजारों की संख्या में व्यक्तियों के साथ अन्याय और अत्याचार किया है और गरीब जागीरदारों के हक को छीन कर अनाधिकृत जागीरदारों को मुआवज़ा देने का फैसला किया है, उसको आप कानून की मदद देकर आप चाहते हैं कि उसके फैसले वैसे ही रह जाय। मैं चाहता हूं कि जो केसेज़ हो गये हैं उनकी जब तक जांच न हो, तब तक यह बिल पास नहीं होना चाहिए। अन्यथा इस बिल पर असेम्बली की मोहर लग जाती है, तो न तो कोर्ट इस पर फैसला दे सकता है, न जागीरदार अपने केस कोर्ट में पेश कर सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि यह जागीरदारों के पक्ष की चीज़ नहीं है। यह कलेक्टर के पक्ष की चीज़ है। जो कलेक्टर इतना नाकाबिल है, जिसको मालूम नहीं कि उसे पांच हजार के नीचे के जागीरदारों के केसेज डील करने है। यह रेवेन्यू मिनिस्टर साहब की कमजोरी है कि उन्होंने उन्हें सज़ा नहीं दी। उनको सजा दी जानी चाहिए थी ताकि केस ज्यादा नहीं होते। हमने बार बार रिपोर्ट की और बार बार रेवेन्यू मिनिस्टर साहब के सामने इस बात को लाये। मैं समझता हूं कि ऐसे जागीरदारों पर इतनी मेहरबानी तभी हो सकती है। जब कि या तो कानून को न समझते हों, लेकिन वह है नहीं। हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर साहब दोनों चीजें लाते हैं, वे को खुश कर देते हैं और दूसरी तरफ जो राज्य कर्मचारियों की गलती हो जाती है, उसको सपोर्ट करते हैं। मैं इसका विरोध करूंगा। मैं सिद्ध कर सकता हूं केवल बीकानेर डिवीजन में १५० केसेज ऐसे बताऊंगा जिनमें पांच हजार से ऊपर के जागीरदारों के फैसले गलत ढंग से कलेक्टर ने किये हैं। मेरी तो यहां तक सूचना है कि इसके अन्दर घोटाला हुआ है, कुछ रुपये दिये गये हैं क्योंकि और कारण नहीं हो सकता। मैं समझता हूं कि कलेक्टर और कमिश्नर इतने अनपढ़ नहीं हैं कि वे यह भी नही समझे कि उनका कौनसा अधिकार है, कहां तक के जागीरदारों का फैसला करने का अधिकार है। उन्होंने ऐसी कुचेष्टा की है। उनको कानूनी अधिकार देना, मैं समझता हूं सदन के माननी सदस्यों को कहां तक उचित लगेगा? मैं समझता हूं कि अगर आप इस प्रकार कानून बना देंगे, तो कल अगर फिर राज्य कर्मचारी अन्याय करेंगे तो आप कहेंगे कि इसको कानूनी हक देना चाहिए। मैं समझता हूं कि पुलिस के केसेज ऐसे होंगे। आज रेवेन्यू मिनिस्टर ने शुरुआत की है, आगे पुलिस के केसेज ऐसे होंगे। मैं समझता हूं कि इसका विरोध होगा क्योंकि इसका उन जागीरदारों से सम्बन्ध है, जिनके साथ कलेक्टर ने अन्याय किया है, कमिश्नर ने अपने हक के खिलाफ चीजे की है, जिन्हें न भू स्वामी संघ सुन रहा है और न रेवेन्यू मिनिस्टर साहब सुन रहे हैं। मैं समझता हूं कि जागीरदार को सही रूप से मुआवज़ा दिया जाय तो उसको क्वेश्चन कौन कर सकता है। ऐसे हज़ारों जागीरदार हैं जो बिल्कुल जागीरदार नहीं थे, जिन्होंने कुछ रुपया खर्च करके, पैसा देकर अपने अधिकार को जमाया है। ऐसे हक दिये जाते हैं, तो मैं समझता हूं यह अन्याय है और जुल्म है। इस अन्याय और जुल्म के लिए सदन की मदद ली जाती है, तो मैं समझता हूं कि यह एक और अन्याय

( श्री मदनसिंह दांता )

है । इसलिए मैं समझता हूं कि पहले केसेज की ठीक ढंग से जांच न हो तब तक यह कानून नहीं आना चाहिए । वैसे आपकी मर्जी है, मेरा सम्बन्ध इससे ज्यादा नहीं है । अगर भू स्वामी संघ वाले समझते हैं कि यह एक ढंग से ठीक है और यह अन्याय वाजिब है तो मैं यह समझता हूं कि मेरा इसमें कोई हर्ज नहीं है । मेरी कॉन्स्टिट्यूएन्सी में जो जागीरदार हैं, उनके साथ जुल्म हुआ है । मेरे पास केसेज हैं, उनको रेवेन्यू मिनिस्टर साहब डील कर रहे हैं । इसके अलावा मैं समझता हूं कि जितने भी कानून बनते हैं वे न्याय के लिए बनते हैं । जब ऐसे फैसले दिये हैं, जो कि गलत दिये हैं तो कम से कम एक कलेक्टर को सज़ा देनी चाहिए । जब कि एक अधिकार के खिलाफ एक चीज़ की, जब पांच हजार के नीचे की जागीर के जितने केसेज थे, वे दिये गये, उसके बाद भी पांच हजार के ऊपर के केसेज अधिकारी करे, तो उसका कारण यह हो सकता है कि कुछ रिश्वत की बात आई होगी । मैं एक दो केसेज में सिद्ध भी कर सकता हूं कि कुछ रुपया दिया गया और उन्हें जागीरदार बना दिया गया जब कि असली जागीरदार बैठे हुए हैं और उनके लिए कुछ नहीं हो रहा है । मैं समझता हूं कि सदन के सभी सदस्य इस चीज़ का विचार करेंगे और उन्हें ऐसे बिल का विरोध करना चाहिए । जहां राज्य कर्मचारी चला कर गलती करता है और आप उसको सपोर्ट करते हैं, उसे मदद देते हैं, जब कि सदस्य कहते हैं कि हमें नौकरशाही को कम करना है, और जब केसेज पकड़े जाते हैं तो आप उनको मदद करने के लिए कानून बनाते हैं, यह मैं समझता हूं कि उचित नहीं है । मैं रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि भू स्वामी संघ को गलत समझा कर आप यह करना चाहते हैं, यह गलत है ।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : With your permission Sir, I wanted to give some information with regard to this Bill......

**श्री मदनसिंह** : आप पूरा जवाब दे रहे हैं या मेरा जवाब दे रहे हैं । आप मेरा जवाब देंगे तो मैं उसका जवाब दूँगा ।

**श्री दामोदरलाल व्यास** (राजस्व मंत्री): मैं माननीय सदस्य को जवाब वक्त पर दूंगा । मैं अभी सूचना देना चाहता हूं कि किसी कलेक्टर या कमिश्नर ने जान बूझ कर गलती नहीं की है । यह नहीं हुआ है कि उन्होंने अनधिकृत चेष्टा की हो, जो अधिकार उन्हें हॉसिल नहीं हैं वे अधिकार काम में लिये हों । बात यह है कि जागीर कमिश्नर को यह अधिकार है कि वह रेवेन्यू ऑफिसर को डेलीगेट कर सकता है । उसमें ऐसा है कि असिस्टेन्ट कमिश्नर के नीचे के अधिकारी के लिए अधिकार नहीं दिया है । इसके अलावा एक जागीर एडवाइजरी कमेटी बनी हुई है, उस जागीर एडवाइजरी कमेटी ने सिफारिश की थी कि पांच हजार तक दावे फाइनलाइज़ करने के अधिकार कलेक्टर को देने चाहिए और १० हजार के दावे फाइनलाइज करने के अधिकार कमिश्नर को देने चाहिए ताकि कम्पेन्सेशन के केसेज फाइनलाइज होने में देर न लगे, और वर्क को सेन्ट्रलाइज कर देने में केसेज में देर लगती है । उस सिफारिश के अनुसार इस अधिकार को प्रयोग में लेते हुए डेलीगेशन ऑफ पॉवर्स की है । उसमें बजाय फाइनल अवार्ड के, प्रॉवी-

( श्री दामोदरलाल व्यास )

जनल अवार्ड लिख दिया, यह क्लेरीकल मिस्टेक की वजह से, टाइपिंग मिस्टेक की वजह से नोटीफिकेशन में प्रोवीजनल अवार्ड हो गया। वैसे मन्शा जागीर कमिश्नर की और एडवाइजरी कमेटी की यह थी, केवल क्लेरीकल मिस्टेक और टाइपिंग मिस्टेक की वजह से फाइनल अवार्ड की जगह प्रोवीजनल अवार्ड लिख दिया गया। यह मिस्टेक डिटेक्ट हुआ उस समय तक १३००, १४००, केसेज़ कलेक्टर और कमिश्नर ने फाईनलाइज कर दिये थे। वह रिप्रट यह थी जो कि जागीर एडवाइजरी कमेटी ने सिफारिश की थी और उसके तुरन्त बाद ही नोटीफाई कर दिया, उसको अमेंड कर दिया और प्रोवीजनल की जगह फाइनल कर दिया। अब सवाल यह हुआ कि जो केसेज कैंसल कर दिये पहले नोटीफिकेशन के तहत, अब यह अमेंडमेंट रेट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट से फोर्स में आयेगा। इसके लिए उसे वेलीडेट करने के लिए कानून बनना चाहिए। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि न तो कोई अनधिकृत चेष्टा की है, न कोई ऐसा गलत काम किया है, केवल टाइपिंग और क्लेरीकल मिस्टेक थी। जिसकी वजह से फाईनल की बजाय प्रोवीजनल लिख दिया गया। उसको अमेंड कर दिया और उस समय तक जो कार्यवाही हुई उसको वेलीडेट करने के लिए यह बिल पेश किया है। इसको माननीय सदस्य समझें कि जान बूझ कर कलेक्टर ने गड़बड़ी की है, यह बिल्कुल सही नहीं है।

**श्री मदनसिंह** : Just for clarification Sir, जितने केसेज गलत किये हैं, उनको कोर्ट में ले जाने का अधिकार होगा ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : गलती का सवाल नहीं है।

**श्री मदनसिंह** : सवाल यह आता है कि उनके लिए क्यों नहीं कहा कि जो केसेज गलत कर दिये हैं, उनको कोर्ट में ले जाने का अधिकार होगा। जिन्होंने गलत मुआवजे दे दिये हैं, उनका फैसला कोर्ट में चेलेंज होगा या नहीं ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : किसने मना किया है, कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं।

**श्री मदनसिंह** : मना नहीं तो हां कर दीजिये।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मैं तो कह रहा हूं कि जो गलत कार्यवाही हुई है, बहुत खुशी से, शौक से कोर्ट में, रिवीजन में, रिव्यू में ले जा सकते हैं।

**श्री पी. के. चौधरी** ( फुलेरा ) : सभापति महोदय, मैं इस बिल के विरोध में बोलना चाहता हूं। आज इस सदन में हम देखते हैं कि अक्सर वेलीडेशन के बिल आते हैं, या ऑर्डिनेन्स आते हैं। वह हम समझते हैं कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, एग्जीक्यूटिव एक्शन या पर फोर्मेन्स के वेलीडेशन के लिए आते हैं। सेल्स टैक्स के लिए कई दफा वेलीडेशन बिल आये, और टैक्सेज के लिए भी बिल पेश किये हैं। उसमें हमें ऑब्जेक्शन नहीं था, आब्जेक्शन इसलिए नहीं लिया कि हम समझते थे कि उनमें समय कम रहा था, उस समय के अन्दर अन्दर जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, जो गवर्नमेंट मशीनरी है, जिसको फंक्शन करना पड़ता है, उनको टैक्स के रियलाइजेशन वगैरह में दिक्कत

( श्री पी. के. चौधरी )

पैदा होती है और उस वेलीडेशन बिल से हम डेट वगैरह को एक्सटेन्ड करते हैं....

सेल्स टैक्स में हमने प्रोसीजर को भी एक दफा वेलीडेट किया है लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि यह बिल, यह जो एक्शन लिया गया गवर्नमेंट मशीनरी के ज़रिये, वह ग्रोस हेस्ट से, जल्दबाज़ी से नहीं लिया गया है। ऐसी कोई टार्गेट डेट नहीं थी कि इस तारीख से पहले कम्पेन्सेशन फिक्स करना है। समय बहुत मिला था, कोई दो चार महीने में फिक्स करना था यह बात नहीं थी, काफी समय लिया गया है कम्पेन्सेशन फिक्स करने में। दूसरा जो क्लेरिफिकेशन दिया गया कि प्रोविजनल की जगह फाइनल बन गया था टाइपिंग मिस्टेक से.... this surpasses my imagination. By typing mistake it could have been 'professional' or 'promotional' but not 'final'. टाइपिंग मिस्टेक से प्रोविजनल की बजाय फाइनल हो गया, ऐसा टाइपिस्ट मैंने आज तक नहीं देखा कि प्रोविजनल टाइप कर दे। यह क्लेरिकल मिस्टेक से या टाइपिंग मिस्टेक से नहीं हुआ है, यह तो डेलिबरेटली हुआ है। दूसरे एग्जीक्यूटिव की तरफ से इस तरह की गलती हो और जो लेजिस्लेशन की मंशा हो उसके खिलाफ एग्जीक्यूटिव फंक्शन करे और कहे कि क्लेरिकल मिस्टेक से ऐसा हो गया था यह कोई मामूली बात नहीं, मेलाफाइड इन्टेंशन से की हुई चीज़ है we can apprehend malafide intention.

जैसा कि माननीय सदस्य ने यहां रखा है हेअर कोई होता है दूसरे को कम्पेन्सेशन दिया जाता है और लेजिस्लेशन के जरिये अमाउन्ट फिक्स किया हुआ था कि ५ हजार से ज्यादा का नहीं कर सकते, उससे ज्यादा का किया और जहां प्रोविजनल करने का था वहां फाइनल कर दिया। इस धारा में अमाउन्ट की लिमिटेशन थी कि इतने अमाउन्ट से ज्यादा का ऑर्डर नहीं दे सकते और दूसरा यह था कि फाइनल नहीं होगा, प्रोविजनल रहेगा तो एक तो अमाउन्ट को एक्सीड किया और दूसरे ऑर्डर को प्रोविज़नल करने के स्थान पर फाइनल कर दिया गया है और इसके ऊपर लेजिस्लेशन की मोहर लगवाने के लिये यहां लाया गया है। मन्त्री महोदय ने कहा कि कोर्ट में जा सकता है, इसमें ऐसा नहीं है पर मन्त्री महोदय ने कहा है, इसमें दिया हुआ है क्लाज़ 2 (b):–......"......... and no such final order shall be liable to be called in questionin any tribunal or court merely on the ground that the Collector or the Commissioner, as the case may be, had no authority or power to make such final order or to take any proceedings in furtherance of the making thereof."

सिर्फ इतना ही नहीं कि कोर्ट में नहीं जा सकता, उनके आर्डर को चेलेंज करे टेक्निकल ग्राउन्ड पर कि जो उनके पावर थे उससे ज्यादा रुपया फिक्स किया पर even in proceedings.

इसमें स्टेटमेंट आफ रीजन्स एन्ड आब्जेक्ट्स में कहा है कि : "........... and in the public interest it is expedient to validate such final orders and the proceedings taken in furthering the passing thereof. Hence this Bill."

इसमें प्रोसिडिंग्स जो एक्सेप्ट किया गया है।

क्लाज २ में है : " .......notwithstanding any want or defect of jurisdiction, all final orders made under sub-section (2) of section 32 and under sub-section (2) of section 38 B of the said Act from the date of the said notification till the date of the commencement of this Act,in respect of Jagir lands resumed unedr the said Act..."

तो इसमें चाहे किसी तरह का डिफेक्ट हो प्रोसिडिंग्स में है, पावर्स में है या आर्डर में है, सभी को वेलिडेट करते हैं तो मैं समझता हूं कि इस तरह का ब्लैंक चैक देना जब कि हम जानते हैं कि जान बूझ कर एग्जीक्यूटिव ने पॉवर को एक्सीड किया है, तो यह उचित नहीं होगा । एग्जीक्यूटिव को करेक्ट करने के लिये जुडिशियरी को रखा है, उसके लिए इससे रास्ता बन्द कर रहे हैं ।....

When the executive surpasses or exceedsthe powers given to them by the Legislature....

जहां ऐसा झगड़ा है कि लेजिस्लेचर का क्या इन्टरप्रिटेशन था और उसका एग्जीक्यूटिव दूसरा इन्टरप्रिटेशन देती है तो एग्जीक्यूटिव को विदिन लिमिट्स रखने के लिए जुडिशियरी का प्रबन्ध है, इस लेजिस्लेचर में जुडिशियरी के पॉवर को रोकना चाहते हैं कि कोई आदमी कोर्ट में नहीं जा सकता, तो मैं समझता हूं ऐसा नहीं रखना चाहिये । कम्पेन्सेशन किसी को दे दिया है, किसी के फेवर में डिसाइड किया है, ऐसा मामला नहीं हुआ है कि आपको आज का आज सैटल करना है, रिकवरी आप चाहे १० साल में करिये....

If you have paid anybody wrongly, you can recover it even after 10 years, but assess it correctly.

इसका प्रोपर असेसमेंट करके ५ साल या १० साल में रिकेवर करिये । मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि एग्जीक्यूटिव के गलत एक्शन को आप वेलिडेट करना चाहते हैं । जो गलत तरीके से रुपया दे दिया गया है उसको रिकवर करने में इस बिल से क्या मदद मिलेगी, कौनसी फैसिलिटी इससे स्टेट को या पब्लिक को होने वाली है ? इस बिल को नहीं करें तो अलबत्ता एग्रीव्ड पार्टी है उसको जस्टिस जरूर मिल सकता है । गलत आदमी को जो कि हकदार नहीं, उसको रुपया मिल गया तो एग्रीव्ड है उसके लिए रास्ता खुला रहता है, he can go to a court of law and he can seek justice and get justice.

पर यह कानून पास करके वह रास्ता भी आप बन्द कर देते हैं । इस रास्ते को बन्द करने के बाद पब्लिक को या स्टेट को कौनसा फायदा होता है इस कानून से यह मेरी समझ में नहीं आता । इसलिये मेरा निवेदन है कि इस बिल को मंत्री महोदय विड्रा करेंगे और जो जस्टिस सीक करने के लिए रास्ता ओपन है वह ओपन ही रहना चाहिये । जो डिफाल्टिंग ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिये, they should not be allowed to go scot free with the misdeeds they have done.

इसलिये मेरा निवेदन है कि इस वेलिडेटिंग आर्डर को पास नहीं करना चाहिये ।

# Page No.52



( श्री पी. के. चौधरी )

बल्कि इसके लिए तो हमें डिमान्ड करना चाहिये कि इस बारे में जांच की जाय प्रोविजनल की बजाय फाइनल किसने किया, किसने टाइप किया Who is the typist who has typed provisional determination as 'final determination'

और वह क्लेरिकल मिस्टेक है या पैसे लेकर मेलाफाइड इन्टेन्शन से या किसी के प्रेशर से ऐसा किया है। किसने ड्राफ्ट बनाया, किस किस के इनिशियल्स हैं। गवर्नमेन्ट के ऑफिसेज का प्रोसीजर है कि वह ऑर्डर कमिश्नर साहब ने प्रोस हेस्ट से नहीं किया, नीचे से ड्राफ्ट होता है और फिर स्टेप बाई स्टेप कईयों के इनिशियल होने के बाद हैड आफ दी डिपार्टमेंट के पास जाता है और वह बाद में दस्तखत करता है, जो हैड आफ दी ऑथोरिटी है उसके नीचे जितने आफिसर्स होते हैं वे सारे के सारे उस ड्राफ्ट पर अपने इनिशियल्स करते हैं तो इतनी स्टेजेज में से पार होने के बाद भी Even after 5 to 10 persons have seen it.

इसके बाद भी इस तरह की वाइटल मिस्टेक रह जाती है तो इस बिल को पास करने के बाद all the people who have signed that draft letter as approved, they should be sacked from service. जिससे इस तरह का वातावरण पैदा हो सकता है। that we don't fix the responsibility on any person and when the question of fixing of responsibility comes, you go before the Legislature that you please approve it.

... कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की कार्यवाही जिन्होंने की है उनके खिलाफ एग्जेम्पलरी एक्शन लीजिये। जब उन्होंने if they have mis-interpreted the rules, they have gone beyond the powers, you come upon them and see how the administration is geared up.

मैं तो यह कहना चाहता हूं कि इस बिल को पेश करने से पहले मंत्री महोदय को यह आश्वासन देना चाहिये कि जिन जिन लोगों ने ड्राफ्ट लेटर पर दस्तखत किये हैं। all these persons must be sacked and after that this Bill may be passed.

मेरा यह निवेदन है और मैं यह कहता हूं कि let the door for challenging the orders be kept open.

**डॉ० बहादुरसिंह**, (धौलपुर): सभापति महोदय, मैं इन विधेयक के पक्ष में और जो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है उसके विरोध में कहने के लिये खड़ा हुआ हूं। बिल क्यों लाया गया, यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी। जो जागीरदार लोग थे उनको मुआवज़ा दे दिया गया और उनके पुनर्वास के लिये जो जो बातें जागीरदार्स एडवाइज़री कमेटी के द्वारा तय की गई थी, उससे अधिक दिया गया....

**श्री दामोदरलाल व्यास** : रकम का प्रश्न नहीं है। मैंने यह कहा कि इन्टेन्शन यह था कि प्रोविज़नल अवार्ड के अधिकार दिये थे। उसके एवज़ में फाइनल अवार्ड दर्ज कर दिया। इसमें न कोई रकम ज्यादा दी गई न किसी की जेब काटी गई न किसी की जेब कटी और न इससे सरकार को किसी प्रकार का नफा है। न किसी प्रकार का नुकसान। यह तो केवल अवार्ड दिया गया है उसको वेलिडिटी देने की बात है। क्योंकि जहां पर प्रोविज़न लिखना था फाइनल मिस्टेक से लिखा गया था।

**डॉ० बहादुरसिंह** : दूसरा एतराज था कि अपील करने पर मुआवज़े में परिवर्तन हो सकता है। आप देखेंगे कि हिंदी में स्पष्ट है कि जो आज्ञा पारित की गई है उस आज्ञा के खिलाफ कोई हाई कोर्ट या दूसरी जगह अपील किया जा सकता है। यहां कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि यह उनकी गलत फहमी थी कि जो कुछ भी निर्णय किया गया वह फाइनल हो जाता है। क्योंकि इसमें साफ लिखा है :

"पारित की गई हो, उनके द्वारा उचित प्राधिकार के अन्तर्गत विधिपूर्वक तथा मान्य रूप से पारित की गई समझी जायेगी और ऐसी किसी अंतिम आज्ञा पर, किसी अधिकरण या न्यायालय में केवल इस आधार पर कि, क्लेक्टर या कमिश्नर, यथास्थिति, को ऐसी अंतिम आज्ञा पारित करने का अथवा पारित करने के लिये कोई कार्यवाही करने का प्राधिकार या शक्ति नहीं थी, कोई आपत्ति नहीं उठायी जायेगी।"

कोई ऑब्जेक्शन इस बात का रेज नहीं करेंगे। मैं समझता हूं कि यह कोई टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। लेकिन यह मिस्टेक होना भी एडमिनिस्ट्रेशन में एक गंभीर बात थी। कोई और प्रकार की गलती हो जाए तो और बात थी मगर इस प्रकार की गलती के लिए विधान सभा का समय नष्ट किया जाए और सरकार पर भी इसका लान्छन आता है। इसके लिए अधिकारियों के खिलाफ भी कुछ न कुछ कार्यवाही की जानी चाहिये। अगर इसको स्वीकार नहीं करते हैं और पास नहीं करते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि जो परेशानियें पहले हुई हैं उस चेप्टर को दुबारा खोला जाता है और इससे मैं समझता हूं कि परेशानियें कम नहीं होगी, बढ़ेगी ही। इसलिये इसको स्वीकार करना चाहिये। अगर किसी जागीरदार के साथ ज्यादती हुई है या उसके साथ न्याय नहीं हुआ है तो इसके जरिये प्राप्त किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि प्रस्ताव जो माननीय सदस्या ने रखा है उसको वापिस ले लेंगे और सदन इसको पारित करेगा।

**श्री रघुवीरसिंह** ( राजगढ़ ) : सभापति महोदय, यह मेरी समझ में नहीं आता कि जो पॉवर्स सदन ने डेलिगेट नहीं किये उसके लिये सदन के सामने यह मामला लाया जाए। सदन ने पॉवर्स जागीर कमिश्नर को दी। जागीर कमिश्नर ने अमुक अमुक कलेक्टर और कमिश्नरों को ये पॉवर्स डेलीगेट किये। अब समझ लीजिये की गलती हो गई तो वह उस गलती को दुरूस्त कर सकता है। लेकिन जिन पॉवर्स को हमने दिये ही नहीं और जिनका हमें पता ही नहीं उनके सम्बन्ध में सदन से यह कहा जाए कि सदन उसको वेलिडेट करदे यह उचित नहीं है। इसके लिए यह होना चाहिए कि जागीर कमिश्नर ने अपने पॉवर से नोटिफिकेशन निकाला था। उसी तरह से वह उसकी दुरुस्ती कर ले और राजस्थान सरकार उसके लिए जो कुछ भी कार्यवाही करना चाहे रिट्रेस्पेक्टिव इफेक्ट या और किसी डेट से वेलिडेट कर दे। हम वेलिडेट करें क्या करेंगे। हमने तो जागीर कमिश्नर को पॉवर्स दे दिये कि जो कुछ भी वह ऑर्डर देगा वह वेलिड होंगे। इसके लिए जागीर कमिश्नर ने खुद ने ऑर्डर दिया या किसी और से दिलाया उस सब के लिए सदन से क्या ताल्लुक है। एक ऑर्डर ५६ में निकाला और आज फिर ३ वर्ष बाद जिसमें हजारों केसेजडि हो गये। राजस्थान सरकार के पास चले

( श्री रघुवीरसिंह )

गये। क्लेक्टर और जागीर कमिश्नर के पास रिपोर्ट तो आई है। उनको यह तो देखना था कि जब हमने उनको पॉवर्स नहीं डेलिगेट किये तो फिर वे इस तरह कैसे ऑर्डर दे रहे हैं। यह उनके देखने की बात थी। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि सदन के सामने यह बिल नहीं आना चाहिए और इस बिल को विथड्रा कर लिया जाना चाहिए क्योंकि सदन ने जागीर कमिश्नर को पॉवर्स दे दिये हैं और यह बात जागीर कमिश्नर के पॉवर्स में है। अब सदन ने जिस पॉवर जो डेलिगेट किया नहीं, उसके लिए यह मामला सदन में लाया जाय यह समझ के बाहर की बात है। इसलिए मैं यही निवेदन करूंगा कि इसको वापिस ले लिया जावे।

**श्री सोहनलाल भटनागर** (सलूम्बर) : सभापति महोदय, बिल बिल्कुल इनोसेन्ट हैं लेकिन फिर भी इस पर कई माननीय सदस्यों ने आपत्ति उठाई। दांता रामगढ़ से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा कि काफी जागीरदारों पर जुल्म हुए हैं और परेशानियें उठानी पड़ी है। मैं यह कहूंगा कि जब कम्पेन्सेशन की बात थी उस समय से हमेशा यह आवाज़ उठाई गई कि जागीर कमिश्नर को पॉवर्स दे दिये जावे। जिससे अवार्ड में देर होती हैं। और इस दृष्टिकोण से जागीर कमिश्नर ने अपने पास जो पॉवर्स थे क्लेक्टरों और कमिश्नरों को डेलिगेट किये ताकि फैसले जल्दी हो जावें। इसलिए जो कुछ नोटिफिकेशन निकाला वह जागीरदारों के हित में था और यही कारण है कि आज अवार्ड जल्दी तय हो चुके हैं। अब सवाल यह रहता है कि यह फाइनल अवार्ड के लिए था या प्रोविज़नल अवार्ड के लिए था। यह टाइपिंग मिस्टेक थी। मगर फिर भी मैं यह कहूंगा कि जागीर कमिश्नर आई. ए. एस. केडर के हैं। उनको आंख मीच कर दस्तखत नहीं करने चाहिये। या तो यह हो सकता है कि प्रोविज़नल अवार्ड के लिये डिसेन्टेलाईज़ किया जावे। लेकिन यह बात निश्चय है कि टेकनिकल गलती हुई है और ऐसी गलती भविष्य में नहीं हो। इसके लिये ध्यान रखा जाए और जो कुछ किया गया है वह जागीरदारों के हित में किया गया है। इससे जल्दी जल्दी अवार्ड तय हुये और फैसले हुये। अगर इन केसेज़ को वापिस खोला जावेगा तो (ओपिन किया गया तो) साल डेढ साल लग जावेगा और जागीरदारों के लिए यह हितकर न होकर अहितकर होगा। अब सवाल यह पैदा होता है कि अवार्ड देने में गलती हुई तो जागीर कमिश्नर अभी भी आज भी मौजूद हैं वे अपील में जा सकते है। और ऐसे दृष्टिकोण से यह जो मामूली इन्नोसेन्ट-बिल है उसको यदि सिलेक्ट कमेटी में भेजा गया तो इससे जागीरदारों की परेशानी बढेगी, गवर्नमेंट की परेशानी बढेगी और जनता का भी खर्चा बढेगा।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : माननीय सभापति महोदय ...

**श्री रामकरणसिंह** (कोटपूतली) : सभापति महोदय, कोरम न होते हुए यदि माननीय मिनिस्टर साहब जवाब देंगे तो अच्छा नहीं रहेगा।

( गणपूरक घंटी के पश्चात पुनः )

**श्री सभापति** : Yes.

**श्री दामोदरलाल व्यास** : माननीय सभापति महोदय, इस बात की तो खुशी है कि हमारे दांता रामगढ़ से आये हुए माननीय

( श्री दामोदरलाल व्यास )

सदस्य अपनी मंशा में कामयाब हुए हैं और चाहे उन्होंने इस बिल की मंशा और मकसद को गलत समझा हो और जो उदाहरण और मामलात उनके ज़हन में हैं उनसे इसका सम्बन्ध न हो बल्कि कम से कम इसका विरोध करने में कुछ अपनी तरफ उस विरोध में दूसरों की मदद मिल सके इसमें वे जरूर कामयाब हुए हैं।

मैंने दो चार पॉइन्ट्स क्लेरीफाई करने की कोशिश की कि इसकी आवश्यकता क्यों हुई। सबसे पहले अलवर से आये हुए माननीय सदस्य हैं उन्होंने जो कुछ कहा उस सम्बन्ध में अर्ज़ करूंगा कि उन्होंने केवल कानूनी आपत्ति उठायी है। सदन में कलेक्टर या जागीर कमिश्नर को पॉवर्स नहीं दिये इसलिए यह वेलिडेट करने के लिए क्यों आता है? यह ठीक है कि यह एक्ज़ीक्युटिव से वेलिडेट हो सकता था तो सदन को तकलीफ नहीं दी जाती। लेकिन कानून सलाह यह है कि आयन्दा तो जागीर कमिश्नर वेलिडेट कर सकते हैं, नोटिफिकेशन अमेन्ड कर सकते हैं और अब वह कर भी दिया गया है। जिस रोज यह गलती उनके ध्यान में आयी उसी रोज से इसको कर दिया। इसको रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट वे नहीं दे सकते थे और देना है तो इसके लिए लेजिस्लेचर से पॉवर्स देने चाहिये इसीलिए सदन में आने की आवश्यकता हुई है। आपकी जानकारी के लिए जो गलती हुई वह यहां पढ़कर सुनाऊंगा।

**श्री सभापति** : Has fresh notification been issued ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : It has been issued for future. For prior to this notification......

**श्री सभापति** : Here the provison has been made for "all final orders made under sub-section (1) of Section 32 and under sub-section (2) of section 38 B of the said Act from the date of the said notification till the date of the commencement of this Act..."

**श्री दामोदरलाल व्यास** : इसलिए कि वेलिडेट तो इसीसे करेंगे। We shall have to validate this by this Act. मैं अर्ज़ करूं।

**श्री मदनसिंह दांता** : स्टेटमेंट ऑफ रीजन्स में साफ दिया हुआ है। जागीरदारों की सहूलियत के लिए है। जागीरदार भी नही चाह रहे हैं।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मैं आपका शुभ चिन्तक हूं इसलिए कहीं आपको नुकसान न पहुंच जाय, आपकी तरफ से नासमझी हो जाय तो मुझे तो सोच विचार कर करना पड़ेगा।

जागीर कमिश्नर को १९५६ का लेटर है उसमें लिखा है...."The Jagir Commissioner delegated certain powers vested in him under this Act to the Collectors and Commissioners of Divisions in respect of jagirdars in their jurisdiction respectively, but through some clerical oversight the words 'provisional amount of compensation and rehabilitation grant' have been written as 'final amount..."

( श्री दामोदरलाल व्यास )

I will draw the attention of the on. Member from Danta Ram garh that it was only because of a clerical mistake.

"... . As this is likely to vitiate the action taken by the Collectors and Commissioners in finalising the orders, so this rectification may be made."

यह जो क्लेरिकल मिस्टेक हो गई है वह मैंने बतायी। कानूनी सवाल खड़ा किया है

माननीय सदस्य ने So far as the legality of the proposed amendment is concerned there is little objection from the legal point of view. The principle is that it is the Legislature alone who can give retrospective effect to any such action. यह पोज़िशन है इसलिए यहां आकर जैसा मैंने अर्ज़ किया था कि इसको यह रिट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट देने के लिए है।

We have to take the sanction ofl the Legislature and for this purpose this Bill is necessary, to validate al those orders which are passed he Collectors and Commissioners in exercise of the powers delegated to them by the Jagir Commissioner.

अब एक बात यह है कि जैसा कि अभी कहा था हमारे माननीय सदस्य जो फुलेरा से आये और अभी यहां मौजूद नहीं है, उन्होंने बहुत जोरों से कहा कि सजा मिलनी चाहिये, इन्होंने ऐसा किया है, इसको वेलिडेट करने की आवश्यकता नहीं नहीं है, रोंगफुल है और इससे लोस होगा। मैं निवेदन करूंगा कि इसमें लोस का सवाल नहीं है। According to the Jagir Resumption Act, according to rules made thereunder and according to the Jagir Compensation Manual and all other laws, they have been given opportunities. Only after that अवार्ड दिया गया है। All these opportunities were availed of by the jagirdars.

उसका पीरियड मुकर्रर है। फाइनल के बजाय प्रोविजनल पर छोड़ दिया गया। It was neither the intention of the Government nor the intention of the Jagir Advisory Committee nor the intention of the Jagir Commissioner and, therefore, that omission has to be rectified and only on account of certain clerical mistakes 1400 odd awards should not be invalidated. They should be validated. इसके अन्दर कोई ऑब्जेक्शन का कोई सवाल नहीं है जिससे कि किसी को नुक्सान पहुंच रहा हो। माननीय सदस्या जिन्होंने यह अमेन्डमेन्ट रखा है कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय, इसकी आवश्यकता नहीं है। क्या माननीय सदस्य चाहते हैं कि जो अवार्ड दिये गये हैं उनको फिर से रीओपन कर दिया जाय ? और कलेक्टर और कमिश्नर्स ने फाइनेलाइज़ करके जो अवार्ड दिये हैं, उनको रीओपन करके फिर नये से शुरु किया जाय ? उससे जागीरदारों को कितनी दिक्कत होगी ? ओब्जेक्शन करना था तो कर सकते थे। इस प्रकार की कोई पॉवर्स नहीं दी गई हैं कि उनको चेलेन्ज किये जाय। किसी अवार्ड में

( श्री दामोदरलाल व्यास )

कोई लीगल, फेक्चुअल मिस्टेक हो गई तो हर जागीरदार को रीविजन कराने का अधिकार है और वे करा सकते हैं। प्रोविजनल पॉवर्स थे, उसके पहले कर दिया गया था उसको नहीं माना है। मैं निवेदन करूंगा कि जो जो प्रवर समिति को सिपुर्द करने का प्रस्ताव माननीय सदस्या ने रखा है वह उसको वापिस लेंगी।

**रावराजा श्री सरदारसिंह,** (उनियारा): यह समझ में नहीं बैठा।

**श्री रघुवीरसिंह,** ( राजगढ़ ) : उसके पहले के आॅर्डर्स वेलिडेट हो जाते हैं तो उन्होंने इसको क्यों रखा है। इससे डुप्लीकेशन हो जायगा। एक तरफ तो जागीर कमिश्नर ने आॅर्डर्स इश्यू कर दिये और दूसरी तरफ इधर करते हैं कि date of the commencement of this Act.

**श्री सभापति :** माननीय सदस्य का पॉइन्ट केवल इतना है कि दूसरा नोटिफेकेशन जारी हुआ उसके फाइनल आॅर्डर्स वेलीडेट करने थे।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : फाइनल आॅर्डर्स हुए और फाइनल प्रोसिडिंग्स ले ली गई They are two different things. बियोन्ड प्रोविजनल स्टेज पर कार्यवाही होती है। तो कलेक्टर कमिश्नर के पास पहुंच गये तो उनको वेलिडेट नहीं किया जायगा। आज यह रखा जाय 'on the date of the next notification' मेरे ख्याल से मंशा स्पष्ट हो जावेगी। यह लाज़मी करना पड़ेगा कि आज की तारीख तक जितनी कार्यवाही की गई है, आॅब्जेक्शन्स हुए हैं, फैसले हुए हैं, फाइनल आॅर्डर्स दिये गये हैं, ये जितनी स्टेजेज हैं उनको वेलिडेट करनी की मंशा है। फाइनल में अवैध नहीं होंगे। केवल तारीख दे देनी है। इसको ध्यान में रख कर यह प्रोविजन रखा गया है। दूसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस नोटिफिकेशन के ज़रिये से बाद के केसेज भी वेलिडिएट हो जायेंगे। जागीर कमिश्नर को जो पॉवर्स डेलीगेट है उसमें केवल एक क्लेरिकल मिस्टेक रह गई थी उसको टीक किया जा रहा है। हम चाहते हैं अब यह कानून फूल प्रूफ बने ताकि बार बार लेजिस्लेचर के सामने न आना पडे। एक तरफ जहां फाइनल अवार्ड वेलीडिएट कर सकते हैं उन केसेज के अन्दर कार्यवाही होगई उनको छोड़ देवे और फिर दुबारा लेजिस्लेचर के सामने आना पड़े यह मैं नहीं चाहता इस प्रकार एक गलती जो हो गई दूसरी गलती और कर दें यह मैं नहीं चाहता। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्या से प्रार्थना करूंगा कि वे प्रवर समिति के प्रस्ताव को वापिस लें।

**डॉ० चन्द्रकला** ( किशनपोल बाजार जयपुर ) सभापति महोदय, मैं अपने प्रस्ताव को वापिस लेने की अनुमति चाहती हूं।

**श्री सभापति** : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव डॉ० चन्द्रकला ने रखा है उसको वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

**डॉ० चन्द्रकला** : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेती हूं।

**श्री सभापति** : प्रश्न यह है कि राजस्थान जागीदार्स मुआवज़ा तथा पुनर्वास अनुदान (अन्तिम आज्ञायें) वैधकरण विधेयक,

( श्री सभापति )

१६५८ को विचारार्थ लिया जाय।

( स्वीकृत )

विधेयक विचारार्थ लिया जाता है।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान जागीरदार्स मुआवज़ा तथा पुनर्वास अनुदान विधेयक, १६५८ को पारित किया जाय।

**श्री सभापति** : प्रश्न यह है कि उक्त विधेयक को पारित किया जाय।

( स्वीकृत )

विधेयक पारित किया गया।

१०.५१ म. पू.

**राज० लैन्ड रिफोर्म्स एन्ड रिजम्पशन ऑफ जागीर्स (दसवां संशोधन) विधेयक १६५८**

(विचार विमर्श एवं पारण)

**श्री दामोदरलाल व्यास** (राजस्व मंत्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान लैन्ड रिफ़ोर्म्स एण्ड रिज़म्प्शन ऑफ़ जागीर्स (दसवां संशोधन) विधेयक, १६५८ को विचारार्थ लिया जाय।

**श्री सभापति** : प्रश्न यह है कि राजस्थान लैन्ड रिफ़ोर्म्स एण्ड रिज़म्प्शन ऑफ़ जागीर्स (दसवां संशोधन) विधेयक १६५८ को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उक्त विधेयक को पारित किया जाय।

**श्री सभापति** : प्रश्न यह है कि राजस्थान लैन्ड रिफ़ोर्म्स एण्ड रिज़म्प्शन ऑफ़ जागीर्स (दसवां संशोधन) विधेयक, को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

१०.५२ म. पू.

**राजस्थान होल्डिंग्ज़ (कन्सोलिडेशन एन्ड प्रिवेन्शन ऑफ फ्रेगमेन्टेशन) संशोधन विधेयक, १६५६**

(विचार-विमर्श एवं पारण)

**श्री दामोदरलाल व्यास** : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान होल्डिंग्ज़ (कन्सोलिडेशन एण्ड प्रिवेन्शन ऑफ फ्रेगमेन्टेशन) संशोधन विधेयक, १६५६ को विचारार्थ लिया जाय।

**श्री सभापति** : प्रश्न यह है कि राजस्थान होल्डिंग्ज़ (कन्सोलिडेशन एण्ड फ्रेगमेन्टेशन) संशोधन विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

**डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाज़ार जयपुर) : सभापति महोदय, इससे पूर्व कि मैं

( डॉ० चन्द्रकला )

अपना प्रस्ताव पेश करूं मैं माननीय मन्त्री महोदय से जैसा कि इस बिल के स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टस एण्ड रीजन्स में बताया गया है कि इसका व्यावहारिक प्रवर्त्तन सुविधाजनक बनाने तथा भूमि एकीकरण कार्यवाहियों के पूरे होने में लगने वाले समय को यथा संभव कम करने की दृष्टि से एक्ट में कतिपय संशोधन करना आवश्यक समझा गया है, यह किस तरह से इस पर माननीय मंत्री महोदय प्रकाश डाल दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

**श्री दामोदरलाल व्यास** (राजस्व मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, मेरे ख्याल से इस बिल के स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टस एण्ड रीज़न्स में जो कुछ दिया हुआ वह बिल्कुल साफ है। मैं समझता हूं उसे माननीय सदस्या ने पढ़ा होगा फिर भी वे चाहती हैं कि मैं स्पष्टीकरण करूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान होल्डिंग्ज़ (कन्सोलिडेशन एण्ड प्रिवेन्शन ऑफ फ्रेगमेन्टेशन) एक्ट. १६५४ है उसी के अन्तर्गत कार्यवाही होती है वह इस प्रकार की है कि उसमें वेरियस स्टेजेज हैं। उसमें कन्सोलिडेशन के स्टेजेज मुकर्रर हैं उसका प्रोसीज़र मुकर्रर है उसको सिम्पलीफाई करने के लिये कुछ अमेन्डमेंट लाये गये हैं। इससे यह होगा कि काश्तकारों को कम तकलीफ होगी और उसमें समय भी कम लगेगा। उनकी जल्दी सुनवाई हो सकेगी इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इसको अमेन्ड किया गया है। खास तौर से डेफीनेशन भी इनसर्ट की गई है, लैन्ड रेवेन्यू एक्ट किसको माना जाय टिनेन्सी एक्ट किसको माना जाय यह भी डेफीनेशन में इनसर्ट किया गया है। इसमें इस प्रकार के प्रोविज़न्स हैं जो कोई सदस्यों के लिये अहमियत के नहीं है इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसको प्रवर समिति में न भेजते हुये इसको पास किया जाये। यह साधारण बिल है। इसमें किसी के राइट्स या लाइबिलिटीज़ पर असर नहीं पड़ता है प्रोसीज़र को सिम्पलीफाई और डेफीनिशन में कुछ खामी रह गई थी। उसको पूरा करने के लिये लगाया गया है आशा है सदन इसे पास करेगा।

**डॉ० चन्द्रकला** ( किशनपोल बाज़ार जयपुर ) : मैं अपने प्रस्ताव को मूव करना नहीं चाहती।

**श्री जगदीश प्रसाद माथुर**, (सीकर) : माननीय सभापति महोदय, क्लॉज पांच और चार के अन्दर जो प्रावधान किया गया है उसमें मुझे एतराज है। क्लॉज ४ के अन्दर जो संशोधन रखा गया है।

"In section 17 of the principal Act for the words 'drain or tank' whereever occuring, the words 'drain, tank, pasture or land reserved for common purposes' shall be inserted." इसके अन्दर दो शब्द एड करने के लिए प्रावधान रखा है। मूल सेक्शन जो १७ है वह इस प्रकार है : "Whenever in preparing a scheme for the consolidation of holdings it appears to the consolidation officer that is necessary to amalgamate any road, street, lane, path, channel, drain or tank, he shall make a declaration..." तो इसके अन्दर माननीय मंत्री महोदय दो चीजों को जोड़ना चाहते हैं। एक तो चरागाह की भूमि और दूसरी शामलात की भूमि जो गांव वालों के सामुहिक रूप से काम में आती है। इससे माननीय मंत्री महोदय का मतलब यह है कि

( श्री जगदीशप्रसाद माथुर )

चारागाह की भूमि को इसके अन्तर्गत ले लिया जाय ताकि उसको भी काश्त करवाई जा सके। इस प्रकार की जो ज़मीन है। जो गांव के मवेशियों और गांव वालों के उठने बैठने के लिये काम में आती है या इस प्रकार का मैदान है जो गांव वालों के सामुहिक रूप से उपयोग में आते हैं उस जमीन को ले करके उसको काश्त के अन्दर दे दी जाय यही इस क्लॉज का मतलब है तो जितने भी अधिकार हैं इस प्रकार की ज़मीन के ऊपर वे सब समाप्त हो जायेंगे। इसके बाद जरूरी नहीं कि जो भूमि इस प्रकार से ले ली जायगी उसके बजाय दूसरी भूमि का भी प्रावधान करेंगे। एक चरागाह की भूमि को कन्सोलिडेशन के अन्तर्गत लेकर के माननीय मंत्री महोदय का यह अर्थ हो कि जो चारागाह की भूमि है। या खाली मैदान है उसको लेकर के गांव वालों को या दूसरों को काश्त के लिये दे दीं जाय। कॉमन पर्पज की ज़मीन है, अलग अलग जगह होने से वह थोड़ी है उनको, सबको एक जगह करने का यदि प्रावधान होता है तो यह स्वागत के योग्य है।

दूसरी बात यह है कि क्लॉज १७ के अन्तर्गत जितने भी लोगों को राइट्स हैं इस प्रकार की भूमि पर वे सब समाप्त हो जायेंगे। उसके लिये दूसरी ज़मीन का प्रावधान नहीं किया गया है जैसा कि इस बिल के अन्दर है जो भूमि गोचर भूमि है या शामलात की भूमि है उसको लेकर उसके मुकाबले में उतनी ही भूमि का प्रावधान इस बिल के द्वारा नहीं होता है। इस एक्ट के द्वारा भूमि को लेकर के जगह जगह जो थोड़ी थोड़ी बिखरी हुई है उसको लेकर के खेती के लिये डिमान्ड होगी उस जमीन को लेकर खेती के अन्दर मिला दिया जायगा।

११. म० पू०

इस प्रकार से इस जमीन को पॉश्चर लैंड को और लैंड रिजर्व कोमन पर्पज़ के लिए लेना उचित नहीं होगा।

इसी प्रकार सब क्लॉज पांच में अमेन्डमेंट किया गया है। इस प्रकार की बात को लाया गया है कि ६० दिन में इसमें प्रोवाइड किया था कि किसी आदमी को इससे तकलीफ होती हो, किसी आदमी पर इसका असर पड़ता हो तो वह इस अवधि में आवेदन कर दे। अब ६० दिन के बजाय ३० दिन किया गया है। इससे विशेष सुविधा की बात नहीं होगी। माननीय मंत्री जी कहेंगे कि यह तो जनता की सुविधा के लिए कर रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि इस अवधि को कम करने से तो लोगों को असुविधा बढ़ेगी। कन्सोलिडेशन के ऑर्डर्स निकले, लोगों को पता लग जावेगा। राजपत्र में जारी होते हैं। राजपत्र में जारी होने वाली हर एक बात गांवों की छोटी २ ढाणियों में वह पहुंच जावेगी ऐसी बात नहीं है। वह आवेगा, वकील करेगा और आवेदन पत्र कन्सोलिडेशन अधिकारी के पास पेश करेगा। इसलिए ६० दिन के बजाय ३० दिन करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। इसलिए ३० दिन जो रखने वाले हैं मंत्री महोदय वह न रखें। इस प्रकार की भूमि, चरागाह की भूमि या सार्वजनिक भूमि है उनको कन्सोलिडेशन में न लें और जो धारायें बिल में आयी हैं मैं उनका विरोध करता हूं और जो इसको लेना चाहते हैं इसलिए इसका विरोध करता हूं।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जिन पॉइन्ट्स

( श्री दामोदरलाल व्यास )

पर इस बिल का विरोध किया है, मैं समझता हूं, विरोध करने जैसी कोई बात नहीं है क्योंकि सेक्शन चार, पांच पर उनको एतराज़ है खास तौर पर ग्रेजिंग ग्राउन्ड को लेकर। सारे गांव की भूमि का एकीकरण हो, चाहे सिवाय चक जमीन हो, पॉश्चर लैंड हो और उसको कन्सोलिडेट किया जाता है, कामन लैंड आ जाती है उसमें से देने की जरूरत होती है, एक्सचेन्ज करने की भी जरूरत पड़ती है तो की जाती है। पॉश्चर लैंड नहीं है वहां भी यह अधिकार दिया है कि पॉश्चर लैंड डिमार्केट करके निकाले। इसमें कोई शुबा नहीं होना चाहिए। यदि आप देखें तो पॉश्चर लैंड गावों में कई टुकड़ों में बंटी हुई है। दस दस टुकड़ों में भी पॉश्चर लैंड है, उनको कन्सोलिडेट करके एक जगह कर दें तो गांव के हित में दिक्कत कहां होती है। दो खेतों के दरम्यान न हो, अलग अलग टुकड़ों में न हो इससे तो लोगों को सहूलियत ही पहुँचने वाली है और इसके लिए आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

**श्री मदनसिंह** : मंत्री महोदय का मतलब यह है कि पॉश्चर लैंड अलग होगी और खेती के काम में नहीं होगी।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : पॉश्चर लैंड नहीं होगी तो डिमार्केट करेंगे और अलग अलग टुकड़ों में होती तो पब्लिक के हित की दृष्टि से उसको कन्सोलिडेट करेंगे :

**श्री मदनसिंह** : Pasture land will not be utilised for any other purpose?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : That goes without saying. Pasture land will not be utilised for any agricultural purposes. If for purposes of consolidation any pasture land is given, equal area will be included in the pasture land.

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** : ६० दिन के बजाय ३० दिन ही कर रहे हैं ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : कौन से सेक्शन में फरमाया ?

( विराम )

धारा ५। उसके लिए कोई बात नहीं है ६० दिन रख दें। लेकिन छोटे २ गांवों में ३० दिन ओब्जेक्शन फाइल करने के लिए काफ़ी होते हैं। कन्सोलिडेशन ऑफिसर स्कीम बनाता है। तो सबसे पहले गांव में गांव के द्वारा चुनी हुई कमेटी होती है उसी की राय से स्कीम बनती है और पब्लिश की जाती है। उसके सम्बन्ध में ऑब्जेक्शन के लिए ३० दिन का काफ़ी समय होता है और मैं समझता हूं कि छोटे गांवों में ६० दिन का समय देकर कन्सोलिडेशन ऑफिसर इस बात के लिए बैठा रहे कि एतराज आवेंगे, यह उचित नहीं होगा। मैं इसको ठीक नहीं समझता हूं। जल्दी कन्सोलिडेशन हो जाय और स्टाफ बैठा न रहे इसीलिए ६० के बजाय ३० दिन किया है। हानि लाभ का सवाल नहीं है। स्कीम पब्लिश हो जाती है तो इतनी अवधि रखना उचित प्रतीत नहीं होता है।

**श्री मदनसिंह** (दांता रामगढ़):सारा गांव तो करेगा नहीं। एक दो आदमी करेंगे तो काफी मौका मिलना चाहिए। दस पन्द्रह दिन तो

( श्री मदनसिंह दांता )

वकील करने में लग जाते हैं, दरख्वास्तें करनी होंगी इसलिए कुछ दिन बढ़ा दीजिये।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मुझे कोई एतराज़ नहीं है तीस के बजाय चालीस दिन कर दीजिए।

**श्री जगदीश प्रसाद माथुर** (सीकर) : ४५ दिन कर दीजिये।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मुझे कोई एतराज नहीं है। आप खुश हो जाइये।

**श्री श्रीभानसिंह** : There is no formal amendment and I object to the amendment being accepted as such.

**श्री दामोदरलाल व्यास** : I was expecting it you, see. Therefore, I agreed to it.

**श्री मदनसिंह** : सभापति महोदय, क्योंकि ऐसा सदन में....

( घंटी )

**श्री सभापति** : प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय ?

( स्वीकृत )

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

क्लाज़ ५

**श्री दामोदरलाल व्यास** : [substi tute fourty five days for thirty days.] सेक्शन ५ में ३० दिन के बजाय ४५ दिन कर दिये जांय। आपकी आज्ञा से यह वरबल अमेन्डमेंट रखा है उसको स्वीकार किया जाय

**श्री सभापति** : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २, ३, ४, पारित किये जांय ?

( स्वीकृत )

क्लॉजेज २, ३, ४ विधेयक का अंग बने।

( विराम )

प्रश्न यह है कि क्लॉज ५ में जो ४५ दिन रखे जाने का संशोधन प्रस्ताव माननीय मंत्री महोदय ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

( स्वीकृत )

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि संशोधित क्लॉज ५ स्वीकार किया जावे।

( स्वीकृत )

संशोधित क्लॉज ५ विधेयक में अंग रूप जोड़े गये।

( विराम )

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज ६, ७, ८ पारित किये जांय ?

( स्वीकृत )

क्लॉज़ेज ६, ७, ८ विधेयक में अंग रूप जोड़े गये।

( श्री सभापति )

( विराम )

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १ प्रिएम्बल, टाइटल स्वीकार किये जांय।

( स्वीकृत )

प्रिएम्बल टाइटल इत्यादि स्वीकार किये गये।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाय ?

**श्री सभापति** : प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाय ?

( स्वीकृत )

विधेयक पारित किया गया।

Shall we take this Ajmer Shamlat Deh ( Regulation ) Repeal Bill first ? It is undisputed and let us pass it first

## अजमेर शामलात देह (रेगुलेशन) निरसन विधेयक, १६५६

११.६ म० पू०

**श्री दामोदरलाल व्यास** : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अजमेर शामलात देह (रेग्युलेशन) निरसन विधेयक, १६५६ को विचारार्थ लिया जाय।

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : इसके सम्बन्ध में, सभापति महोदय, एक स्पष्टीकरण माननीय मंत्री महोदय से चाहूंगा। इस विधेयक को सन् ५५ में राष्ट्रपति से स्वीकृत हो गई थी और अब तक यह लागू नहीं हुआ और अब इसको निरसन करने का कानून किस कारण से लाया जा रहा है ? किस कारण से यह पड़ा रहा, जान बूझ कर यह नहीं करना चाहते थे, इसलिए पड़ा रहा, किसकी गलती से यह पड़ा रहा।

**श्री सभापति** : Due to some clerical error.

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** : क्लेरिकिल मिस्टेक से यह बिल लागू नहीं हुआ हो तो यह तो बहुत बड़ी बात है। जिस उद्देश्य से इसको पास किया गया था वह उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : Sir I will leave it to the Hon'ble Member to make any inference he wants to make but so far as the Bill is concerned, the reasons are given in the Statement of objects and Reasons and this has to be repealed.

**श्री सभापति** : प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाये ?

( स्वीकृत )

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस बिल को पारित किया जाये।

**श्री सभापति** : प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाये ?

( स्वीकृत )

विधेयक पारित किया गया।

**राजस्व मंत्री** (श्री दामोदरलाल व्यास): सभापति महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान लैंड रेवेन्यू ( अमेन्डमेन्ट ) बिल, १९५९ को विचारार्थ........

**श्री सभापति :** Why not we take up Gram Dan Bill and make a reference to the Select Committee ?

**श्री दामोदरलाल व्यास :** मुझे कोई एतराज नहीं है ।

११·११ म० पू०

**राजस्थान ग्रामदान विधेयक, १९५९**
( प्रवर–समिति को निर्दिष्ट )

**श्री दामोदरलाल व्यास :** सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान ग्रामदान विधेयक, १९५९ को विचारार्थ लिया जाये ।

**श्री सभापति :** Yes. डॉ० चन्द्रकला आपका है जनमत के लिए प्रसारित करने का।

**श्री सोहनलाल भटनागर** (सलूम्बर) : सभापति महोदय, मेरा यह प्रस्ताव है कि इस बिल को सलेक्ट कमेटी को रेफर कर दिया जाये ।

माननीय सभापति महोदय, जैसा कि बिल के एम्स एण्ड ऑब्जेक्ट्स में बताया गया है कि यह बिल 'माडल ग्रामदान बिल' जैसा कि अखिल भारत सर्व सेवा संघ द्वारा भेजे गये बिल के आधार पर बनाया गया है "the present Bill has been prepared in the light of a model Gramdan Bill circulated to the States by the Akhil Bharatiya Sarva Seva Sangh and adopted to local condition." यह इस मॉडल के ऊपर आश्रित है। लेकिन मेरे खयाल से देश के अन्दर ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जैसे को-ऑपरेटिव फार्मिंग है और दूसरी चीजें हैं इन सारे दृष्टिकोणों को देखते हुए मेरा खयाल है कि इसको हमें हैपहैजर्ड वे में पास नहीं करना है और जो जो नई चीजें हमारे सामने आई हैं उनमें और इसमें किस प्रकार से समता आ सकेगी, इस पर हमें विचार पहले करना चाहिए क्योंकि यह सब उन चीजों से सम्बन्धित है। ऐसी सूरत में जो ग्रामदान में आने वाले गांव हैं उनका क्या कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उनकी क्या पॉवर होंगी। इन सारे दृष्टिकोणों को देखते हुए मैंने प्रस्ताव किया है कि इस बिल को सलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाये और इस पर गंभीरता से मनन किया जाये तो अधिक उपयोगी रहेगा। वरना जो को-ऑपरेटिव फार्मिंग और नया बिल आयेगा उसमें और इसमें काफी फर्क होगा।

दूसरी बात यह है कि जो बिल में प्रावधान रखे हैं कि जो अलाटी होंगे जो अपना सरेन्डर करते हैं, उसमें इन्डीविजुअल राइट्स दिये गये हैं कि वह खुद भी खेती कर सकेंगे यह भी मेरे खयाल से जो ग्रामदान का व्यू है उससे समता नहीं रखता। ऐसी ही और भी कई खामियां इसमें हैं इसलिए इसको सलेक्ट कमेटी को रेफर कर दिया जाये तो ठीक है।

**श्री दामोदरलाल व्यास** ( राजस्व मंत्री ) : सभापति महोदय, मैं आपकी इजाजत से इसे स्वीकार करता हूं ।

**श्री जगदीश प्रसाद माथुर** (सीकर) : मैं इस बिल का विरोध करना चाहता हूं ।

( श्री जगदीशप्रसाद माथुर )

सभापति महोदय, जिस रूप में ग्रामदान बिल हमारे सामने प्रस्तुत है मैं समझता हूं कि यह बिल बिलकुल ही अनावश्यक है। हमारे सदन का जो महत्वपूर्ण समय है उस समय को इस प्रकार के बिल पर विचार करके और सलेक्ट कमेटी बैठा कर के हम इसको आगे बढ़ायें उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। हमने अपने देश का ढांचा बनाया है और अभी बलवंतराय मेहता कमेटी के निश्चय के अनुसार हमने अपने गांवों के अन्दर भी एक विकेन्द्रित समाज की रचना का निश्चय किया है। इसके साथ ही हमने एक सीलिंग कमेटी भी बैठा रखी है। दूसरी तरफ हमारी राज्य सरकार को-ऑपरेटिव फार्मिंग का नारा लगा करके चल रही है और उसीके आधार पर गांवों में कृषि का आधार होगा। हमारी डेमोक्रेसी नीचे से उपर पहुंचे इसके लिए हमारी सरकार प्रयत्नशील है और इसीके अनुसार दो अक्टूबर से हमारे राज्य के अन्दर एक नई व्यवस्था हो रही है। इस प्रकार से हम सारे प्रान्त का और सारे देश का एक नये ढंग से एक निश्चित रूप से ढांचा बनाने को तैयार हो रहे हैं और इस नई व्यवस्था के बीच में ग्रामदानों की अलग व्यवस्था करके राज्य के अन्दर नया परिक्षण करके और नई इकानामी को हम सैटिल करना चाहते हैं। हमने पहले भूदान की भी व्यवस्था की थी और सदन के अन्दर भूदान का एक बिल भी बना और जो व्यवस्था थी, वह समाप्त हो गई। अब तो स्वयं विनोबाजी ने भूदान लेना बंद कर दिया और उन्होंने कह दिया कि अब तो ग्रामदान चाहिए। तो ऐसे ही पहले भूदान का बिल लाकर सदन का समय बरबाद किया था। और विनोबा जी का जो दान का शब्द है वह तो बढ़ता जायेगा, भूदान, ग्रामदान, सम्पत्ति दान, जीवन दान आदि आदि। इसका मतलब यह हुआ कि जितनी भी दान की व्यवस्था है वह विनोबा जी बनाते जायेंगे और इस सदन के सदस्य बैठकर के कानून बनाते जायेंगे। इस प्रकार का परीक्षण करने की क्या आवश्यकता है। इसका कोई उपयोग होने वाला नहीं है। क्योंकि विनोबा जी निरुत्साहित होंगे तो वह कहेंगे कि अभी ग्रामदान का नारा है और फिर ग्रामदान के बाद दूसरा नारा ले आयेंगे। इस प्रकार से देश के धन का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया तो कोई आवश्यकता हल नहीं होगी। अभी अभी जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि इसको सलेक्ट कमेटी में भेजा जाये तो मैं कहता हूं क्यों भेजा जाय? विनोबा जी ने कहीं भाषण दिया और उसके आधार पर माननीय सदस्य यह सोचें कि जो बिल बना था वह तो अधूरा बन गया। क्योंकि जिस समय उन्होंने भाषण दिया उस समय परिस्थिति कुछ और थी और आज जब कि बिल बना रहे हैं उस समय परिस्थिति में कुछ अन्तर पड़ गया। क्योंकि अब को-ऑपरेटिव फार्मिंग आया है और फिर अब ग्रामदान बिल आया है तो इन दोनों में किस प्रकार से समन्वय होगा इस समन्वय की बात को लेकर कहा कि इसको सलेक्ट कमेटी में भेजना चाहिए। जब सलेक्ट कमेटी इस पर विचार करके यह बिल सदन के सामने आयेगा तो इतने में विनोबा जी का ध्यान फिर पलट जायेगा। क्योंकि उनके विचार से तो नये नये दान निकल रहे हैं। अभी जयपुर से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा कि इसको जनमत के लिए प्रसारित कर दिया जाये, तो भी एक बात होती। क्योंकि विनोबा जी के व्यूज़ तो बदलते रहते

( श्री जगदीश प्रसाद माथुर )

हैं। इसके बारे में लेटेस्ट व्यूज़ क्या हैं ? इसके ऊपर विचार करते तो दूसरी बात थी। तो बिना किसी कारण के, बिना किसी आधार के ऊपर बिल बना लेना, उचित परम्परा नहीं है। आज राजस्थान में कोई विशेष ग्रामदान नहीं हुआ। यदि उसकी व्यवस्था उसी आधार पर जैसा कि राज्य के अन्य गांवों की व्यवस्था करने जा रहे हैं जिस प्रकार से पंचायतों को अधिकार दे रहे हैं उसके आधार पर ही हम करें। एक तरफ तो हम कहते हैं कि हम अपने देश का ढांचा योजना के आधार पर बना रहे हैं। इसके लिए हमने पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना और तीसरी पंचवर्षीय योजना बनाई और गांवों के आधार पर ही हम योजनाओं का निर्माण करने जा रहे हैं, उन सारी बातों का कहां समन्वय होगा? केवल कुछ गांवों के लिए ही हम नई व्यवस्था ले आयें तो जैसे भूदान असफल हुआ वैसे ही ग्रामदान का होगा। यह कोई परीक्षण करने का स्थल नहीं है। २ अक्टूम्बर से जिस प्रकार की व्यवस्था हम अपने देश में लागू करने जा रहे हैं, वही व्यवस्था हर गांव में लागू की जाये। केवल दस बीस गांवों के लिए इसका परीक्षण किया जाये यह किसी भी प्रकार से उचित बात नहीं होगी। इसलिए इस बिल को आउट राइट रिजेक्ट कर दिया जाये। इसको यहां लाने से केवल धन और समय का दुरुपयोग होगा। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

**श्री सभापति** : डॉ० बहादुरसिंह।

**डॉ० बहादुरसिंह, (धौलपुर)** : सभापति महोदय, यह जो प्रवर समिति के लिए प्रस्ताव आया है उसके मैं पक्ष में कुछ कहना चाहता हूं। ग्रामदान, भूदान और सम्पत्तिदान जो विनोबाजी का आन्दोलन है वह कितना सफल हुआ यह भी एक सोचने की चीज़ है। आज देश के अन्दर वर्ग संघर्ष काफी प्रगति कर रहा था और उस वक्त किसी प्रकार से वह संघर्ष समाप्त हो इसके लिए आवश्यक था कि जो देश की पुरानी प्रथायें थीं कि लोग स्वेच्छा से जिनके पास अधिक भूमि है वह भूमिदान दें, जिनके पास अधिक सम्पत्ति है वह सम्पत्तिदान दें, या फिर जो अपना जीवन सार्वजनिक हित के लिए लगाना चाहते हैं वह अपना जीवनदान दें। उसी सिद्धान्त पर विनोबाजी ने गम्भीरता से विचार किया और जो लोग यह कहते हैं कि वह असफल रहे यह उनकी भूल है। आज यह बिल्कुल प्रत्यक्ष है कि आंध्र के अन्दर भूदान काफी सफल रहा और जहां भी भूदान हुआ वहां काफी सफलता प्राप्त हुई। लेकिन आज जो हमारे सामने ग्रामदान की समस्या आई है और जो विधेयक पेश हुआ है उसमें काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं। आप देखिये, पंचायतों के चुनाव हुए और उसके साथ ही साथ एक वर्ग संघर्ष या झगड़े पैदा हुए उससे गांव गांव में दो पार्टियां बनीं। विनोबाजी ने काफी सोचने के बाद यह निर्णय किया कि गांव में सभायें बना दी जायें। जिनमें कि सारे ही लोग जो मालिक हैं चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो सभी सभा के सदस्य होंगे। इस प्रकार से वह ग्रामसभा उस गांव की व्यवस्था करेगी। तो उस व्यवस्था में और जो ग्रामदान दिया जाय उसको वैध करने के लिए, क्योंकि आज विधि का राज्य है....

**श्री गिरधारीलाल (नोखा)** : ग्रामसभा में भी एक मुखिये का चुनाव होगा।

**डॉ० बहादुरसिंह** : उसमें मुखिया का चुनाव होगा, उसकी एक एग्ज़ीक्यूटिव बनेगी उसका चुनाव होगा और उसके लिए बहुत सी उपसमितियां बनेगी उनका चुनाव किया जायेगा। एक व्यक्ति के चुने जाने का सवाल अलग है और एक एग्ज़ीक्यूटिव बॉडी १० या ५ आदमी के चुने जाने की बात अलग है। उसके लिए वर्गसंघर्ष या एक गांव में झगड़ा होने की सम्भावना नहीं है। इसलिए गांव का जो मुखिया या सरपंच होगा और गांव के जिन लोगों ने अपने अपने प्रोप्राइ-टरी राइट्स गांव की सभा को दे दिये हैं, जिसका उनकी मिल्कियत और जमीनों पर हक है, वह उन्होंने गांव सभा को दे दिये हैं, उन लोगों के द्वारा गांव को सरपंच चुना जायगा और वह सरपंच सारे गांव की व्यवस्था करेगा। ऐसी स्थिति में मैं यह उप-युक्त समझता हूं कि इसको प्रवर समिति को सुपुर्द करें। सुपुर्द करने का एक कारण यह है कि यह नई चीज हमारे सामने है और नई चीज़ होने के कारण कुछ उसकी व्यवस्था में अव्यवस्था हो सकती है। इसलिए काफी गम्भीरता से प्रवर समिति सोचकर इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेगी, तो मैं समझता हूं कि काफी सुधार हो सकता है। लेकिन जहां तक ग्रामदान का प्रश्न है वह काफी गम्भीर है। उसमें काफी सफल हुए हैं, क्योंकि जो वर्गसंघर्ष था काफी टला है। इससे ऐसा होगा कि पंचायतों के चुनावों में जो संघर्ष हो जाया करते हैं वे ग्राम सभा के होने से टलेंगे। मैं समझता हूं कि प्रवर समिति इसको गम्भीरता से विचार करेगी और विचार करने के बाद सदन में प्रस्तुत करेगी। इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं।

**श्री रामकरणसिंह** ( कोटपुतली ) : माननीय सभापति महोदय, इस समय आज राजस्थान ग्रामदान बिल विचारार्थ लिया गया है, उसका मैं विरोध करता हूं....

**श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा** (किशनगढ़): विचारार्थ कहां लिया गया है ?

**श्री रामकरणसिंह** : प्रस्ताव जो रखा है इसका मैं विरोध करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, यह ऐसा बिल है जो समय समय पर किसी छोटे या बड़े व्यक्ति के विचार को लेकर सदन में रखकर पारित कराने की जो भावना है उसका सूचक है। यह किस पक्ष में किस तरह से कामयाब हो सकता है। कभी ग्रामदान आता है, कभी जीवनदान आता है, कभी श्रमदान है, कभी चश्मादान है, कभी साफादान है, कभी घड़ीदान है और भी न जाने कितने दान आजायेंगे। इस प्रकार की जो चीज़ आयेगी दान के रूप में तो ग्रामदान देते देते ऐसी आदत पड़ेगी कि और भी दान आने शुरू हो जायेंगे। इस प्रकार की जो भावनाएं किसी भी व्यक्ति की चल निकली हैं, उनकी भावनाओं को लेते हुए यदि कोई बिल आजाता है उसमें इस प्रकार से तो किस तरह से अपने सदन का समय और जनता का जो रुपया है उसका दुरुपयोग हो सकता है।

साथ में ही एक माननीय सदस्य ने अभी एक बात कही कि जो पंचायतें चुनी जाती हैं उनके अन्दर बहुत सी पार्टीबाज़ी हो जाती है। मेरी समझ में नहीं आया है या वे समझा नहीं सके हैं कि ग्रामसभा होगी तो चुनाव होंगे और उसमें पार्टी बाजी हो सकती है। समितियां बनेगी और उनका चुनाव होगा। इस प्रकार की भावना कि केवल पंचायतों के

( श्री रामकरणसिंह )

चुनाव से ही पार्टी बाज़ी होती है और ग्रामसभा के चुनाव में पार्टीबाज़ी नहीं होगी, गलत है। ऐसी बात नहीं है कि यह पार्टीबाजी के विरोध में है, और यह चाहते हैं कि पार्टीबाजी होने में कोई भी चीज़ किसी प्रकार से कामयाब नहीं हो सकती है। तो ग्रामसभा होगी तो इसमें भी पार्टीबाज़ी आयेगी। अगर उसको दूर रखना चाहते हैं तो माननीय सदस्य यह बात बताते कि किस तरह से इनके चुनावों में पार्टीबाजी नहीं होगी। इस प्रकार की जो भावना है कि ग्रामदान से और ग्रामसभा में जो इस प्रकार से मेरे माननीय सदस्य ने बतलाया कि पार्टीबाजी नहीं होगी, गलत है। जो ग्राम पंचायत में पक्ष की पार्टीबाज़ी होती है वह पार्टीबाजी ग्राम सभा में भी होगी। ग्रामपंचायतों के बारे में अभी माननीय सदस्य ने बतलाया कि इस प्रकार की भावना उन लोगों में नहीं रहेगी तो ग्राम सभा की बहुत सी समितियों के चुनाव होंगे। उनमें पार्टीबाजी होगी और पार्टीबाजी होने से आज जो भावनाएं पंचायतों में हैं वही जरूर होंगी। इसके साथ साथ जैसे अपने प्रदेश के अन्दर इसके बारे में जिस भावना और जिस उत्साह से सोचा था, उसके बारे में विचार करने की बात है। हम किन्हीं गांवों में पंचायत राज्य कायम करने की मेहता कमेटी की स्कीम को लागू करने की बात करते हैं और किन किन जगहों पर उस एरिया को इन्क्लूड कर रहे हैं। इस प्रकार से पूरे राजस्थान में एक लेवल की बात करते हैं तो कहीं ग्रामदान का करके किसी डिस्ट्रिक्ट में किसी प्रकार से कुछ एरियाज़ में एक दूसरी भावना पैदा करने की बात करते हैं। इसलिए मैं इस चीज के लिए में अर्ज़ करता हूं कि मैं इस विधेयक के पूरे विरोध में हूं और विरोध करता हूं।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : सभापति महोदय, जिन सिद्धान्तों से माननीय सदस्य ने ग्रामदान बिल के ऊपर कुछ बातें कही हैं तो कुछ माननीय सदस्यों ने इस ग्रामदान बिल को सिद्धान्त से बिल्कुल गलत बतलाया है। वे ग्रामदान की भावना के विपरीत हैं, विरुद्ध हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने इसकी सराहना की है। सिद्धान्त को माना है, मगर यह कहा कि इस बिल में किसी प्रकार की खामी न रहे और सब प्रकार की विचारधाराओं के माननीय सदस्य बैठकर इसके ऊपर विचार करके और सही तरीके से इस बिल को पेश करें, इसके लिए एक सुझाव इसको प्रवर समिति में पेश करने का दिया है, मैं उस सुझाव को स्वीकार करता हूं और अगर यह बिल उस प्रवर समिति को जिसके नाम माननीय सदस्य अभी सदन में पेश करेंगे, पेश कर दिया जाय तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं इसको स्वीकार करता हूं कि इस बिल को प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय।

**श्री सभापति** : Let us have the names of the Select Committee.

**श्री सोहनलाल भटनागर** : I am just submitting the list because the whips of the parties have to be consulted.

**श्री दामोदरलाल व्यास** : Names to be announced later on. The motion to refer to Select Committee may be adopted.

**श्री सभापति** : प्रश्न यह है कि प्रस्ताव जो श्री सोहनलाल भटनागर ने रखा है कि राजस्थान ग्रामदान विधेयक को

( श्री सभापति )

प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिसकी नामावली बाद में वे घोषित करेंगे, उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

## राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, १६५६

( विचार–विमर्श )

**राजस्व मंत्री** (श्री दामोदरलाल व्यास): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, १६५६ को विचारार्थ लिया जाय।

**श्री रघुवीरसिंह** ( राजगढ़ ) : कल ले लें काफी इम्पार्टेन्ट बिल है।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : जिन क्लॉजेज़ पर एतराज हो उनको डेफर कर दें। प्रोसीजर की बात है उनको पास कर लें।

**श्री सभापति** : डॉ० चन्द्रकला।

**डॉ० चन्द्रकला** ( किशनपोल बाजार जयपुर ) : नहीं बोलना है।

**श्री सभापति** : You don't want to speak.

प्रश्न यह है कि....

**श्री पी० के० चौधरी** ( फुलेरा ) :— I want to speak Sir.

**श्री सभापति** : Yes. You are opposing the consideration of the Bill?

**श्री पी० के० चौधरी** : I am speaking on it. I move that the Bill may be referred to Select Committee.

**श्री सभापति** : You have not moved any amendment as such.

**श्री पी० के० चौधरी** : It can be moved at any time. It is under the rules.

**श्री दामोदरलाल व्यास** : No Sir, I am not agreeing to it.

**डॉ० चन्द्रकला** : इसके पहले वाले बिल पर आपने इसी प्रकार से एक प्रस्ताव को स्वीकार किया है।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : No one objected to it. That is the point.

**डॉ० चन्द्रकला** : इनका भी कोई एमेन्डमेंट नहीं था। पहले से पेश नहीं हुआ था।

**श्री पी० के० चौधरी** : It can be moved at any time.

**श्री सभापति** : To which rule you are referring?

**श्री पी० के० चौधरी** : I move that this Bill be referred to Select Committee.

**श्री सोहनलाल भटनागर,** (सलूम्बर) : But it must be written at least.

श्री पी० के० चौधरी : Not necessary.

श्री सभापति : To which rule you are referring?

श्री पी० के० चौधरी : I know the rule. I will find it out.

श्री सभापति : It is only under rule 211 that motions can be made without notice.

( विराम )

डॉ० चन्द्रकला : रेफरेन्स टू सिलेक्ट कमेटी का है, किसी समय हो सकता है।

श्री सभापति : I don't think.

श्री श्रीभानसिंह ( बयाना ) : There is rule 98 which says. "when a Bill is introduced, or on some subsequent occasion, the member-in-charge may make one of the following motions in regard to his Bill "and then there is rule 99 that "...any member may move as an amendment that the Bill be referred to a Select Committee..." There is no need of a notice.

श्री पी० के० चौधरी : Yes. The rule 99 (2) (a) says "if the member-in-charge moves that his Bill be taken into consideration, any member may move as an amendment that the Bill be referred to a Select Committee..."

So I can move a motion.

श्री भोलानाथ, (लक्ष्मणगढ़) : सिलेक्ट कमेटी का मोशन किसी भी स्टेज पर आ सकता है। यह नई परम्परा कायम करने जा रहे हैं।

श्री पी. के. चौधरी : I can move the motion and there is no need of a notice.

श्री सभापति : Please refer to rule 121.

श्री पी. के. चौधरी : It is rule 99 Sir to which I am drawing your attention.

श्री सभापति : Rule 99 lays down the procedure for moving the motion, but so far as notice of amendment is concerned, it is not covered by 99. It is covered by 121.

श्री पी. के. चौधरी : After the Hon'ble Member-in-charge moves that the Bill be taken into consideration, any member may move as an amendment that the Bill be referred to a Select Committee or be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon...

श्री सभापति : That is correct. It is a substantial right given under rule 99, but so far as the procedure is concerned, it is laid down in rule 121.

डॉ० चन्द्रकला : लेकिन सभापति महोदय अभी पहले के विधेयक पर भी इसी तरह हुआ है, पहले नोटिस नहीं था और उन्होंने मूव किया है।

**श्री सभापति** : रूल १२१ में लिखा है If notice of an amendment has not been given one day before the day on which the Bill is to be considered, any member may object to the moving of the amendment and such objection shall prevail unless the Speaker allows the amendment to be moved.

दो रास्ते हैं या तो इस पर ऑब्जेक्शन हो या स्वीकार करें, मैंने इस बारे में अब तक तय नहीं किया है लेकिन ऑब्जेक्शन किया गया है।

**श्री पी के. चौधरी** : 121 refers to some other motions but the rule 99 refers specifically to the motion that a Bill be referred to Select Committee

**श्री आबिदअली** ( सवाई माधोपुर ) : Sir, I think the introduction of this Bill is covered by rule 98. It says "When a Bill is introduced, or on some subsequent occasion, the member in-charge may make one of the following motions:-(i) that it be taken into consideration..." Then comes rule 99 which is dependent upon rule 98 and it says that when a Bill is taken into consideration, any member may move that it be referred to a Select Committee.

**श्री भोलानाथ** : क्लॉज ९९ (२) (ए) में साफ है : "If the member-in-charge moves........." the member-in-charge has moved now that the Bill be taken into consideration...
उसके बाद यह स्टेज आती है कि सलेक्ट कमेटी में जाना चाहिये या नहीं। जब कि पहले प्रस्ताव किया गया है कि कंसीडरेशन में लाया जाय उसके बाद ही तो सलेक्ट कमेटी में भेजने न भेजने की स्टेज आयेगी, इससे पहले कैसे आयेगी। पहले मंत्री जी ने कंसीडरेशन में लिये जाने का प्रस्ताव रखा उसके बाद माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा कि सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय।

**श्री आबिदअली** : The Bill is moved for consideration under rule 98. The point of determination is under what rule the Bill is moved for consideration. It is under 98 and then since rule 99 is dependent upon 98, so this motion can be made.

**श्री भोलानाथ** : यह भी गलत बात है कि we are discussing the principles of the Bill. इन्ट्रोडक्शन की स्टेज नहीं है। इसलिये इस स्टेजपर जब मंत्रीजी ने कंसीडरेशन का प्रस्ताव रखा है तभी अमेन्डमेन्ट मूव किया जा सकता है।

**श्री सोहनलाल भटनागर** (सलूम्बर): Sir, there must be a formal motion before the House. The Hon'ble Member has not moved it.

**श्री पी० के० चौधरी** : I have moved a formal motion that the Bill be referred to a Select Committee and the personnel to be announced later on.

**श्री सभापति** : Mr. P. K. Chaudhri has moved a motion to refer this Bill to a select committee and an objection has been taken to it. I exercise my powers under rule 121 and allow Mr.

( श्री सभापति )

Chaudhri to move his amendment and reserve my ruling on it to be given later on.

**श्री पी. के. चौधरी :** Thank you, Sir.

सभापति महोदय, यह जो बिल है उसको इन्ट्रोड्यूस करने से पहले कई बिल हमने विड्रा किये हैं। यहां प्रीवियसली दो तीन बिल कंसीड्रेशन के लिये थे उनको मंत्रीजी ने विड्रा किया उस समय यह कहा था कि एक कॉम्प्रिहेन्सिव लैंड रेवेन्यू बिल ला रहे हैं इसलिये विड्रा कर रहे हैं। यह जो बिल है वह जैसा कि मंत्रीजी कहते हैं और मैं भी मानता हूं कि कॉम्प्रिहेन्सिव बिल है। लेकिन लैंड रेवेन्यू एक टिकलिस इश्यु नहीं है, इसे हेस्ट से पास नहीं करना चाहिये। इसके फॉर रीचिंग कॉन्सिक्वेन्सेज होंगे उनसे पीजेन्ट्री और विलेजर्स पर इफेक्ट पड़ सकता है। मैं एक क्लॉज़ लेकर बता सकता हूं हालांकि यह इन्सेटिव देनेवाला है लेकिन कई कॉन्सिक्वेन्सेज हो सकते हैं। आप क्लॉज ६ की तरफ देखिये। क्लॉज ६ में एक छोटासा संशोधन रखा है। क्लॉज ६ सब क्लॉज (b) :-

"in sub-sections (2), (4) and (5 the words 'of a village' shall be omitted." ओरिजनल प्रिन्सिपल एक्ट को देखिये उसकी सेक्शन ६५.

"**Development of abadi:-** .....(2). No person shall occupy any land in the 'abadi' Area of a village without first paying therefor such sums by way of premium as may be fixed under this Act.

(4) Nothing in this section shall apply to land in the Abadi area of a village which is in the lawful occupation of any person at the commencement of this Act."

**श्री पी. के. चौधरी :** Now this was specifically meant for villages आप "of a village" ओमिट कर रहे है। इसका मतलब यह है कि जो सब-सेक्शन ५ है कि किसी शहर में किसी व्यक्ति ने ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया, उसके लिए एक ब्लेन्क चैक दे देते हैं, उसका रिपरशन क्या क्या हो सकता है। आपने कह दिया कि एक छोटा सा अमेंडमेंट लाये हैं लेकिन उसमें से अगर 'ऑफ ए विलेज़' को विथड्रा कर लिया तो सारा का सारा खत्म हो जाता है। ऑफ ए सिटी को विथड्रा करने से this applies to both lands in towns also and in municipal areas also. अब विलेज़ लैंड के लिए सब-सेक्शन ५ में दे रहे हैं :

"(5) Where at the commencement of this Act any person is in occupation of some land in the Abadi area of a village with limited rights, he may acquire full proprietary rights over such land upon payment of such premiums as may be fixed under this Act." इसमें फुल प्रोप्राइटरी राइट दे रहे हैं किसी व्यक्ति को। अब विलेज़ में किसी जमीन पर आबादी एरिया में किसी व्यक्ति का कब्जा है, अब ऑफ ए विलेज़ को विथड्रा करने के बाद apply to towns and municipalities. अब टाउन्स में या म्युनिसिपैलिटीज़ में, जिसको लिमिटेड राइट्स हो सकते हैं, वे

( श्री पी. के. चौधरी )

टिनेन्सी राइट हों या और राइट्स हों और इस एक्ट में प्रोप्राइटरी राइट देते हैं, तो विलेज़ लैंड का वेल्यूएशन कम होगा और टाउन एरिया में काफी हो सकता है It will involve a huge amount in the cost of land. तो ऐसा लेजिस्लेशन है, इसको पास करने से पहले, मैं समझता हूं उसके ऊपर अच्छी तरह से विचार करना चाहिए कि उसका मिसयूज़ तो नहीं हो रहा है, उसमें लूप होल्स नहीं रह जाती है, जिसका लोग फायदा उठा सकें। इस सदन के सामने कई दफा आया है कि म्युनिसिपैलिटी एरिया में किस तरह से हुआ किस तरह कम पैसे में ज्यादा ज़मीन एक्वायर की, लोअर रेट में आबादी एरिया में ज़मीन एक्वायर की। सदन में कई दफा सवाल जवाब के समय पेश किया है हम देखते हैं कि लोग १ लाख की ज़मीन को १० हज़ार में ले लेते हैं, २० हज़ार की ज़मीन को पांच हज़ार में ले लेते हैं, उन्होंने एग्रीकल्चरल लैंड के हिसाब से लिया है, वह नहीं लेना चाहिए। हमारे प्रिन्सिपल एक्ट की मन्शा यह है फोर विलेज़ एरिया के लिए we have taken a lenient attitude. जैसा सेक्सन ५ में है, वह म्युनिसिपल एरिया में एक्सटेन्ड कर रहे हैं, टाउन एरिया के लिए, सिटी एरिया के लिए, वह कहां तक जस्टीफाइड होगा, उसका मिसयूज़ कहां तक होगा, कहां तक नहीं होगा, इस पर सोचना चाहिए। मैं समझता हूं कि ऐसी बड़ी चीज़ है। छोटे अमेंडमेंट एक्ट यह देखने में है that you are simply omitting the two words 'of village' ये दो शब्द हटा देते हैं तो दो शब्द हटाने के बाद उसके इम्प्लीकिकेशन होते हैं, वे बराबर सदन के सामने आते नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि ये क्लॉज़ेज, ये अमेंडमेंट सिलेक्ट कमेटी में जाने चाहिए।

दूसरी एग्ज़ाम्पल में देना चाहता हूं सभापति महोदय, इसमें इस प्रकार फॉर रीचिंग कॉन्सिक्यूएन्सेस हो सकते हैं, क्या प्रोस एण्ड कौनस हो सकते हैं, उसको बराबर देखना चाहिए। जैसे आप क्लॉज़ १३ को ले लीजिये। क्लॉज़ १३ में एक नया क्लॉज़ एड कर रहे हैं, उसमें लिखते हैं :

"102A. Lands which may be entrusted with local authorities......Any Nazul land or land set apart under section 92 may be placed by the State Government at the disposal of a local authority having jurisdiction and such local authority may take order with the land so placed at its disposal for and on behalf of the State Government, or may use the same for the special purpose for which it has been set apart, to such an extent and subject to such conditions and restrictions as the State Government may form time to time lay down and in such manner as it may from time to time prescribe." पहले जो ओरिजिनल एक्ट था, उसमें यह था, लेकिन ऑथोरिटी को दे सकते हैं लेकिन that land was subject to special purposes for which it was set apart. आज इसमें एग्ज़ीक्यूटिव प्रोवाइड कर रहे हैं। एक लैंड सेट अपार्ट हो, उसको फोर स्पेशल पर्पज़, उसको गवर्नमेंट आर्डर से, जो लोकल ऑथोरिटी है, वह किसी पर्पज़ के लिये इस्तेमाल कर सकती है। मान लीजिये कि कोई लैंड सेट अपार्ट हुआ, पब्लिक पार्क के लिए, चिल्डरन पार्क के लिए, किसी रिलीजियस इन्स्टिट्यूशन के लिए सेट अपार्ट हुआ। मान लीजिये कि किसी रिलोज़ि

( श्री पी. के. चौधरी )

इन्स्टिट्यूशन के लिए शहर में टेम्पल बनाने के लिए लैंड सेट अपार्ट हुआ था, उसको आप चिल्डरन पार्क के लिए अलॉट कर कर सकते हैं, और जो लैंड चिल्डरन पार्क के लिये सेट अपार्ट हुआ, उसको दाई खाने के लिये अलॉट कर दगे। पहले ओरिजिनल एक्ट में था कि कोई ज़मीन किसी पार्टिक्यूलर पर्पज़ के लिये एक्वायर की है, उस ज़मीन को यूज़ करने के लिए लोकल ऑथोरिटी को दे सकते हैं to be used for that particular purpose मान लीजिये सरकार ने लैंड एक्वायर किया है फॉर मेटरनिटी होम, उसको लोकल ऑथोरिटी को मेटरनिटी होम बनाने के लिए दे सकते हैं, उसे चिड़िया घर बनाने के लिए या कोई खेल कूद का मैदान बनाने के लिए नहीं दे सकते हैं। दूसरी बात यह है कि सरकार को लैंड किसी ने डोनेट किया है एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए डोनेट किया है, उसको दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ करना कहां तक ठीक है। जो नया सेक्शन जोड़ रहे हैं उसमें स्पेशल पर्पज़ के लिए रखा है but the Government may direct that it may be used for any other purpose.
यह लेटीट्यूड दे रहे हैं, मैं समझता हूं यह लेटीट्यूड देने से पहले उसका क्या इम्प्ली-केशन्स और कॉन्सिक्यूएन्सेज होंगे, वे देखने चाहिए।

इसी तरह से, सभापति महोदय, क्लॉज १४ की तरफ में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहले जो पुराना सेक्शन था १०३, उसको इससे रिप्लेस कर रहे हैं, हैं, उसकी रिप्लेस किया जा रहा है। इस रिप्लेसमेंट में कोई चेंज है, जो हम देखते हैं। ओल्ड एक्ट में लैंड को डिफाइन करते हैं। इसके अन्दर जो सेक्शन १४ हैं, जो पुराने में १०३ है, उसका सब-क्लॉज तीन देखिये :
"(a) 'land' means land belonging to all or any of the following categories:-

(iii) land surveyd and recorded, whether before or after the commencement of this Act "
ओरिजिनल एक्ट में यह था, लैंड सर्वेड एन्ड रिकॉर्डेड, जो लैंड सर्वेड और रिकॉर्डेड पास्ट में नहीं थे, जो फ्यूचर में होंगे, वे आ जायेंगे। दूसरा जो क्लॉज है, वह इस क्लॉज के पार्ट ७ के नीचे है

"...and includes benefits to arise out of such land and things attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth..."
अब उसमें लैंड सिर्फ नहीं है, किसी का मकान है, उसको लैंड की डेफीनिशन में डाल देंगे It is a very funny definition... ..
यह डेफीनिशन प्रिन्सिपल एक्ट में नहीं थी। मैं समझता हूं कि इस बिल के ज़रिये हम एक कॉम्प्री-हैन्सिव चेंजेंज, रेडीकल चेंजेंज, प्रिन्सिपल एक्ट में ला रहे हैं। इसलिए इसको जल्दबाज़ी से पास न करके इसे सिलेक्ट कमेटी में देंगे, पूरा पूरा उस पर सोच विचार के बाद इस बिल को पास करना चाहिए। इस तरह, सभापति महोदय, मैं एक एक क्लॉज के लिए बता सकता हूं कि जो नये प्रोविजन हैं, वे काफी चेन्ज हैं। इतना ही नहीं, जो चेंजेंज प्रिन्सिपल एक्ट में कर रहे हैं, इस बिल के ज़रिये प्रिन्सिपल एक्ट में रेडीकल चेंजेंज को जा रही हैं, फार रीचिंग कॉन्सिक्यूएन्सेज जिसके हो सकते हैं, ऐसे चेंजेंज ला रहे हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को दिया जाय। सिलेक्ट कमेटी प्रोपरली कन्सीडर करे। उसके बाद इस बिल

( श्री पी० के० चौधरी )

को सदन के सामने रखा जाय और बाद में उसको पास किया जाय।

**राजस्व मंत्री** (श्री दामोदरलाल व्यास) : सभापति महोदय, जो प्रस्ताव माननीय सदस्य ने इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने के लिए किया है, उसका मैं विरोध करता हूं। यह बात ठीक है कि अगर इस बिल में ऐसी कोई सिद्धान्त की बात होती कि जिसमें सिलेक्ट कमेटी को इसे रेफर करना आवश्यक होता तो मैं उसको खुशी से स्वीकार करता। मगर मैं देखता हूं कि जो दो चार इन्सटान्सेज़ माननीय सदस्य ने दिये हैं, वे थोड़ी गलत फहमी की बिना पर हैं। उन्होंने समझ लिया है कि इस बिल में मूलभूत परिवर्तन किये जा रहे हैं, इसलिए इस बात का प्रस्ताव कर रहे हैं। वरना वास्तव में जो इसमें अमेंडमेंट है, जिन सेक्शन्स को उन्होंने रेफर किया है, वे उनकी पृष्ठ भूमि को समझते, उसको जान लेते तो शायद इस बात की आवश्यकता नहीं होती कि वे इस बात का प्रस्ताव पेश करते। जहां तक म्युनिसिपैलिटीज को जमीन देने के लिए नजूल लैंड का सवाल है, मैं समझता हूं कि पिछले दिनों जितनी आबादी की ज़मीन थी, वह लोकल बोडीज़ को दी है, वे ट्रान्सफर करें, सेल करें, लीज़ करें, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, उसकी लीगल सेक्शन नहीं है। इसलिए नया सेक्शन एड किया जा रहा है क्योंकि इसकी इसकी लीगल सेक्शन होनी चाहिए। म्युनिसिपैलिटी को जो लैंड देते हैं, उसकी ट्रान्सफर करने की, उसको लीज़ करने की पॉवर देते हैं स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, उसकी लीगल सेक्शन नहीं थी, इसलिए नया सेक्शन १०२ एड किया गया है........

तो इसमें यह कहना कि १९०२ में जो जमीन दी गई थी उसके सम्बन्ध में लोकल बोडीज़ को वाइड पॉवर्स दे दिये गये हैं तो इस सेक्शन को देखेंगे तो पता चलेगा कि कई रेस्ट्रिक्शन्स लगा दिये हैं।

"Any Nazul land or land set apart under section 92 may be placed by the State Government at the disposal of a local authority having jurisdiction and such local authority may take order with the land so placed at its disposal for and on behalf of the State Government or may use the same for the special purpose for which it has been set apart, to such extent and subject to such conditions and restrictions as the State Government may from time to time lay down and in such manner as it may from time to time prescribe."

तो यह इनको कोई बिल्कुल खुले अधिकार नहीं दिये हैं कि जिस पर्पज़ के लिये लैंड एक्वायर की गई उस पर्पज़ के लिये न रख कर दूसरे पर्पज़ में काम में ले सके, यह समझना ठीक नहीं है। इसकी मंशा यह नहीं है। यह अधिकार देने का मतलब यह है कि लोकल बोडीज़ को ट्रांस्फर करने का अधिकार सरकार के पास होना आवश्यक था, केवल एग्ज़ीक्युटिव ऑर्डर से ट्रान्स्फर करना ठीक नहीं था इसलिए यह अधिकार रखा है। दूसरी लैंड के बारे में कई माननीय सदस्यों ने कहा, मैं इस संबन्ध में इतना बता देना चाहता हूं कि आबादी की लैंड और एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर कई तरह की कन्ट्रोवर्सिज़ हुई हैं, कई जगह आबादी की लैंड को एग्रीकल्चर के काम में किया गया है और कई जगह एग्रीकल्चर लैंड को आबादी के काम में लिया गया है, और इस बात को लेकर काफी

( राजस्व मंत्री )

कन्ट्रोवर्सीज हुई हैं। तो इस बिल को ले कर लैंड की मूल पॉलिसी है उसमें कोई मूल परिवर्तन नहीं किया गया है। अगर आप इस बिल की एक एक क्लॉज को ओरिजिनल एक्ट की क्लॉजिज़ से लगा कर पढ़ें तो पता चलेगा कि कोई मूल पोलिसी में परिवर्तन नहीं किया जा रहा है जो प्रेजोलोजी है उसको ठीक किया जा रहा है।

जो शुरू में पहला एतराज किया क्लॉज़ ६ में कि विलेज़ शब्द को हटाने से विलेज को कन्सेशन नहीं मिलेगा, ऐसी बात नहीं है हाउस पर्पज़ेज के लिये लैंड अलॉट करने के रूल्स बने हुए हैं उनमें चेंज नहीं किया है :

They will give free of all charges land for the residential purposes and for the cattle etc...

इसमें कोई चेंज नहीं किया है, इसको हटा देने से क्या फ़र्क पड़ता है ? यह मतलब निकालना कि गांव वालों की गांवों के रहने वालों की सहूलियतें छीनी जा रही हैं, देट इज नोट दी केस, सहूलियतों को छीनने का सवाल यहां नहीं आता....

**श्री पी. के. चौधरी** ( फुलेरा ) : सब सेक्शन ५....

**श्री दामोदरलाल व्यास** : कौनसी ?

**श्री पी. के. चौधरी** : ९५ का। जहां सिटीज़ के रेस्ट्रिक्टेड राइट्स थे...

**श्री दामोदरलाल व्यास** : जहां आप फरमा रहे हैं कि शहरों में रेस्टिक्टेड राइट्स हैं, किसी के रेस्ट्रिक्टेड राइट्स नहीं हैं।

**श्री पी. के. चौधरी** : "Where at the commencement of this Act any person is in occupation of some land in the abadi area of a village with limited rights, he may acquire full proprietary rights over such land upon payment of such premium as may be fixed under this Act."...

**श्री दामोदरलाल व्यास** : कहां है ?

**श्री पी. के. चौधरी** : प्रिंसिपल एक्ट सेक्शन ९५ सब सेक्शन ५।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : फिर क्या ?

**श्री पी. के. चौधरी** : लिमिटेड राइट्स शहरों में हैं उनको प्रोप्राइटरी राइट्स देंगे।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : It is already there.

**श्री पी. के. चौधरी** : But it is for the villages. It will extend to the towns also.

**श्री दामोदरलाल व्यास** : It is not for the villages. It is for Abadi area.

After all the State Government is getting some premium. Your interpretation is some thing different. If they are not towns or cities, why should we debar them from getting this advantage ?

**श्री सभापति** : Do you want to withdraw your motion ?

**श्री पी. के. चौधरी :** I beg leave of the House to withdraw.

**श्री सभापति :** प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री पी. के. चौधरी ने रखा है उसे वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

( स्वीकृत )

अनुमति प्रदान की गई।

**श्री पी. के. चौधरी :** I withdraw.

**श्री सभापति :** प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

( स्वीकृत )

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

क्लॉज़ २

डॉ बहादुरसिंह।

**डॉ बहादुरसिंह** ( धौलपुर ) : [Add the words "or any other law on the subject for the time being in force" at the end of new clause (1C) sought to be inserted.] माननीय सभापति जी, इसमें मेरा एक छोटा सा संशोधन है। क्लॉज़ २ में नई पंचायतों की परिभाषा को जा रही है उसमें इतना और एड कर दिया जाय।

"Or anyother law on the subject for the time being in force."

बात यह है कि पहले म्युनिसिपैटीज का एक्ट था, उसके बाद जब हमने दूसरा म्युनिसिपैलिटीज एक्ट बनाया तो उसके लिए यह व्यवस्था की थी : कि–

Or anyother Municipal law for the time being in force...

इसी तरह पंचायत एक्ट के बाद में दूसरा पंचायत एक्ट स्वीकृत किया तो उसमें लागू हो जायगा। वह तो हम सोच ही रहे हैं कि पंचायतों में परिवर्तन किया जाय और हो सकता है कि दूसरा पंचायत एक्ट बने, तो मौजूदा एक्ट खत्म हो जायगा और फिर यही दिक्कत पड़ेगी, उस दिक्कत को दूर करने के लिये इन शब्दों को एड करना अत्यन्त आवश्यक है। मैं समझता हूं मन्त्री महोदय इसको स्वीकार करेंगे क्योंकि पंचायतें जिस एक्ट के तहत बनी हुई हैं उनमें परिवर्तन करना लाज़िमी है। क्योंकि मेहता कमेटी की रिपोर्ट को हमने स्वीकार किया है, पंचायतें छोटी छोटी होंगी, उनके पॉवर्स में परिवर्तन होंगे, हो सकता है कि पूरा का पूरा एक्ट बदला जाय। इसलिये इस तरह की व्यवस्था रहना ज़रूरी है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि इसे स्वीकार करने में आपत्ति हो, वह तो और ट्रबल को कम करने का है।

**श्री दामोदरलाल व्यास :** सभापति महोदय, मुझको कोई एतराज नहीं है इस संशोधन को ले लिया जाय....

'Or any other law far the time being in force.' That may be accepted.

**श्री सभापति :** प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव डॉ० बहादुरसिंह ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

( स्वीकृत )

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : Just ona point of clarificatioa. This may done that 'or any other Panchayat law for the time being in force? 'On the subject' is not necessary. This is only a matter of language.

सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है....

**श्री सभापति** : संशोधन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। प्रश्न यह है कि संशोधित क्लॉज़ २ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधित क्लॉज़ २ विधेयक का अंग बना।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३ पारित किया जाय।

(स्वीकृति)

क्लाज़ ३ विधेयक का अंग बना।

क्लॉज ४

(१२ मध्याह्नात)

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर)

[Clause 4 (i) (a)

(i) In the newly proposed clause (a) omit "or an Assistant Collector"

(2) In the newly proposed clause (b) insert "An Assistant Collector or" before "a Sub-divisional officer."]

क्लॉज ४ के अन्दर अपील का प्रोविजन रखा है। इसमें यह लिखा है :—

"Again it is desirable that appeals should lie from all orders, whether Judicial or non-Judicial, passed by a Tehsildar or an Asstt. Collector or a S. D. O. or a Collector, and that second appeals should also lie from all such orders......

इस पर्पज़ के लिये माननीय मंत्री महोदय ने संशोधन रखा है। मैं संशोधन का विरोध नहीं करता हूं और न मेरी इसका विरोध करने की भावना है। मगर यह भविष्य में लागू होगा। उसमें अपील हो सकती है। लेकिन वर्तमान में जो इस प्रकार के केसेज रिविजन में है उनकी क्या हालत होगी। उन पर भी यह प्रोविजन लागू हो सके। क्योंकि बिल के लागू होने तक सारे केसेज़ जो पेन्डिगं है डिसाइड नहीं हो जावेंगे। इसलिये इस प्रकार वर्तमान में जो केसेज़ पेन्डिगं है उनके लिए ज़रा ध्यान दिया जावे और इसी में ट्रीट कर दिया जावे तो उचित होगा। माननीय मंत्री महोदय स्वयं....

**श्री दामोदरलाल व्यास** : कौनसे केसेज़ कहां पर पेंडिंग है।

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** : वर्तमान में बहुत केसेज़ पेंडिंग हैं।

**श्रीदामोदरलाल व्यास** : कहां पर हैं? बतावें।

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** : कमिश्नर के पास एज़ ए रिविज़न।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : रिविज़न के पॉवर्स को तो हम रख रहे हैं। मैं तो नॉन जुडिशियल केसेज़ में अपील के पॉवर्स प्रोवाइड कर रहा हूं।

# Page No.79



**श्री सभापति** : I think, he means by the cases pending in the Secretariat.

**श्री दामोदरलाल व्यास** : Those cases are pending and they are to be decided under the revisionary powers. Those powers are not taken away by th

**श्री सभापति** : Perhaps he thinks, that those cases may be transferred.

**श्री दामोदरलाल व्यास** : No. No. This does not mean that.

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** : अपील के रूप में हो जावे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

**श्री सभापति** : I wanted to have one clarification from the Hon'ble Minister. In part (a) an appeal would lie to the Collector from an original order passed by a Tehsildar or an Assistant Collector in matters not connected with Settlement or land Records and in (b) to the Commissioner from an original order passed by a S. D. O. or a Collector. But in many cases, it so happens that the S. D. O. practically exercises the powers of Collector. Both of them can dispose of. In one case, a decision is taken by the S. D. O. and in some by the Collector and the appeal will go to the Commissioner......

**श्री दामोदरलाल व्यास** : I may read the original Sir, if, desired. As a matter of fact, the jurisdiction of an S. D. O. and Collector in some cases is similar and if there is no Asstt. Collector seperately, or S. D O. he will exercise......

**श्री सभापति** : That would be more appropriate. The appeal should go to the Collector.

**श्री दामोदरलाल व्यास** : आप कौनसा बता रहे हैं।

**श्री सभापति** : (a) and (b), the appeal should go from the Tehsildar to the Collector...

(ए) में तहसीलदार The word Collector should be some-where added in (b) and that would be more appropriate.

**श्री दामोदरलाल व्यास** : टिनेन्सी एक्ट का आप मुलाहिज़ा करेंगे, उसमें एसिस्टेन्ट कलेक्टर लिखा है और एस० डी० ओ० लिखा है।

Because he has already powers.

लेकिन जहां प्योरली एस० डी० ओ० लिखा है उसमें एसिस्टेन्ट कलेक्टर ट्राई नहीं कर सकता है और जहां एसिस्टेन्ट कलेक्टर लिखा है वहां एसिस्टेन्ट कलेक्टर ही उसको ट्राई करेगा।

They are exclusively seperate cases. Their appeal will go to the Commissioner......

Then the S. D. O. shall have two capacities as Asstt. Collector and Collector.

**श्री सभापति** : Under the Land Revenue Act, in some cases they are tried by...

**श्री दामोदरलाल व्यास** : यह एमेन्डमेंट रखा है उसको मुलाहिज़ा करें।

Except as otherwise provided in the original Act, the first appeal shall lie to the Collector from an original decree or order passed by a Tehsildar or from an original order passed on an application by an Assistant Collector or a Sub-Divisional Officer in judicial matters ont connected with settlement or land records.

अब इसमें लिख रहे हैं The following shall be substituted (a) to the Collector from an original order passed by a Tehsildar or an Assistant Collector in matters not connected with settlement or land records.

लैन्ड रेवेन्यू के अलावा जितना होगा ऑर्डर पास करेंगे उसकी अपील होगी। टिनेन्सी एक्ट में अलग अलग डिफाइन किया गया है कि कौनसे केसेज़ एसिस्टेन्ट क्लेक्टर और कौन से एस. डी. ओ...

**श्री सभापति** : This is given in Tenancy Act...

**श्री दामोदरलाल व्यास** : इसमें भी है। इसमें भी दिया हुआ है।

**श्री सभापति** : That is about the Rajasthan Tenancy Act. what about the Land Revenue Act?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : There is also. ....आपने ७ वें कॉलम में तहसीलदार, एसिस्टेन्ट क्लेक्टर लिखा है वहां एसिस्टेन्ट क्लेक्टर और जहां एस. डी. ओ. लिखा है वहां एस. डी. ओ. लिखा है। जहां पर एस. डी. ओ. को पॉवर्स होंगे वहां पर एस. डी. ओ. अपने पॉवर्स को एक्ससाईज़ करेगा और जहां एसिस्टेन्ट क्लेक्टर को पॉवर्स होंगे वहां पर एसिस्टेन्ट क्लेक्टर एक्ससाईज़ करेगा। अगर हर एक केस में क्लेक्टर के पास अपील चली जावेगी तो उसके पास काम ज्यादा बढ़ जावेगा।

**श्री सभापति** : I wanted the Asstt. Collector to be added in part (b). I think it will be more appropriate.

**श्री दामोदरलाल व्यास** : I agree Sir. S.D.O. or the Assistant Collector.. यहां आ जावेगा in (b) there may be Assistant Collector.

**श्री सभापति** : It should be deleted from (a)...

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४ में जो संशोधन का प्रस्ताव माननीय मंत्री महोदय ने रखा है उसे स्वीकार किया जाए।

**एक माननीय सदस्य** : लिखा कर लें।

**श्री सभापति** : मैंने कह दिया है लिख कर देने के लिये।

( स्वीकृत )

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि संशोधित क्लॉज़ ४ स्वीकार की जाए।

( स्वीकृत )

संशोधित क्लॉज़ ४ विधेयक का अंग बना।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ५ स्वीकार किया जावे।

( स्वीकृत )

क्लॉज़ ५ विधेयक का अंग बना।

क्लॉज ६

प्रश्न यह है कि क्लॉज ६ पारित किया जावे।

( स्वीकृत )

क्लॉज़ ६ विधेयक का अंग बना।

**श्री सभापति** : डॉक्टर बहादुरसिंह। Clause 6 a.

Do you want to move that amendment?

क्लॉज ७ (२)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ेज ७ से लेकर १७ तक पारित किया जावे।

**डॉ. बहादुरसिंह** ( धौलपुर ) : क्लॉज़ ११ पर मुझे कुछ कहना है।

**श्री सभापति** : प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ ७ से १० तक पारित की जावें।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ सात से दस पारित

क्लॉज ११

**डॉ. बहादुरसिंह** (धौलपुर) : सभापति महोदय, यह क्लॉज ११ जो है इसमें मूल एक्ट की धारा ९७ को संशोधित किया गया है। जिसमें ऑक्शन ऑफ दी लैंड के बारे में ज़िक्र है। आबादी के अन्दर लैंड होगा तो उसकी किस प्रकार नीलाम द्वारा बिक्री की जावेगी यह प्रश्न सामने है। होता यह है कि जो ज़मीन बेची जाती है या किसी व्यक्ति को देते हैं तो उसमें यह व्यवस्था है कि एक व्यक्ति से ज़्यादा अगर दर्ख्वास्तें आईं तभी वह नीलाम से दी जाती है, अगर एक व्यक्ति की ही दर्ख्वास्त आई तो एक फिक्स्ड रेट से, बिना नीलाम किये ही उसे दे दी जावेगी। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिये। चाहे एक की दर्ख्वास्त आवे चाहे अनेकों की, उसे नीलाम द्वारा अधिक से अधिकतम मूल्य की बोली लगाने वाले को दी जानी चाहिये। इस सम्बन्ध में अनेकों शिकायतें अनेकों जगह से आती है और वास्तव में इससे होता यह है कि किसी व्यक्ति को वह ज़मीन अच्छी लगी और उसे उसको लेना है तो वह अधिकारियों से मिलकर एक दर्ख्वास्त दे देता है और किसी तरह से मिल मिलाकर ले लेता है।

**श्री सोहनलाल भटनागर** (सलूम्बर) : On a point of order, Sir. इस मूलधारा में आपका संशोधन कुछ और ही है। और आप बोल कुछ और ही रहे हैं। आपका संशोधन तो यह है कि इसमें से एक विलेज शब्द को उड़ा दिया जावे। अब आप बहस विलेज को हटाने के बारे में कर सकते हैं, न कि ज़मीन के नीलाम के बारे में। आप अधिक से अधिक सारी धारा को चैलेन्ज कर सकते हैं। इस नीलामी पर आपका कोई संशोधन नहीं है।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : यह ठीक है साहब, आपका ऐसा कोई संशोधन नहीं है।

**डॉ० बहादुरसिंह** : मैं इसमें इतना ही कहना चाहता था कि एक आदमी की एग्लोकेशन अगर आये तो उसे एक निश्चित रेट पर दे दी जावे, वह हटा दी जावे।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : पर आपका ऐसा कोई अमेन्डमेन्ट नहीं है।

**डॉ० बहादुरसिंह** : मैंने अमेंडमेंट ऐसा मूव किया था पर मेच्योर नहीं हो सका था। इसलिये अगर माननीय मन्त्रीजी इस पर कन्सीडर कर लें तो अच्छा है।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मैं चाहूं तो भी नहीं ले सकता हूं। That is already a new amendment. That is not an amendment. That is altogether a new amendment which cannot be brought like this.

**डॉ० बहादुरसिंह** : तो मैं यह कहना चाहता था कि यह उचित नहीं है। आप सोच लें कि एक अधिकारी को अगर एक दरख्वास्त भी आवे तो उसको नीलाम से ऑक्शन करने का प्रोविज़न होना चाहिये। उसको बगैर ऑक्शन के नही देना चाहिये। तो मैं इन शब्दों के साथ जो संशोधन है इस धारा के अन्दर वह किया जाना चाहिये। अब या तो उसको दुबारा री-ड्राफ्ट कर लें, या डेफर कर दें, कल विचार कर सकते हैं।

यह आवश्यक संशोधन है। इससे जमीन की बिक्री से बड़ा घोटाला होगा। इससे असन्तोष भी बढ़ता है। मान लीजिये दरख्वास्त दे दी और उसको जो लेना चाहता है और अधिक रुपया देकर, उसको तो मालूम पड़ेगी नहीं कि बिक्री हो रही है तो इससे एक प्रकार का करप्शन भी बढ़ेगा। तो इसलिये यह जरूरी है कि आप उस करप्शन वाली बात को और जिससे असन्तोष बढ़ता है, झगड़ा मच सकता है, वह रुकना चाहिये। मैं समझता हूं इसको आप डेफर कर दीजिये।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : डेफर करने की कोई बात ही नहीं है। It is not within the scope of amendment. If he wants that Act to be amended he may bring an amendment.

**श्री सभापति** : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ११ से १७ तक पारित की जावें।

( स्वीकृत )

क्लॉजेज़ ११ से १७ विधेयक का अंग बने।

क्लॉज १८

**श्री दामोदरलाल व्यास** : क्लॉज १८ में मैं एक अमेंडमेंट मूव करना चाहता हूं। लास्ट टाइम करना था पर इसकी कापी रेडी अवेलेबल नहीं है सो डेफर फरमा दीजिये। बाद में पेश कर दूँगा।

**श्री सभापति** : क्लॉज़ १८ डेफर्ड।

क्लॉज १९

**श्री सभापति** : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १९ और क्लॉज़ २० पारित की जावें।

( स्वीकृत )

क्लॉजेज १९ और २० विधेयक के अंग बने

( विराम )

सदन की कार्यवाही कल प्रातः काल ८ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही १२ बज कर ५ मिनिट पर गुरुवार दिनांक २३ अप्रेल, ५६ म० पू० के ८ बजे तक के लिये स्थगित की गई।)

## संक्षिप्त विवरण

(बुधवार २२ अप्रैल, १९५९)

| | स्कम्भ |
|---|---|
| **तारांकित प्रश्नोत्तर** | ७९१३ |

महाराजा श्री उम्मेद मिल्स पाली के मजदूरों की मांगें।

गोल्डन ट्रांसपोर्ट कम्पनी जयपुर को बसों व ट्रकों के परमिट

जोधपुर के ट्रैफिक इन्स्पेक्टर्स की शिकायतें

सुपरवाइजर 'जू' विभाग, बीकानेर सब-इन्स्पेक्टर्स सी. आई. डी. को स्पेशल पे

टालों का एक जिले से दूसरे जिले में भेजा जाना

श्री गांधी बहुधन्धी सहकारी समिति बदनौर में गबन

ग्राम पंचायत देवली द्वारा आयुर्वेदिक एडपोस्ट खोलने के हेतु मकान की व्यवस्था

पाली थाने के सब-इन्स्पेक्टर श्री तेजराज के विरुद्ध शिकायत

प्राइवेट पॉवर हाउसेज् को सरकार के अधिकार में लेने के सम्बन्ध में

बन्ध नया गांव, तहसील सोजत

चांदपोल बाज़ार, जयपुर के पास पक्के नाले का निर्माण

सिरोही जिले में जवाई बांध से सिंचाई

तहसील दौसा में बनने वाली सड़कें

सिंचाई की दरें

जयपुर नगरपालिका के दमकल व बस सर्विस में टक्कर

डूंगरपुर से सागवाड़ा रोड पर चलने वाली मोटर बसें

राजसमन्द तालाब से सिंचाई

राजस्थान में पोस्ट ग्रेज्यूएट क्वालिफिकेशन के सर्जन डॉक्टर

डूंगरपुर-साथूना रोड

पंचायतों के चुनाव

झालावाड़ ज़िले के कुछ थानों में कागज पेन्सिल का अभाव

बस-रूट-अजमेरी गेट व गांधीनगर

| | स्कम्भ |
|---|---|
| **स्थगन प्रस्ताव** | ७९४२ |

बीकानेर से प्रकाशित 'इन्कलाब' पत्र के सम्पादकीय मंडल के सदस्यों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सर्व श्री मुरलीधर व्यास, गिरधारी

स्तम्भ

लाल एवं सतीशचन्द्र अग्रवाल के स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति अध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं दी गई।

श्री रामकिशोर व्यास, गृह मंत्री, ने तत्संबन्धी स्थिति का स्पष्टीकरण किया।

**विधायी कार्य** ७९४६

**विचारार्थ लिये गये विधेयक** ७९४७

१. राजस्थान उप-कर समाप्ति विधेयक, १९५९

श्री रामकिशोर व्यास, गृह मंत्री, के इस प्रस्ताव पर कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय, डॉ० चन्द्रकला ने इस आशय का संशोधन प्रस्तुत किया कि विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। राजस्व मंत्री के उत्तर के पश्चात् डॉ० चन्द्रकला ने अपना संशोधन वापस ले लिया तथा विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खण्डशः—विचार के बाद विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

२. राजस्थान जागीरदार्स मुआवजा तथा पुनर्वास अनुदान (अंतिम आज्ञाएं वैधकरण) विधेयक, १९५८

स्तम्भ

राजस्व मंत्री ने उपरोक्त विधेयक, को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिस पर डॉ० चन्द्रकला ने यह संशोधन रखा कि विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे। वाद विवाद के पश्चात् डॉ० चन्द्रकला ने अपना संशोधन वापस ले लिया तथा विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ—विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

३. राजस्थान लैण्ड रिफॉर्म्स एण्ड रिजम्पशन ऑफ जागीर्स (दसवां संशोधन) विधेयक, १९५८

श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मंत्री, द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

४. राजस्थान होल्डिंग्ज (कन्सोलिडेशन एन्ड प्रिवेन्शन आफ फ्रेग्मेन्टेशन)

संशोधन विधेयक, १९५९

राजस्व मंत्री के प्रस्ताव पर विधेयक को विचारार्थ लिया जाकर उसे संशोधित रूप में सदन द्वारा पारित भी किया गया।

५. अजमेर शामलात देह (रेग्युलेशन) निरसन विधेयक, १९५९

स्कम्भ

उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का राजस्व मंत्री का प्रस्ताव स्वीकृत किया जाकर विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

६. राजस्थान ग्राम दान विधेयक १६५६

श्री सोहनलाल भटनागर के प्रस्ताव पर उपरोक्त विधेयक एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया जिसके सदस्यों के नाम बाद में घोषित किये जायेंगे।

७. राजस्थान लैन्ड रेवेन्यु [संशोधन] विधेयक १६५६

राजस्व मंत्री के इस प्रस्ताव पर कि

स्कम्भ

उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय. श्री पी. के. चौधरी ने यह संशोधन रखा कि विधेयक एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। वाद-विवाद के पश्चात् श्री चौधरी ने अपना संशोधन वापिस ले लिया तथा विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २ एवं ४ संशोधित रूप में स्वीकार किये गये।

खण्ड ३,५से१७, १६ व २० बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुए।

खण्ड १८ स्थगित किया गया।

---

# परिशिष्ट १

( कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ११४८ का उत्तर देखिये )

List of post Graduate Doctors in Surgery in Rajasthan.

| Senior Specialists. 1 | | Qualification. 2 | Date of Present Posting 3 |
|---|---|---|---|
| 1. | Dr. G. L. Talwar. | F. R. C. S. | 14-5-1953 |
| 2. | Dr. P. D. Mathur. | M. S. & F.R. C. S. | 1949 |
| 3. | Dr. D. G. Ojha | M. S. | 1-5-1944 |
| 4. | Dr. M. N. Katju. | M. S. | 22-1-1951 |
| 5. | Dr. S. P. Wanchoo. | F. R. C. S. | 1-11-56 |
| 6. | Dr. S. C. Mehta | F. R. C. S. | 21-5-1953 |
| **Junior Specialists.** | | | |
| 1. | Dr. G. C. Sharma. | M. S. | 19-1-1955 |
| 2 | Dr. T. G. Mathur. | M. S. | 18-1-1956. |
| 3. | Dr. K. D. Shastri. | F. R. C. S. | 24-1-1956. |
| 4. | Dr. K. N. Sharma. | F. R. C. S. | 1958. |
| **C. A. S. Class I Doctors.** | | | |
| 1. | Dr. B. N. Bhargava. | M. S. | 1-7-1957 |
| 2. | Dr. K. N. Bhargava. | M. S. | 13-10-1955. |
| 3. | Dr. M. M. Sharma | M. S. | 13-12-1947. |
| 4. | Dr. S. M. Gupta | M. S. | 6-8-1955. |
| 5. | Dr. Sundar Narain | M. S. | 14-7-1948. |
| 6. | Dr. S. K. Pandey. | M. S. | 6-8-1957. |
| 7. | Dr. Tara Chand Jain | M. S. | 29-4-1957. |
| 8. | Dr. V. S. Dave. | M. S. | 27-9-1954. |
| 9. | Dr. S. D. Dandiya. | M. S. | 5-5-1958 |
| 10. | Dr. M. P. Singh | M. S. | 5-5-1958. |
| **C. A. S. Class II.** | | | |
| 1. | Dr. A. S. Gupta. | M. S. | 1-7-54. |

शुद्धि-पत्र

बुद्धवार २२ अप्रेल, १९५९

| स्कम्भ संख्या | पंक्ति संख्या | अशुद्ध | शुद्ध |
|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ |
| ७९२७ | ८ | ( प्रश्न संख्या ) | ११४१ |
| ७९४७ | ४ | गहमन्त्री | गृहमन्त्री |
| ७९७१ | १ | श्री मानसिंह | श्री श्रीमानसिंह |
| ७९७३ | १ | श्री मानसिंह | श्री श्रीमानसिंह |
| ७९७५ | १ | श्री मानसिंह | श्री श्रीमानसिंह |
| ७९७७ | १ | श्री श्रीमानसिंह | श्री श्रीमानसिंह |
| ७९९३ | शीर्षक | राजस्था | राजस्थान |
| ,, | १ | श्री मानसिंह | श्री श्रीमानसिंह |
| ७९९९ | शीर्षक | रा० जा० मुआवजा तथा पुनर्वास विधेयक | राजस्थान जागीरदार्स मुआवजा तथा पुनर्वास अनुदान विधेयक १९५८ |
| ८००० | ४ | रजस्थान | राजस्थान |
| ८००७ | शीर्षक | जागीरदार्स मुआवजा तथा पुनर्वास विधेयक | राजस्थान जागीरदार्स मुआवजा तथा पुनर्वास अनुदान विधेयक, ५८ |
| ८०१५ | अन्तिम से २ | कहना | मैं तो कहना |
| ८०२३ | ,, १२ | ofl | of |
| ,, | ,, ११ | al | all |
| ,, | ,, ६ | passed | Passed by |
| ८०४२ | ४ | जयेगे | जायेंगे |
| ८०४३ | १८ | ब्राता | ब्रातों |
| ८०५१ | अन्तिम से ३ | as | move as |
| ,, | ,, २ | be ererred | be referred |
| ८०५३ | ,, ६ | Member-n-Charge | member-in-charge |

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| ८०५६ | अन्तिम से ३ | muncipalities | municipalities |
| ८०५७ | १४ | हुआ | हुआ |
| ८०५८ | २ | में | मैं |
| ८०६३ | १ | राजस्व | श्री दामोदरलाल व्यास |
| ८०६७ | ८ | clarificatioa | clarification |
| ८०६९ | ८ | y | by |
| ८०८१ | ९ | विधायों कार्य | विधायी कार्य |